



विनियोग लेखे

2012-2013



मध्यप्रदेश सरकार

विनियोग लेखे

2012-2013

मध्यप्रदेश सरकार

प्रस्तावना	iv
विनियोग लेखे का सार	1-13
विनियोग लेखे-	
अनुदान संख्या	
भारित विनियोग-ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	19-23
भारित विनियोग-लोक ऋण	24-25
01. सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	26-31
02. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	32-33
03. पुलिस	34-38
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	39-40
05. जेल	41
06. वित्त	42-48
07. वाणिज्यिक कर	49-52
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	53-58
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	59-60
10. वन	61-64
11. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	65-69
12. ऊर्जा	70-73
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास	74-78
14. पशुपालन	79-82
15. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	83-87
16. मछली पालन	88-89
17. सहकारिता	90-92
18. श्रम	93-94
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	95-102
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	103-108
21. आवास एवं पर्यावरण	109-111
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय	112-114
23. जल संसाधन	115-128
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	129-133
25. खनिज साधन	134-135
26. संस्कृति	136-137
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	138-143
28. राज्य विधान मंडल	144-145

29.	विधि और विधायी कार्य	146-150
30.	ग्रामीण विकास	151-153
31.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	154-156
32.	जनसंपर्क	157-158
33.	आदिम जाति कल्याण	159-160
34.	सामाजिक न्याय	161-163
35.	पुनर्वास	164
36.	परिवहन	165-166
37.	पर्यटन	167-168
38.	आयुष	169-171
39.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण	172-173
40.	जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय-आयाकट	174-178
41.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	179-199
42.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	200-201
43.	खेल और युवक कल्याण	202-204
44.	उच्च शिक्षा	205-208
45.	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	209-212
46.	विज्ञान और टेक्नालॉजी	213
47.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	214-217
48.	नर्मदा घाटी विकास	218-223
49.	अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण	224
50.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	225-227
51.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	228
52.	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	229-233
53.	अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	234-236
54.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा	237
55.	महिला एवं बाल विकास	238-243
56.	ग्रामोद्योग	244-245
57.	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	246-249
58.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	250-254
59.	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	255
60.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	256
61.	बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	257-260
62.	पंचायत	261

	पृष्ठ
63. अल्प संख्यक कल्याण	262-263
64. अनुसूचित जाति उपयोजना	264-281
65. विमानन	282
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण	283-285
67. लोक निर्माण कार्य-भवन	286-290
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	291-292
69. सूचना प्रौद्योगिकी	293
70. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	294
71. जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)	295
72. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	296-298
73. चिकित्सा शिक्षा	299-301
74. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	302-305
75. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	306-312
76. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	313
77. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)	314-317
78. सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय	318
परिशिष्ट:	
परिशिष्ट-I अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	321-322
परिशिष्ट-II शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण	323-324

प्रस्तावना

वर्ष 2012-13 के लिये मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे का यह संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

“मूल” मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पूरक” पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।

“पुनर्वि.” सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग, प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।

प्रभारित विनियोग और व्यय को तिरछे अंकों में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार

	अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
	(1)	(2) (हजार ₹ में)	(3)	बचत (4)	आधिक्य (5)
	भारित विनियोग— ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा राजस्व— प्रभारित	64,53,91,81	55,63,73,88	8,90,17,93	..
	भारित विनियोग— लोक ऋण पूजीगत— प्रभारित	74,87,10,30	35,83,93,57	39,03,16,73	..
01.	सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	2,76,06,25 24,44,88 10,88,45	2,35,01,02 20,72,37 9,42,55	41,05,23 3,72,51 1,45,90
02.	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व— दत्तमत पूजीगत— दत्तमत	46,14,23 3,26,00	45,44,34 1,89,00	69,88 1,37,00
03.	पुलिस राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	32,83,22,60 1,01,00 96,38,26	28,71,77,93 52,50 69,65,25	4,11,44,67 48,50 26,73,01
04.	गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	21,30,75 5,01 61,01	18,01,37 61 60,00	3,29,38 4,40 1,01
05.	जेल राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	1,88,79,86 50 31,01	1,86,75,00 .. 31,01	2,04,86 50

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
06. वित्त				
राजस्व—				
दत्तमत	72,90,04,57	50,63,39,89	22,26,64,68	..
प्रभारित	24,77,90	11,84,79	12,93,11	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	14,38,85,51	64,32,91	13,74,52,60	..
प्रभारित	4,67,10		4,67,10	..
07. वाणिज्यिक कर				
राजस्व—				
दत्तमत	17,54,71,82	16,61,06,94	93,64,88	..
प्रभारित	11,41	27	11,14	..
08. भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन				
राजस्व—				
दत्तमत	9,03,70,09	7,43,21,18	1,60,48,91	..
प्रभारित	5,47,00	4,76,35	70,65	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	37,97,40	29,09,49	8,87,91	..
09. राजस्व विभाग से संबंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	52,21,73	41,14,22	11,07,51	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	45,00	58	44,42	..
10. वन				
राजस्व—				
दत्तमत	14,47,87,81	13,43,03,87	1,04,83,94	..
प्रभारित	1,16,98,57	1,17,21,66		23,09
				(23,08,714)
पूँजीगत—				
दत्तमत	50,00,00	49,98,70	1,30	..
11. वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार				
राजस्व—				
दत्तमत	2,28,72,83	2,12,54,41	16,18,42	..
प्रभारित	93,01	89,49	3,52	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	5,64,90,96	5,34,65,36	30,25,60	..
प्रभारित	10,00	9,99	1	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
12. ऊर्जा राजस्व—				
दत्तमत	26,94,15,09	26,91,48,57	2,66,52	..
प्रभारित	2,75,00,00	2,75,00,00
पूँजीगत—				
दत्तमत	58,70,92,02	52,45,96,17	6,24,95,85	..
13. किसान कल्याण तथा कृषि विकास राजस्व—				
दत्तमत	9,99,37,23	8,27,88,40	1,71,48,83	..
प्रभारित	13,00	7,92	5,08	..
14. पशुपालन राजस्व—				
दत्तमत	5,92,78,94	5,08,54,50	84,24,44	..
प्रभारित	3,00	1,74	1,26	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,55,00	1,55,00
15. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व—				
दत्तमत	11,83,33,76	10,31,64,32	1,51,69,44	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,44,00,00	1,43,94,71	5,29	..
16. मछली पालन राजस्व—				
दत्तमत	57,16,75	44,91,87	12,24,88	..
प्रभारित	3,00	1,68	1,32	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	40,00	40,00		
17. सहकारिता राजस्व—				
दत्तमत	3,97,95,86	3,53,97,28	43,98,58	..
प्रभारित	1,25	..	1,25	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	2,58,57,48	2,50,01,90	8,55,58	..
18. श्रम राजस्व—				
दत्तमत	1,27,45,84	1,04,96,19	22,49,65	..
प्रभारित	2,00		2,00	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(हजार ₹ में)			
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	22,81,18,65	20,41,37,52	2,39,81,13	..
प्रभारित	61,00	4,91	56,09	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,22,90,00	60,57,59	62,32,41	..
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व—				
दत्तमत	4,20,00,00	3,45,04,17	74,95,83	..
प्रभारित	50,00	44,24	5,76	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	5,06,20,04	4,00,96,95	1,05,23,09	..
21. आवास एवं पर्यावरण राजस्व—				
दत्तमत	1,29,24,75	1,21,68,90	7,55,85	..
प्रभारित	1,00	..	1,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	51,71,00	51,65,99	5,01	..
प्रभारित	22,00	19,13	2,87	..
22. नगरीय प्रशासन एवं विकास नगरीय निकाय राजस्व—				
दत्तमत	3,73,12,45	3,47,42,07	25,70,38	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,61,10,67	99,89,77	61,20,90	..
23. जल संसाधन राजस्व—				
दत्तमत	7,51,01,59	6,49,00,16	1,02,01,43	..
प्रभारित	20,00	7,66	12,34	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	14,89,33,31	12,83,65,48	2,05,67,83	..
प्रभारित	1,00,00	66,44	33,56	..
24. लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल राजस्व—				
दत्तमत	13,23,83,40	11,85,56,09	1,38,27,31	..
प्रभारित	8,00,00	4,33,39	3,66,61	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	16,18,18,57	13,85,34,44	2,32,84,13	..
प्रभारित	1,50,95,00	1,50,96,17	..	1,17
				(1,17,475)

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(हजार ₹ में)			
25. खनिज साधन				
राजस्व—				
दत्तमत	25,57,14	21,48,29	4,08,85	..
प्रभारित	13,78,03,00	13,78,00,00	3,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	10,00	5,17	4,83	..
26. संस्कृति				
राजस्व—				
दत्तमत	1,38,31,33	83,67,99	54,63,34	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	5,58,50	5,57,50	1,00	..
27. स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)				
राजस्व—				
दत्तमत	47,99,27,51	40,67,99,67	7,31,27,84	..
प्रभारित	23,50	3	23,47	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	26,26,34	13,20,67	13,05,67	..
28. राज्य विधान मंडल				
राजस्व—				
दत्तमत	56,26,82	48,17,87	8,08,95	..
प्रभारित	42,81	14,96	27,85	..
29. विधि और विधायी कार्य				
राजस्व—				
दत्तमत	6,85,11,44	4,92,92,35	1,92,19,09	..
प्रभारित	78,57,32	56,58,28	21,99,04	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	50,00	..	50,00	..
30. ग्रामीण विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	5,67,35,34	4,88,98,20	78,37,14	..
प्रभारित	6,00	2,31	3,69	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	7,43,33,40	7,42,75,62	57,78	..
31. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी				
राजस्व—				
दत्तमत				
32. जनसंपर्क				
राजस्व—				
दत्तमत	2,80,02,78	68,49,27	2,11,53,51	..
दत्तमत	2,00,03,80	1,93,37,65	6,66,15	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(हजार ₹ में)			
33. आदिम जाति कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	11,27,22,26	10,80,88,52	46,33,74	..
प्रभारित	18,00	15,36	2,64	..
34. समाजिक न्याय राजस्व—				
दत्तमत	1,93,68,16	1,56,91,66	36,76,50	..
प्रभारित	3,00	93	2,07	..
35. पुनर्वास राजस्व—				
दत्तमत	81,32	55,78	25,54	..
प्रभारित	50	..	50	..
36. परिवहन राजस्व—				
दत्तमत	63,38,09	49,47,05	13,91,04	..
प्रभारित	4,00	2	3,98	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	8,00,01	8,00,00	1	..
37. पर्यटन राजस्व—				
दत्तमत	41,32,36	40,83,28	49,08	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	92,48,95	89,98,95	2,50,00	..
38. आयुष राजस्व—				
दत्तमत	3,44,14,18	2,08,01,86	1,36,12,32	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	5,00,00	4,99,30	70	..
39. खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण राजस्व—				
दत्तमत	19,56,53,46	18,92,43,01	64,10,45	..
प्रभारित	1,60	..	1,60	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	86,20,00	82,68,44	3,51,56	..
40. जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट राजस्व—				
दत्तमत	5,14,63	2,47,17	2,67,46	..
प्रभारित	60	..	60	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,13,98,00	1,03,99,77	9,98,23	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(हजार ₹ में)			
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राजस्व—				
दत्तमत	29,93,68,71	25,73,96,14	4,19,72,57	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	22,88,89,06	18,42,36,88	4,46,52,18	..
प्रभारित	1,05,00	1,00,00	5,00	..
42. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल पूँजीगत—				
दत्तमत	5,36,48,00	3,51,27,53	1,85,20,47	..
43. खेल और युवक कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	60,67,14	40,18,28	20,48,86	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	17,30,01	17,30,00	1	..
44. उच्च शिक्षा राजस्व—				
दत्तमत	9,78,83,65	8,55,94,01	1,22,89,64	..
प्रभारित	77,00	25,92	51,08	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	31,60,01	31,16,89	43,12	..
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य राजस्व—				
दत्तमत	96,27,26	87,63,36	8,63,90	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	5,74,13,92	5,08,95,66	65,18,26	..
प्रभारित	7,60,00	7,59,99	1	..
46. विज्ञान और टेक्नालाजी राजस्व—				
दत्तमत	17,68,00	17,68,00
पूँजीगत—				
दत्तमत	6,50,00	6,50,00
47. तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास राजस्व—				
दत्तमत	3,77,17,48	3,43,31,54	33,85,94	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	16,60,01	16,34,00	26,01	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(हजार ₹ में)			
48. नर्मदा घाटी विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	19,09,93	15,39,18	3,70,75	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	10,24,72,35	9,97,11,60	27,60,75	..
प्रभारित	40,00		40,00	..
49. अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण				
राजस्व—				
दत्तमत	72,47,03	67,37,79	5,09,24	..
प्रभारित	1	..	1	..
50. उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण				
राजस्व—				
दत्तमत	2,39,40,40	1,80,65,79	58,74,61	..
प्रभारित	5,00	1,60	3,40	..
51. धार्मिक न्यास और धर्मस्व				
राजस्व—				
दत्तमत	72,39,90	68,32,61	4,07,29	..
प्रभारित	28		28	..
52. आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	17,68,41,80	16,51,41,52	1,17,00,28	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,89,00,00	1,88,58,00	42,00	..
53. अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता				
राजस्व—				
दत्तमत	1,73,59,86	1,45,32,87	28,26,99	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	37,48,40	22,09,74	15,38,66	..
54. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा				
राजस्व—				
दत्तमत	78,60,00	78,60,00

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(हजार ₹ में)			
55. महिला एवं बाल विकास				
राजस्व—				
दत्तमत	24,25,61,63	22,87,57,58	1,38,04,05	..
प्रभारित	6,01	5,89	12	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,19,75,02	2,25,77	1,17,49,25	..
56. ग्रामोद्योग				
राजस्व—				
दत्तमत	1,12,89,04	1,08,22,90	4,66,14	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	5,94,63	5,92,60	2,03	..
57. जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,96,77,67	1,87,51,29	9,26,38	..
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	9,63,37,95	8,81,96,84	81,41,11	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	3,25,70	75,66	2,50,04	..
59. ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
राजस्व—				
दत्तमत	81,65,00	81,65,00
60. जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	18,48,00	18,47,13	87	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,80,40,00	1,78,53,89	1,86,11	..
61. बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	1,59,46,07	52,46,00	1,07,00,07	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	7,04,50,21	4,54,79,37	2,49,70,84	..
62. पंचायत				
राजस्व—				
दत्तमत	1,24,58,95	1,14,68,43	9,90,52	..
प्रभारित	1,70	..	1,70	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	(हजार ₹ में)			
63. अल्पसंख्यक कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	51,02,86	43,11,12	7,91,74	..
<i>प्रभारित</i>	8	..	8	..
64. अनुसूचित जाति उपयोजना राजस्व—				
दत्तमत	20,41,52,19	17,32,56,59	3,08,95,60	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	17,14,58,31	13,12,04,47	4,02,53,84	..
65. विमानन राजस्व—				
दत्तमत	22,26,74	15,80,41	6,46,33	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,01	..	1,01	..
66. पिछड़ा वर्ग कल्याण राजस्व—				
दत्तमत	5,69,52,88	5,61,07,82	8,45,06	..
<i>प्रभारित</i>	30	..	30	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	27,25,00	21,25,00	6,00,00	..
67. लोक निर्माण कार्य—भवन राजस्व—				
दत्तमत	4,28,64,29	3,44,20,53	84,43,76	..
<i>प्रभारित</i>	2,00,00	52,00	1,48,00	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	1,38,84,65	93,05,87	45,78,78	..
68. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व—				
दत्तमत	32,15,32	26,98,99	5,16,33	..
69. सूचना प्रौद्योगिकी राजस्व—				
दत्तमत	42,23,84	37,89,66	4,34,18	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	22,50,01	22,50,00	1	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
70. तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं राजस्व— दत्तमत	13,36,04	39,87	12,96,17	..
71. जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) राजस्व— दत्तमत	4,75,00	3,53,65	1,21,35	..
72. भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास राजस्व— दत्तमत	69,55,96	65,81,75	3,74,21	..
पूजीगत— दत्तमत	10,59,05	9,08,92	1,50,13	..
73. चिकित्सा शिक्षा राजस्व— दत्तमत	3,90,97,15	3,60,14,29	30,82,86	..
पूजीगत— दत्तमत	31,10,01	29,40,20	1,69,81	..
74. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व— दत्तमत	58,72,37,72	55,88,10,73	2,84,26,99	..
पूजीगत— दत्तमत	12,77,51	12,77,51
75. नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता राजस्व— दत्तमत	45,61,01,80	42,27,89,00	3,33,12,80	..
<i>प्रभारित</i>	<i>1,32,00,00</i>	<i>1,32,00,00</i>		
पूजीगत— दत्तमत	16,50,00	16,50,00
76. नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा राजस्व— दत्तमत	29,17,84	24,92,15	4,25,69	..

विनियोग लेखे का सार—जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	व्यय	अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना	
			बचत	आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(हजार ₹ में)				
77. स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)				
राजस्व—				
दत्तमत	14,47,45,70	11,82,63,84	2,64,81,86	..
प्रभारित	60,00	3,69	56,31	..
पूँजीगत—				
दत्तमत	22,35,00	22,35,00
78. सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय				
राजस्व—				
दत्तमत	1,07,00,00	1,07,00,00
योग—				
राजस्व:				
दत्तमत	6,38,25,10,59	5,55,64,55,20	82,60,55,39	..
प्रभारित	85,05,37,05	75,67,54,45	9,38,05,69	23,09
पूँजीगत:				
दत्तमत	2,14,39,82,43	1,70,85,64,12	43,54,18,31	..
प्रभारित	76,53,09,40	37,44,45,29	39,08,65,28	1,17
महायोग—				
राजस्व	7,23,30,47,64	6,31,32,09,65	91,98,61,08	23,09
पूँजीगत	2,90,92,91,83	2,08,30,09,41	82,62,83,59	1,17

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है:—

	अनुदान संख्या और नाम	अनुभाग
10	वन	राजस्व प्रभारित
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	पूँजीगत प्रभारित

विनियोग लेखे के सार में दिखाये गए व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत पेशगियों से व्यय की गई कोई भी राशि शामिल नहीं है, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि को पूर्ति नहीं की गई।

विनियोग लेखे के सार में राजस्व अनुभाग में स्तंभ क्रमांक (3) में दर्शित व्यय में 94,86.47 लाख ₹ (दत्तमत) एवं पूँजीगत अनुभाग में 2,94,11.95 लाख ₹ (दत्तमत) कुल राशि 3,88,98.42 लाख ₹ 31 मार्च 2013 को विभिन्न अनुदानों से आहरित कर शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा कर दी गई है। इस प्रकार की निधियों के अंतरण का विवरण **परिशिष्ट—II** में दर्शाया गया है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशि के लिए हैं जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2012—13 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दिया गया है।

	राजस्व		पूँजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(हजार ₹ में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	5,55,64,55,20	75,67,54,45	1,70,85,64,12	37,44,45,29
घटाइये—वसूलियों का जोड़	1,63,56,20	..	2,93,99,94	..
वित्त लेखे की विवरण संख्या—10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	5,54,00,99,00	75,67,54,45	1,67,91,64,18	37,44,45,29

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण **परिशिष्ट—I** में दर्शाया गया है।

प्रावधान में दस प्रतिशत से अधिक बचत निम्नलिखित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अंतर्गत हुई:—

[क] दत्तमत अनुदान

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| (i) | राजस्व—अनुदान संख्या | 01, 03, 04, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 48, 50, 53, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 76, 77 |
| (ii) | पूँजीगत—अनुदान संख्या | 01, 02, 03, 06, 08, 09, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 41, 42, 45, 53, 55, 58, 61, 64, 65, 66, 67, 72 |

[ख] प्रभारित विनियोग

- | | | |
|------|-----------------------|--|
| (i) | राजस्व—अनुदान संख्या | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 44, 49, 50, 51, 62, 63, 66, 67, 77 |
| (ii) | पूँजीगत—अनुदान संख्या | लोक ऋण, 06, 21, 23, 48 |

लोक लेखा समिति द्वारा उपशीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा 10.00 लाख ₹ निर्धारित की गई।

भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मध्यप्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हे एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।


विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाऊचरों, चालानों तथा प्रारंभिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

मध्यप्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबंधित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिए मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अर्थार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जाँच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मध्यप्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।



(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

दिनांक: 19 नवम्बर 2013

स्थान: नई दिल्ली

भारत विनियोग—ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2048—ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन			
2049—ब्याज अदायगियां			

राजस्व:

मूल	62,75,07,70		
पूरक	1,78,84,11	64,53,91,81	55,63,73,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-)8,90,17,93 46,61

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2012 (1,33,80.80 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2012 (45,04.11 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,78,84.11 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 8,90,17.93 लाख ₹ की उपलब्ध वृहद बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 46.61 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2049-01-101-5025-म.प्र.राज्य विकास ऋण	1,00,00.00	85,98.05	(-)14,01.95
(2) 2049-01-101-5059-7.65% म.प्र.राज्य विकास ऋण — 2016	15,30.00	7,65.00	(-)7,65.00
(3) 2049-01-101-5518-8.49% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2017	53,06.25	26,53.13	(-)26,53.12
(4) 2049-01-101-5848-6.40% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2018	40,00.00	22,13.18	(-) 17,86.82
(5) 2049-01-101-5856-7.77% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2018	83,53.00	68,00.46	(-) 15,52.54
(6) 2049-01-101-5878-8.40% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2018	84,86.00	65,61.75	(-)19,24.25
(7) 2049-01-101-6054-8.31% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2019	1,29,63.60	94,81.80	(-)34,81.80
(8) 2049-01-101-6056-8.31% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2020	1,29,05.43	40,94.29	(-) 88,11.14
(9) 2049-01-101-6237-8.54% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2020	98,03.93	73,53.92	(-) 24,50.01

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(10)2049-01-101-6419-6.40% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2013	24,26.37	12,13.18	(-)12,13.19
(11)2049-01-101-6763-नया बाजार ऋण	1,00,00.00	85,47.50	(-)14,52.50
(12)2049-01-101-6766-6.20%म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2015	14,16.30	7,08.15	(-)7,08.15
(13) 2049-01-101-6769-6.00% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2013	13,21.29	6,60.00	(-)6,61.29
(14) 2049-01-101-6957-7.77% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2015	32,48.18	16,24.09	(-)16,24.09
(15)2049-01-101-6959-7.53%म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2015	3,76.68	1,88.34	(-)1,88.34
(16)2049-01-101-7105-8.00% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2012	10,32.56	..	(-)10,32.56
(17)2049-01-101-7110-6.94% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2012	8,57.09	..	(-)8,57.09
(18) 2049-01-101-7191-9.05% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2021	90,50.00	..	(-)90,50.00
(19) 2049-01-101-7192-8.65% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2022	1,29,75.00	65,47.50	(-)64,27.50
(20) 2049-01-101-7245-8.92% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2022 पूरक	44,60.00	44,60.00	..
(21) 2049-01-101-7887-5.85% म.प्र.राज्य विकास ऋण, 2017	46,79.75	23,39.87	(-)23,39.88
(22) 2049-01-123-5042-भारत सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	17,75,00.00	17,69,91.29	(-)5,08.71

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8), (10) से (15), (19), (21) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत बचत तथा क्रम संख्या (16) से (18) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (4), (11) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10, क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 एवं क्रम संख्या (12) से (13) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(23) 2049-01-200-1217-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मर्यादित से लिए गए ऋणों पर ब्याज— मूल 16,00.00 पुनर्वि. 25.73	16,00.00 25.73	16,25.73	.. (-)16,25.73
<p>25.73 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा विनियोग में वृद्धि ब्याज के भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(24) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गये ऋणों पर ब्याज	2,40,00.00	2,06,87.12	(-) 33,12.88
(25) 2049-01-200-6235-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल से लिए गये ऋणों पर ब्याज	2,24.70	..	(-)2,24.70
(26) 2049-01-200-6816-पॉवर बाण्डस् — 2 ब्याज भुगतान	66,02.40	54,70.56	(-)11,31.84
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (24) एवं (26) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (25) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(27) 2049-01-200-6904-हुडको से लिये गये ऋण पर देय ब्याज— मूल 24,50.00 पुनर्वि. (-)14.25	24,50.00 (-)14.25	24,35.75	16,77.92 (-)7,57.83
<p>14.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हुडको से लिये गये ऋण के ब्याज का भुगतान न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(28) 2049-01-200-6973-स्थानीय निधि निक्षेप खातों पर ब्याज	10,00.00	3,36.00	(-)6,64.00
(29) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचालन सम्बन्धी व्यय	5,00.00	58.50	(-)4,41.50
(30) 2049-03-104-0095-अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ब्याज	10,00.00	6,23.54	(-)3,76.46
(31) 2049-03-104-0807-कामगार अंशदायक भविष्य निधि पर ब्याज	7,00.00	..	(-)7,00.00
(32) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज	30,00.00	..	(-) 30,00.00
(33) 2049-03-104-6854-अंशदायी पेंशन योजना	6,00.00	..	(-)6,00.00
(34) 2049-03-108-0117-परिभाषित पेंशन योजना पर ब्याज	5,00.00	..	(-)5,00.00

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(35) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	7,50,00.00	3,25,61.06	(-) 4,24,38.94
(36) 2049-04-102-0930-केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज	2,83.25	..	(-)2,83.25
(37) 2049-04-103-0925-केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	12,00.00	..	(-)12,00.00
(38) 2049-04-104-0471-आयोजनेतर के लिये ऋणों पर ब्याज	8,50.00	6,29.42	(-) 2,20.58
(39) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	8,70.00	..	(-)8,70.00
(40) 2049-60-701-6971-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना – 2003 (बचत निधि पर ब्याज)	25,00.00	..	(-)25,00.00
(41) 2049-60-701-6972-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना – 1985 (बचत निधि पर ब्याज)	60,00.00	..	(-)60,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (28) से (30), (35) एवं (38) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं क्रम संख्या (31) से (34), (36), (37) एवं (39) से (41) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (28), (30), (31), (34) एवं (39) से (41) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10, क्रम संख्या (32) से (33) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 एवं क्रम संख्या (36) से (38) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2049-01-200-4486-सामान्य बीमा निगम से लिए गये ऋणों पर ब्याज—			
मूल	1,20.00		
पुनर्वि.	14.00	1,34.00	1,33.96
			(-)0.04

14.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन ऋण पर ब्याज के भुगतान के कारण हुआ।

(2) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधियों पर ब्याज	7,00,00.00	7,71,35.18	+ 71,35.18
--	------------	------------	------------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान आधिक्य हुआ था।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा—समाप्त

(v) बिना विनियोग के व्यय:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2049-04-109-5691-12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर ब्याज	..	3,30,32.30	+ 3,30,32.30

3,30,32.30 लाख ₹ का व्यय बजट में निधियों के विनियोग के बिना किया गया, जिसके कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)।

भारत विनियोग-लोक ऋण
(सभी प्रभारित)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004-केंद्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत			
मूल	74,82,72,95		
पूरक	4,37,35	74,87,10,30	35,83,93,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-39,03,16,73) 4,37,35

टीका एवं टिप्पणियां
पूँजीगत:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 4,37.35 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 39,03,16.73 लाख ₹ की उपलब्ध वृहद बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 4,37.35 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6003-109-6236-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल से लिये गये कर्ज	2,10.20	..	(-)2,10.20
(2) 6003-109-6962-हुडको से प्राप्त ऋण	1,02,00.16	91,64.16	(-)10,36.00
(3) 6003-110-0637-उपाय तथा साधन अग्रिम	20,00,00.00	..	(-)20,00,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 तथा क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 6003-110-0779-कमियों की पूर्ति के लिए
अग्रिम-

मूल	20,00,00.00		
पुनर्वि.	(-)4,37.35	19,95,62.65	..
			(-)19,95,62.65

समर्पण के रूप में 4,37.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 6004-01-800-5097-इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन हेतु ऋण	32.50	..	(-)32.50
(6) 6004-03-800-8437-त्वरित लाभप्रद कार्यक्रम हेतु ऋण	2,70.74	..	(-)2,70.74

भारित विनियोग-लोक ऋण-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 6004-04-102-3128-भू एवं जल संरक्षण के लिये उधार	1,53.53	..	(-)1,53.53
(8) 6004-04-205-0070-अंतर्राज्यीय परिषण लाईनों के लिए ऋण	13.31	..	(-)13.31
(9) 6004-04-800-0069-अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए ऋण	54.86	..	(-)54.86
(10) 6004-04-800-5236-राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास के लिये उधार	1,54.82	..	(-)1,54.82
(11) 6004-04-800-6420-माइक्रो मनेजमेण्ट हेतु उधार	2,01.55	..	(-)2,01.55
(12) 6004-04-800-9098-लघु एवं मध्यम नगरों के एकीकृत विकास हेतु उधार	57.57	..	(-)57.57

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (12) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6004-02-101-3052-ब्लाक कर्जे	1,59,80.25	1,70,01.30	+10,21.05
(2) 6004-02-101-9086-बाह्य पोषित परियोजनाओं हेतु बेक टू बेक ऋण	1,35.00	1,11,63.80	+1,10,28.80

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 एवं क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(v) बिना विनियोग के व्यय:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6003-109-7061-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण का भुगतान	..	4,67.10	+4,67.10

विनियोग विधेयक 2012-13 (द्वितीय अनुपूरक) में भारत विनियोग लोक ऋण के स्थान पर अनुदान संख्या 06 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण बिना विनियोग के 4,67.10 लाख ₹ का व्यय किया गया।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्रिपरिषद्			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—				
मूल	2,41,60,77			
पूरक	34,45,48	2,76,06,25	2,35,01,02	(-) 41,05,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (6- 30- 31 मार्च 2013)				35,03,74

2,35,01.02 लाख ₹ के कुल व्यय में सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा शीर्ष 2070—003—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—8808—सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 5,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित—

मूल	19,06,83			
पूरक	5,38,05	24,44,88	20,72,37	(-) 3,72,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (6- 30- 31 मार्च 2013)				3,92,39

पूंजीगत:

दत्तमत—				
मूल	4,79,95			
पूरक	6,08,50	10,88,45	9,42,55	(-) 1,45,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				54,56

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (6,26.79 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (23,18.69 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (5,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 34,45.48 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 01—जारी

(ii) 41,05.23 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 6- 30- 31 मार्च 2013 को केवल 35,03.74 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान—			
मूल	7,00.00		
पुनर्वि.	(-) 50.00	6,50.00	5,93.61 (-) 56.39
पुनर्विनियोजन के रूप में 50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2013-800-3283-मंत्रियों के दौरे के समय पेट्रोल पर व्यय—			
मूल	2,00.50		
पुनर्वि.	(-) 8.00	1,92.50	1,38.78 (-) 53.72
8.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में पुनर्विनियोजन के रूप में 10.00 लाख ₹ की कमी एवं 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी दूरभाष देयकों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई एवं वृद्धि पी.ओ.एल. के देयकों की कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(3) 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन आयोग—			
मूल	7,49.11		
पुनर्वि.	(-) 1,93.56	5,55.55	5,54.34 (-) 1.21
1,93.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 1,96.56 लाख ₹ की कमी एवं 3.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि राज्य निर्वाचन आयुक्त को अवकाश यात्रा सुविधा के अग्रिम का भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2015-101-6757-स्थानीय निकायों का निर्वाचन व्यय—			
मूल	9,61.53		
पुनर्वि.	(-) 4,82.72	4,78.81	3,98.97 (-) 79.84
4,82.72 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः आर्थिक उपायों के कारण हुई (3.00 लाख ₹)। समर्पण के रूप में शेष कमी (4,79.72 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(5) 2052-090-4327-सचिवालय—			
मूल	65,84.22		
पूरक	1,77.54		
पुनर्वि.	(-) 13,13.98	54,47.78	54,14.44 (-) 33.34

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -	
<p>13,13.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 15,54.08 लाख ₹ (समर्पण 8,63.08 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,91.00 लाख ₹) की कमी एवं 2,40.10 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने, मंहगाई भत्ते में बचत एवं चालक को मजदूरी के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (8,81.04 लाख ₹) तथा वृद्धि मकान किराया भत्ते का भुगतान होने, मजदूरी की कलेक्टरेट दरों में वृद्धि होने, लोकायुक्त की तरफ से वरिष्ठ अधिकारियों को पैरवी के लिये फीस का भुगतान करने, वाहन भत्ता की बकाया राशि का भुगतान होने, मंत्रालय में पदस्थ अतिरिक्त मुख्य सचिव/मुख्य सचिव/सचिव के लिये एल.सी.डी.टी.वी.खरीदने के कारण, स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, स्वतंत्रता दिवस समारोह पर बच्चों के लिये स्वल्पाहार की व्यवस्था करने एवं स्वच्छता व्यवस्था के लिये अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण हुई। शेष कमी (6,73.04 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>				
(6) 2053-093-5379-लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना— पूरक	4,08.25	4,08.25	2,58.05	(-) 1,50.20
(7) 2053-093-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5163-सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल की स्थापना— मूल पुनर्वि.	4,50.00 (-) 2,25.00	2,25.00	2,25.00	..
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 2,25.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत एवं क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>				
(8) 2055-101-4544-सी.आई.डी. (इकानामिक आफेंसेस)— मूल पूरक पुनर्वि.	13,75.26 30.65 (-) 2,06.38	11,99.53	11,99.66	+ 0.13
<p>2,06.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,49.54 लाख ₹ (समर्पण 2,06.38 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 43.16 लाख ₹) की कमी एवं 43.16 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी यात्रा भत्ता देयक प्राप्त नहीं होने, पद रिक्त रहने, दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं वेतन शीर्ष के लिये राशि का आवंटन नहीं होने के कारण हुई जबकि वृद्धि वाहनों के रख-रखाव के लिये राशि की अतिरिक्त आवश्यकता होने, स्वीकृत नवीन दूरभाष कनेक्शन चालू होने की संभावना होने एवं लंबित मानदेय देयकों, वाहन देयकों एवं अन्य भत्ते का भुगतान होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>				
(9) 2070-104-3844-लोक आयुक्त— मूल पूरक पुनर्वि.	18,99.10 3,52.16 (-) 2,85.86	19,65.40	19,64.24	(-) 1.16
<p>2,85.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,88.36 लाख ₹ (समर्पण 2,85.86 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2.50 लाख ₹) की कमी एवं 2.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, आर्थिक कटौती एवं संभागीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के रिक्त पद नहीं भरे जाने के कारण हुई। वृद्धि नवीन वाहनों की लागत में वृद्धि होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>				

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2251-090-4327-सचिवालय—			
मूल	27,10.00		
पुनर्वि.	(-) 5,34.33	21,75.67	21,69.68
			(-) 5.99

5,34.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,72.33 लाख ₹ (समर्पण 5,34.33 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 38.00 लाख ₹) की कमी एवं 38.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पदरिक्त रहने, छठवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन एवं समयमान वेतनमान की बकाया राशि के भुगतान पर व्यय में कमी होने के कारण हुई। वृद्धि मकान किराया भत्ता एवं वाहन भत्ता का भुगतान करने एवं देयक अधिक संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 3451-090-4327-सचिवालय—				
मूल	20,89.25			
पुनर्वि.	(-) 4,81.61	16,07.64	16,23.98	+ 16.34

4,81.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,03.61 लाख ₹ (समर्पण 4,30.01 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 73.60 लाख ₹) की कमी एवं 22.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने एवं छठवें वेतन आयोग एवं समयमान वेतन की बकाया राशि के भुगतान पर कम व्यय होने के कारण हुई। वृद्धि एल.सी. डी.टी.वी. क्रय करने, मकान किराया भत्ता तथा वाहन भत्ता की बकाया राशि का भुगतान करने एवं देयक अधिक संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2013-105-5839-मुख्य मंत्री वैवेकिक अनुदान—			
मूल	30,00.00		
पूरक	15,00.00		
पुनर्वि.	5,00.00	50,00.00	48,76.63
			(-) 1,23.37

5,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अनुदान प्राप्तकर्ताओं के उपचार के लिये अधिक संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2013-108-3283-मंत्रियों के दौरे के समय पैट्रोल पर व्यय	60.00	1,02.62	+ 42.62
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

प्रभारित—

(v) 3,72.51 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 30.00 लाख ₹ एवं 8.05 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 5,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 6- 30- 31 मार्च 2013 को किया गया 3,92.39 लाख ₹ का समर्पण, 3,72.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

अनुदान संख्या 01—जारी

(viii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2012-03-090-4330-सचिवालय (भारित)—			
मूल	2,88.56		
पूरक	3.10		
पुनर्वि.	(-) 65.69	2,25.97	2,33.53 + 7.56

65.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 81.29 लाख ₹ (समर्पण 41.44 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 39.85 लाख ₹) की कमी एवं 15.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त रहने, आर्थिक उपायों एवं मकान किराया भत्ते का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई (66.04 लाख ₹)। वृद्धि अंशतः अवकाश यात्रा रियायत एवं चिकित्सा के लंबित देयकों का भुगतान करने, महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि होने एवं भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के अधिकारियों के लिये 193वां इण्डक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम के कारण हुई (7.60 लाख ₹)। शेष कमी (15.25 लाख ₹) एवं शेष वृद्धि (8.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2012-03-103-9059-धरेलु कर्मचारी

(भारित)—

मूल	3,14.04		
पुनर्वि.	(-) 16.01	2,98.03	2,95.75 (-) 2.28

16.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 40.01 लाख ₹ (समर्पण 28.01 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 12.00 लाख ₹) की कमी एवं 24.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने एवं आर्थिक उपायों के कारण हुई (19.00 लाख ₹) जबकि वृद्धि एजेन्सी श्रमिकों के लंबित देयकों का भुगतान होने एवं मूल्य में वृद्धि होने के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (21.01 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2051-102-3689-राज्य लोक सेवा

आयोग—

मूल	12,07.57		
पूरक	5,07.95		
पुनर्वि.	(-) 3,08.76	14,06.76	14,22.08 + 15.32

3,08.76 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,11.76 लाख ₹ (समर्पण 3,08.76 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3.00 लाख ₹) की कमी एवं 3.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आर्थिक उपायों, रिक्त पद नहीं भरे जाने, देयक प्राप्त नहीं होने, अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने, पेट्रोल एवं अन्य उपशीर्षों में मितव्ययिता, परिवहन व्यवस्था से संबंधित देयक प्राप्त नहीं होने, परीक्षा देयक प्राप्त नहीं होने एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2010 के साक्षात्कार आयोजित नहीं किये जाने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(viii) 1,45.90 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 1.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 6,07.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ix) 1,45.90 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 54.56 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 01—समाप्त

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-6783-लोक सेवा केन्द्रों की स्थापना—				
पूरक	5,01.00			
पुनर्वि.	(-) 29.00	4,72.00	4,72.00	..

समर्पण के रूप में 29.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जबलपुर एवं शिवपुरी के जिलाध्यक्षों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई।

(2) 4059-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—				
5817-प्रशासनिक भवन का निर्माण—				
पूरक	1,00.00	1,00.00	..	(-) 1,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	44,50,22		
पूरक	1,64,01	46,14,23	45,44,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30— 31 मार्च 2013)			(-) 69,89 1,75,02
पूंजीगत		3,26,00	1,89,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 1,37,00 1,37,00

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 69.89 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 9.00 लाख ₹ एवं 55.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 1,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 30— 31 मार्च 2013 को किया गया 1,75.02 लाख ₹ का अभ्यर्पण 69.89 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(iii) यद्यपि 69.89 लाख ₹ की सम्पूर्ण बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:-			
(1) 2052-092-8243-मानव अधिकार आयोग को सहायक अनुदान	5,24.61	4,72.15	(-) 52.46
(2) 2250-800-7300-उत्कृष्टता पुरस्कार योजना	1,72.75	53.25	(-) 1,19.50

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

[ब] आधिक्य:-

2235-60-107-4674-स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भत्ते तथा उपादान	14,00.00	17,90.23	+ 3,90.23
--	----------	----------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 02—समाप्त

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5668-राज्य सूचना आयोग का भवन निर्माण— मूल 3,26.00 पुनर्वि. (-) 1,37.00	1,89.00	1,89.00	..

समर्पण के रूप में 1,37.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कम राशि के आहरण के कारण हुई।

अनुदान संख्या 03-पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2041-वाहन कर			
2055-पुलिस			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216-आवास			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	28,99,30,59			
पूरक	3,83,92,01	32,83,22,60	28,71,77,93	(-) 4,11,44,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				5,49

28,71,77.93 लाख ₹ के कुल व्यय में पुलिस विभाग द्वारा शीर्ष 2055-109-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)-6463-पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वां वित्त आयोग) (4,18.36 लाख ₹) के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2013 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 4,18.36 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित-

मूल	51,00			
पूरक	50,00	1,01,00	52,50	(-)48,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत-

मूल	72,85,26			
पूरक	23,53,00	96,38,26	69,65,25	(-)26,73,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (24,76.55 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (3,44,46.46 लाख ₹) एवं मार्च 2013 में (14,69.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 3,83,92.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,11,44.67 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 5.49 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 03—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2055-001-1011—क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना—			
मूल	9,17.56		
पूरक	11.85		
पुनर्वि.	(-)5.00	9,24.41	7,94.49
			(-)1,29.92
पुनर्विनियोजन के रूप में 5.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 16.50 लाख ₹ की कमी एवं 11.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2055-001-3680-राज्य मुख्यालय—			
मूल	34,20.10		
पूरक	7,34.00		
पुनर्वि.	8.50	41,62.60	36,10.17
			(-)5,52.43
8.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 44.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 36.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अन्य भत्ते, ग्रेड पे एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति में अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(3) 2055-101-0270-अपराध अनुसंधान विभाग—			
मूल	82,81.61		
पूरक	15,94.00		
पुनर्वि.	12.86	98,88.47	86,70.70
			(-)12,17.77
12.86 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,78.87 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5,66.01 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यतः सरकार द्वारा पारितोषिक पास किये जाने, कार्यालय व्यय के अन्तर्गत सभी मदों में लंबित देयकों का भुगतान होने, औजारों की मरम्मत एवं सर्विसिंग होने एवं बैटरी क्रय करने, भविष्य में होने वाले लोक सभा एवं विधान सभा चुनाव एवं वी.वी.आई.पी. की सुरक्षा व्यवस्था के लिये दस बुलेट कार क्रय करने के कारण हुई (5,72.92 लाख ₹)। शेष वृद्धि (5.95 लाख ₹) एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2055-101-0279-अभियोजन संचालनालय—			
मूल	34,20.75		
पूरक	2,03.50	36,24.25	30,99.45
			(-)5,24.80
(5) 2055-101-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)—			
6269-न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग)	2,45.80	..	(-)2,45.80
(6) 2055-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5554-साइबर अपराध अन्वेषण	3,50.01	2,76.93	(-)73.08

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2055-109-1816-डकैती रोधक अभियान—

मूल	26,33.25			
पूरक	2,93.52			
पुनर्वि.	55.00	29,81.77	26,19.07	(-3,62.70)

55.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 90.35 लाख ₹ की वृद्धि एवं 35.35 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः ग्रेड पे में अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण हुई (70.00 लाख ₹)। शेष वृद्धि (20.35 लाख ₹) एवं कमी के विशिष्ट कारण/कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला
स्थापना)—

मूल	16,33,84.12			
पूरक	2,01,52.67			
पुनर्वि.	(-)2,48.05	18,32,88.74	16,06,71.15	(-)2,26,17.59

2,48.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 26,68.74 लाख ₹ की कमी एवं 24,20.69 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 लागू होने, रिवाँल्वर क्रय किये जाने एवं फर्नीचर का रखरखाव किये जाने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(9) 2055-109-6919-सुरक्षा संबंधी व्यय—

मूल	2,92.50			
पूरक	1,77.00	4,69.50	3,97.27	(-)72.23

(10) 2055-109-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)—

5555-बड़े शहरो एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा		2,89.00	..	(-)2,89.00
--	--	---------	----	------------

(11) 2055-110-9070-ग्राम रक्षा समितियां—

मूल	3,77.71			
पूरक	1.00	3,78.71	3,31.08	(-)47.63

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (11) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 2055-114-4155-बेतार केन्द्र भोपाल/
ग्वालियर—

मूल	70,82.61			
पूरक	8,61.86	79,44.47	71,48.68	(-)7,95.79

निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (2.20 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(13) 2055-115-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	70,00.00	..	(-)70,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 2055-116-4011-विधि चिकित्सा विज्ञान प्रयोग शाला सागर—			
मूल	11,19.81		
पूरक	1,14.00		
पुनर्वि.	12.14	12,45.95	10,98.01
			(-)1,47.94
12.14 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन रिवात्वर क्रय करने के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं सभी शीर्षों में लंबित देयकों का भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 2070-107-2710-प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधिनस्थ कार्यालय—			
मूल	37,39.26		
पूरक	1,13.53	38,52.79	34,59.96
			(-)3,92.83
निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (39.13 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि होम गार्ड्स, नियमित कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा देयकों के भुगतान के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने, महंगाई भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि होने, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं होम गार्ड्स, मांगेली एवं जबलपुर के आवश्यकताओं के लिये दवाईयां खरीदने एवं अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को यात्रा अवकाश रियायत देयकों का भुगतान किये जाने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(16) 2070-107-4670-स्वयं सेवकों का प्रशिक्षण	3,61.00	3,07.06	(-)53.94
निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (25.00 लाख ₹ प्रत्येक) की कमी एवं वृद्धि हुई। वृद्धि होम गार्ड्स के मानदेय राशि एवं खुराक प्रभार में वृद्धि होने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(17) 2070-107-7867-नगर सेवा का आधुनिकीकरण	5,30.00	..	(-)5,30.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			

प्रभारित—

(iv) 48.50 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 50.00 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) 48.50 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—			
शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)—			
मूल	50.00		
पूरक	50.00	1,00.00	52.50
			(-)47.50

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (11,25.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2012 (12,28.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 23,53.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(viii) 26,73.01 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4055-211-2643-पुलिस बल का आधुनिकीकरण	25,00.00	..	(-)25,00.00
(2) 4070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7188-आपदा प्रबंधन के लिये निर्माण	1,25.00	..	(-)1,25.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्रिपरिषद्			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
6235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	20,27,72			
पूरक	1,03,03	21,30,75	18,01,37	(-) 3,29,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				91,36

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(30 मार्च 2013)

5,01	61	(-) 4,40
		4,39

पूंजीगत:

दत्तमत

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)	61,01	60,00	(-) 1,01	1,00
---	-------	-------	----------	------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (3.24 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (69.79 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (30.00 लाख ₹) प्राप्त किया गया 1,03.03 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,29.38 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 91.36 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2070-114-3598-मोटर गैरेज—			
मूल	5,16.56		
पूरक	15.24		
पुनर्वि.	(-) 50.58	4,81.22	4,76.76
			(-) 4.46

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>समर्पण के रूप में 50.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 62.88 लाख ₹ की कमी तथा 12.30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अधीक्षक एवं कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के कारण पदों के रिक्त रहने, गंभीर बीमारी से ग्रस्त कर्मचारी की मृत्यु, अनुमान से अधिक आवंटन प्राप्त होने, 20 प्रतिशत की राशि विमुक्त न होने एवं मितव्ययिता के परिणाम स्वरूप हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(2) 2070-114-4617-स्टेट गैरेज के पेट्रोल पम्प से अन्य विभागों को विक्रय किये जाने हेतु पी.ओ.एल.की खरीद—			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-) 40.78	1,59.22	1,59.19
			(-) 0.03
<p>समर्पण के रूप में 40.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अनुमान से कम पेट्रोल का उपयोग एवं मितव्ययिता के परिणाम स्वरूप हुई।</p>			
(3) 2216-80-001-5347-संपदा संचालनालय—			
मूल	83.79		
पूरक	3.00	86.79	61.46
			(-) 25.33
(4) 2235-60-200-2653-पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिये अनुदान, सहायक अनुदान		1,50.00	15.30
			(-) 1,34.70
<p>बचत के कारण सूचित नहीं किये गए (अगस्त 2013)। क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(5) 2235-60-200-8721-पुत्र/पुत्रियों को प्रतिरक्षा में भर्ती कराने वाले माता— पिता के लिये सम्मान निधि/ पुरस्कार—			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	(-) 35.50	44.50	32.10
			(-) 12.40
<p>35.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सम्मान निधि केवल पुत्रियों को दिये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			

अनुदान संख्या 05-जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष- 2056-जेल 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	1,71,40,33		
पूरक	17,39,53	1,88,79,86	1,86,75,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 2,04,86 1,98,72
<i>प्रभारित</i>		50	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)</i>			(-) 50 50
पूंजीगत		31,01	31,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) 2,04.86 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 3,99.76 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 13,39.77 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,04.86 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 1,98.72 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 06-वित्त

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं			
2049- ब्याज अदायगियां			
2052-सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2054-खजाना एवं लेखा प्रशासन			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2071-पेंशन तथा सेवानिवृत्ति हित लाभ			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय			
6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6075-विविध सामान्य सेवाओं पर कर्ज			
6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज			
7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
7810-अन्तर्राज्यीय परिशोधन			
7999-आकस्मिक निधि हेतु विनियोग			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	72,88,94,57		
पूरक	1,10,00	72,90,04,57	50,63,39,89 (-) 22,26,64,68
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30- 31 मार्च 2013)			52,05,44
प्रभारित-			
मूल	14,77,90		
पूरक	10,00,00	24,77,90	11,84,79 (-) 12,93,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			30
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	14,33,80,01		
पूरक	5,05,50	14,38,85,51	64,32,91 (-) 13,74,52,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
प्रभारित-			
पूरक	4,67,10	4,67,10	.. (-) 4,67,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 1,10.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 06—जारी

(ii) 22,26,64.68 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30— 31 मार्च 2013 को केवल 52,05.44 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2047-103-9120-संचालन (जिला कार्यालय)–			
मूल	3,04.21		
पुनर्वि.	(-) 1,23.71	1,80.50	1,77.56 (-) 2.94
समर्पण के रूप में 1,23.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(2) 2052-091-4296-संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था–			
मूल	3,95.13		
पुनर्वि.	(-) 1,16.85	2,78.28	2,78.14 (-) 0.14
1,16.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,21.35 लाख ₹ (समर्पण 1,18.85 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2.50 लाख ₹) की कमी एवं 4.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः संकेत सूचना एजेन्सी से एच.डी.आर.से संबंधित देयक प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (2.50 लाख ₹)। वृद्धि 2012—13 में अपर्याप्त प्रावधान होने एवं जल प्रभार देयकों का भुगतान होने के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (1,18.85 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(3) 2052-091-5338-राज्य वित्त आयोग–			
मूल	98.31		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(-) 61.94	36.38	33.85 (-) 2.53
61.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 80.83 लाख ₹ (समर्पण 61.94 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 18.89 लाख ₹) की कमी एवं 18.89 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः स्वीकृत पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई (18.89 लाख ₹)। वृद्धि सदस्य सचिव की नियुक्ति होने, अध्यक्ष के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि होने, अध्यक्ष के दौरे होने तथा राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष का आयकर जमा किये जाने के कारण हुई। शेष कमी (61.94 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 2052-091-6357-पी.पी.पी.प्रकोष्ठ का सुदृढीकरण–			
मूल	55.00		
पुनर्वि.	(-) 52.78	2.22	2.33 + 0.11
52.78 लाख ₹ (समर्पण 50.78 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के कारणों/विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(5) 2052-091-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–			
7315-शासकीय कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण–			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	(-) 10,00.00

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5631-वित्तीय समावेशन हेतु अधोसंरचना विकास— मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-) 5,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 10,00.00 लाख ₹ एवं 5,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(7) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5652-म.प्र. परियोजना विकास कोष योजना— मूल 2,00.00 पुनर्वि. (-) 1,98.65	1.35	1.35	..
समर्पण के रूप में 1,98.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2054-095-2304-निदेशन एवं प्रशासन— मूल 8,23.39 पुनर्वि. 10.26	8,33.65	7,50.57	(-) 83.08
(9) 2054-095-4307-संभागीय स्थापना— मूल 9,64.30 पुनर्वि. 0.18	9,64.48	7,40.48	(-) 2,24.00
उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 10.26 लाख ₹ एवं 0.18 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण होने एवं मकान किराया भत्ता एवं वाहन भत्ता में वृद्धि होने के कारण होना सूचित की गई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(10) 2054-095-6217-केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा	7,50.00	..	(-) 7,50.00
(11) 2054-095-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	76,83.13	6,05.04	(-) 70,78.09
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 तथा क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2054-097-1026-खजाना स्थापना— मूल 54,47.74 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-) 21.88	54,25.86	44,61.69	(-) 9,64.17
21.88 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 23.38 लाख ₹ की कमी एवं 1.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने के कारण हुई जबकि वृद्धि अधिकारियों/कर्मचारियों का स्थानान्तरण होने एवं मकान किराया भत्ता एवं वाहन भत्ते में वृद्धि होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(13) 2054-098-4361-बीमा तथा स्थानीय निधि लेखा	47,70.14	32,31.77	(-) 15,38.37
(14) 2070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0224-अन्य व्यय	12,00,00.00	..	(-) 12,00,00.00
(15) 2071-01-101-5158-सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	1,25.00	..	(-) 1,25.00
(16) 2071-01-101-9998-मध्यप्रदेश	3,83,00.00	3,71,43.05	(-) 11,56.95
(17) 2071-01-101-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	32,40,00.00	27,13,41.75	(-) 5,26,58.25
(18) 2071-01-102-9998-मध्यप्रदेश	6,00.00	1,91.40	(-) 4,08.60
(19) 2071-01-102-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	12,00.00	2,82.55	(-) 9,17.45
(20) 2071-01-104-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	7,35,00.00	4,26,62.18	(-) 3,08,37.82
(21) 2071-01-105-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	7,87,50.00	6,32,08.83	(-) 1,55,41.17
(22) 2071-01-115-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	2,36,25.00	1,53,85.37	(-) 82,39.63
(23) 2071-01-200-5653-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को पेंशन का भुगतान	34,00.00	0.03	(-) 33,99.97
(24) 2071-01-200-5887-असाधारण पेंशन	1,00.00	..	(-) 1,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (24) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (22) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, क्रम संख्या (21) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 तथा क्रम संख्या (14), (17) से (20), (23) एवं (24) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(25) 2075-800-2659-पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण संचालनालय— मूल	5,63.06		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-) 1,77.38	3,85.68	3,87.52 + 1.84
1,77.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,83.88 लाख ₹ (समर्पण) की कमी एवं 6.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी अंतिम तिमाही के देयकों का भुगतान नहीं किये जाने, पद रिक्त रहने, लेखापरीक्षा प्रारंभ नहीं होने, प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने एवं आर्थिक उपायों के कारण हुई जबकि वृद्धि संचालक के लिये वाहन उपलब्धता नहीं होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(26) 2075-800-6576-जिला पेंशन कार्यालय— मूल	33,62.03		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-) 26,43.47	7,18.56	7,60.72 + 42.16

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

26,43.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 27,34.47 लाख ₹ (समर्पण) की कमी एवं 91.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, जिला पेन्शन कार्यालयों की अलग से व्यवस्था नहीं किये जाने, औजार क्रय नहीं किये जाने एवं सुरक्षा गार्ड एवं सफाई कर्मचारी की व्यवस्था नहीं होने कारण हुई जबकि वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान जारी किये गये फर्नीचर के आपूर्ति आदेश के जिसके लंबित देयकों का भुगतान होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(27) 2075-800-8808-सूचना प्रौद्योगिकी
संबंधी कार्य—

मूल	3,07.01		
पुनर्वि.	(-) 3,02.51	4.50	4.50 ..

3,02.51 लाख ₹ (समर्पण 2,05.01 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 97.50 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत नेट वर्किंग कार्य निष्पादन नहीं होने एवं आर्थिक उपायों के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(28) 3475-797-8094-रिजर्व फण्ड में
हस्तांतरण तथा जमा लेखे

	1,00.00	..	(-) 1,00.00
--	---------	----	-------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2071-01-103-9998-मध्यप्रदेश	16.00	10,20.69	+ 10,04.69
(2) 2071-01-104-9998-मध्यप्रदेश	1,68,00.00	3,08,32.07	+ 1,40,32.07
(3) 2071-01-105-9998-मध्यप्रदेश	78,75.00	89,82.93	+ 11,07.93
(4) 2071-01-111-9998-मध्यप्रदेश	2,06.07	7,27.14	+ 5,21.07
(5) 2071-01-111-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	8,38.68	16,13.47	+ 7,74.79
(6) 2071-01-115-9998-मध्यप्रदेश	42,55.81	88,25.16	+ 45,69.35
(7) 2071-01-117-6854-अंशदायी पेंशन योजना	75,00.00	1,22,71.86	+ 47,71.86

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 एवं क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 10,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 12,93.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 0.30 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 06—जारी

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2071-01-101-5158-सेवा निवृत्त न्यायिक सदस्यों को देय भत्ते	50.00	0.02	(-) 49.98
(2) 2071-01-101-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	12,00.00	..	(-) 12,00.00
(3) 2071-01-102-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	1,50.00	..	(-) 1,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत विनियोग से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2071-01-106-9998-मध्यप्रदेश	11.00	24.80	+ 13.80
(2) 2071-01-106-9999-एकीकृत मध्यप्रदेश	55.00	1,59.97	+ 1,04.97

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(ix) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (5,00.00 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (5.50 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 5,05.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(x) 13,74,52.60 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(xi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6075-800-6787-गारंटीकृत ऋणों के समाधान हेतु प्रावधान	3,00,00.00	..	(-)3,00,00.00
(2) 6075-800-6788-राज्य शासन के उपक्रमों व अधीनस्थ संस्थाओं द्वारा जारी एस.एल.आर.बाण्ड्स के समाधान हेतु प्रावधान	25,00.00	..	(-) 25,00.00
(3) 6075-800-6842-राज्य शासन के उपक्रमों की पुनर्संरचना हेतु ऋण सहायता	3,00,00.00	44,24.70	(-) 2,55,75.30
(4) 6801-800-6443-अधोसंरचना विकास के लिये ऋण	8,00,00.00	..	(-) 8,00,00.00
(5) 7610-201-9084-अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को ऋण	50.00	..	(-) 50.00

अनुदान संख्या 06—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 तथा क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(xii) उपरोक्त टिप्पणी (xi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
7810-800-0122-अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.01	7,01.76	+ 7,01.75

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित-

(xiii) 4,67.10 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(xiv) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6003-109-7061-राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण का भुगतान- पूरक	4,67.10	4,67.10	.. (-) 4,67.10

भारित विनियोग - लोक ऋण के स्थान पर इस अनुदान में इस शीर्ष के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण सम्पूर्ण अनुपूरक विनियोग अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 07-वाणिज्यिक कर

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2020-आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण			
2030-स्टाम्प पंजीकरण			
2039-राज्य उत्पाद शुल्क			
2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण			

राजस्व:

दत्तमत-

मूल	17,37,43,83			
पूरक	17,27,99	17,54,71,82	16,61,06,94	(-) 93,64,88
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				52,71,20
<i>प्रभारित</i>		11,41	27	(-) 11,14
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)</i>				10,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (52.00 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (1,75.99 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (15,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 17,27.99 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 93,64.88 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 52,71.20 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2030-01-001-3561-मुख्यालय स्थापना-			
मूल	4,38.82		
पूरक	91.00		
पुनर्वि.	(-) 2,13.42	3,16.40	3,12.09
			(-) 4.31

2,13.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,13.67 लाख ₹ (समर्पण 1,39.24 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 74.43 लाख ₹) की कमी एवं 0.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः नये क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना के कारण प्रावधान में बचत के कारण हुई (63.18 लाख ₹)। अवशिष्ट कमी (1,50.49 लाख ₹) एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2030-01-001-8808-सूचना प्रौद्योगिकी
संबंधी कार्य

मूल	20,25.01			
पुनर्वि.	(-) 20,07.19	17.82	17.82	..

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण के रूप में 20,07.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2030-01-102-4611-स्टाम्पों की बिक्री पर
व्यय

2,00.00 1,48.73 (-) 51.27

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2230-03-001-1480-जिला प्रभार—

मूल	35,33.89			
पुनर्वि.	(-) 10,88.22	24,45.67	24,47.50	+ 1.83

10,88.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 10,93.22 लाख ₹ (समर्पण 10,72.52 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 20.70 लाख ₹) की कमी एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वाहन की कीमत में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2039-001-1470-जिला कार्यपालिक

स्थापना—

मूल	82,52.33			
पूरक	52.00			
पुनर्वि.	(-) 11,47.51	71,56.82	71,56.23	(-) 0.59

11,47.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 11,62.51 लाख ₹ (समर्पण 11,47.51 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15.00 लाख ₹) की कमी एवं 15.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी किराये के मकान के किराये में वृद्धि की स्वीकृति लंबित होने, पदों के रिक्त रहने, सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने, दस प्रतिशत की आर्थिक कटौती एवं स्वीकृति अनुसार आहरण करने के कारण हुई। वृद्धि प्राप्त न होने, दस प्रतिशत की आर्थिक कटौती एवं स्वीकृति अनुसार आहरण करने के कारण हुई। वृद्धि बिजली प्रभार की दरों में वृद्धि एवं मांग के अनुसार बजट प्रावधान प्राप्त न होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2039-001-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)—

8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी
कार्य—

मूल	4,50.51			
पुनर्वि.	(-) 2,82.71	1,67.80	1,40.65	(-) 27.15

समर्पण के रूप में 2,82.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कम्प्यूटर हार्डवेयर के आंशिक भुगतान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2039-104-4173-स्पिरिट की खरीद—

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	(-) 1,00.00

समर्पण के रूप में 1,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत नयी आबकारी पद्धति में कीमतों के भुगतान की व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2039-800-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना— पूरक	84.99	84.99	8.46 (-) 76.53

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(9) 2039-800-4034-विभागीय मदिरा दुकानों का संचालन— मूल पुनर्वि.	65.17 (-) 59.42	5.75	4.38 (-) 1.37
--	--------------------	------	---------------

59.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 49.42 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10.00 लाख ₹) विभागीय शराब की दुकानों के संचालन न करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय— मूल पुनर्वि.	15,55.93 10.00	15,65.93	12,31.98 (-) 3,33.95
---	-------------------	----------	----------------------

10.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 29.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 19.50 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रशासनिक अकादमी के लंबित देयकों के भुगतान, विभागीय पुर्नगठन के अंतर्गत नये कार्यालयों हेतु फर्नीचर क्रय करने एवं वाहन बदलने के कारण होना सूचित की गई। कमी सम्पूर्ण राशि के नये मद में स्थानान्तरण एवं विभागीय विज्ञापन एवं डाक के व्यय में मितव्ययिता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 2040-001-7086- वाणिज्यिक कर ट्रिब्यूनल	4,15.89	1,96.73	(-) 2,19.16
--	---------	---------	-------------

(12) 2040-001-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	19,38.01	8,57.11	(-) 10,80.90
---	----------	---------	--------------

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 एवं क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 2040-101-1509-जिला स्थापना— मूल पुनर्वि.	1,32,59.17 (-) 35.00	1,32,24.17	1,05,88.14 (-) 26,36.03
---	-------------------------	------------	-------------------------

35.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 54.00 लाख (पुनर्विनियोजन) की कमी एवं 19.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः सम्पूर्ण राशि के नये मद में स्थानान्तरण, मितव्ययिता एवं फैंक्स एवं ई-मेल सुविधाओं को अपनाने से हुई (53.00 लाख ₹)। वृद्धि विभागीय पुर्नगठन के अंतर्गत नये कार्यालयों के लिये फर्नीचर के क्रय एवं कार्यभारित/आकस्मिक कर्मचारियों के वेतन शीर्ष में अनुमान पर आधारित राशि की आवश्यकतानुसार तिमाही वास्तविक व्यय के कारण होना सूचित की गई। अवशिष्ट कमी (1.00 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(14) 2045-101-5886-छविगृह इकाईयों का निराकरण— मूल पुनर्वि.	1,60.00 (-) 1,60.00
---	------------------------	----	----

अनुदान संख्या 07—समाप्त

समर्पण के रूप में 1,60.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अन्य प्रभार की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2030-02-102-2455-न्यायिकेतर स्टांप की बिक्री पर व्यय	40,00.00	49,37.97	+ 9,37.97

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(v) पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टांप शुल्क निधि-

मध्य प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 की धारा 74 एवं 75 के अंतर्गत पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टांप शुल्क निधि का गठन किया गया था। प्रत्येक भू-धारी तथा सरकारी भूमि के पट्टेदार से ग्राम पंचायत क्षेत्र में उसके द्वारा धारित भूमि के संबंध में उपकर ऐसी भूमि पर निर्धारित भू-राजस्व या लगान के 50 पैसे प्रति रूपया या उसके किसी भाग पर, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये उद्ग्रहीत किया जाता है तथा उन लिखितों पर जो खंड के भीतर स्थावर संपत्ति का दान, विक्रय या बंधक से संबंधित हों, अतिरिक्त स्टांप शुल्क एक प्रतिशत की दर से ऐसी संपत्ति के मूल्य या बंधक की दशा में उस रकम पर जो लिखित द्वारा प्रतिभूति की गई है, उद्ग्रहीत कर राज्य की संचित निधि के अंतर्गत शासन की प्राप्तियों में जमा की जाती है। जनपद, ग्राम तथा जिला पंचायतों के कार्यालय व्यय तथा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु इस निधि का उपयोग किया जाता है। उपकर तथा अतिरिक्त स्टांप शुल्क मुख्य शीर्ष 0030-स्टांप और रजिस्ट्री फीस-01-स्टांप-न्यायिक एवं 02-स्टांप- न्यायिकेतर-800-अन्य प्राप्तियां-0035-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत स्टांप शुल्क के अंतर्गत राजस्व में जमा किया जाता है तथा इस अनुदान में उपकर के आगम तथा गत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा उगाही गई उपकर एवं अतिरिक्त स्टांप शुल्क के समतुल्य राशि मुख्यशीर्ष 2030-स्टांप एवं पंजीकरण-02-स्टांप-न्यायिकेतर-797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को/से अंतरण-6002-मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम के अंतर्गत उद्ग्रहीत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क का पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा स्टांप शुल्क में अंतरण के अंतर्गत राज्य की संचित निधि पर प्रभारित किया जाकर मुख्य शीर्ष 8229-विकास एवं कल्याण निधि-200-अन्य विकास एवं कल्याण निधियां-पंचायत, भू-राजस्व उपकर तथा स्टांप शुल्क निधि में जमा किया जाता है।

1 अप्रैल 2012 को निधि का प्रारंभिक शेष 9,65,04.94 लाख ₹ था। वर्ष के दौरान इस निधि में 1,51,75.77 लाख ₹ की राशि जमा की गई। वर्ष के दौरान निधि को कोई राशि नामे नहीं की गई। 31 मार्च 2013 को निधि में जमा शेष 11,16,80.71 लाख ₹ था।

निधि के लेन-देन का लेखा वित्त लेखे 2012-13 के विवरण संख्या 18 एवं 19 में सम्मिलित है।

प्रभारित-

(vi) 11.14 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 10.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2039-001-1470-जिला कार्यपालिक स्थापना-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	(-) 10.00

10.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 08-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2029-भू-राजस्व			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं			
2053-जिला प्रशासन			
2075-विविध सामान्य सेवाएं			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6401-फसल कृषि कर्म के लिये कर्ज			

राजस्व:**दत्तमत-**

मूल	9,01,12,21			
पूरक	2,57,88	9,03,70,09	7,43,21,18	(-)1,60,48,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30- 31 मार्च 2013)				1,41,95,57

प्रभारित-

मूल	5,21,00			
पूरक	26,00	5,47,00	4,76,35	(-) 70,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				47,43

पूंजीगत:

दत्तमत		37,97,40	29,09,49	(-)8,87,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				8,85,11

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:****दत्तमत-**

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 (2,52.88 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (5.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,57.88 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,60,48.91 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30- 31 मार्च 2013 को केवल 1,41,95.57 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2029-001-0456-आयुक्त भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त का कार्यालय-			
मूल	9,42.49		
पुनर्वि.	(-)1,55.43	7,87.06	7,71.87
			(-)15.19

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण के रूप में 1,55.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,67.43 लाख ₹ की कमी एवं 12.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः दस प्रतिशत आर्थिक कटौती, अतिरिक्त मांग प्राप्त न होने, कम राशि की मांग, देयक प्राप्त न होने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति एवं अमले को देय न होने के कारण वर्दी क्रय न किये जाने के कारण हुई (1,55.43 लाख ₹) जबकि वृद्धि छठे वेतन आयोग की अनुसंशा अनुसार मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। 12.00 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2029-001-6846-भू-प्रबंधन—

मूल	53,77.38			
पुनर्वि.	(-) 8,52.59	45,24.79	45,24.79	..

समर्पण के रूप में 8,52.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,21.21 लाख ₹ की कमी एवं 68.62 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः दस प्रतिशत आर्थिक कटौती के कारण हुई (20.61 लाख ₹)। वृद्धि सरकार द्वारा मजरे टोला को राजस्व गावों में परिवर्तित करने एवं छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुसार मकान किराये भत्ते में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। 9,00.60 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2029-102-2193-नजूल स्थापना—

मूल	22,66.85			
पुनर्वि.	(-)4,12.66	18,54.19	18,39.12	(-)15.07

समर्पण के रूप में 4,12.66 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,29.66 लाख ₹ की कमी एवं 17.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, अमले को देय न होने के कारण वर्दी क्रय न किये जाने एवं बिजली की खपत में कमी के कारण हुई (78.59 लाख ₹)। वृद्धि छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुसार मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। 3,51.07 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2029-102-2503-परिमाणन, व्यवस्थापना

तथा लेख्य संग्रह संबंधी कार्य—

मूल	19,31.55			
पुनर्वि.	(-)1,19.85	18,11.70	18,05.23	(-) 6.47

समर्पण के रूप में 1,19.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,56.85 लाख ₹ की कमी एवं 37.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, देय न होने के कारण वर्दी क्रय न किये जाने एवं बिजली की कम खपत के कारण हुई (1,15.30 लाख ₹)। वृद्धि भृत्य के चिकित्सा देयक के भुगतान एवं छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुसार मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। 41.55 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2029-103-1472-जिला खर्च—

मूल	3,38,50.10			
पुनर्वि.	(-) 67,36.05	2,71,14.05	2,70,78.70	(-)35.35

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>समर्पण के रूप में 67,36.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 69,36.05 लाख ₹ की कमी एवं 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, देय न होने के कारण वर्दी क्रय न किये जाने एवं दस प्रतिशत आर्थिक कटौती के कारण हुई (₹ 66,87.55 लाख ₹)। वृद्धि छठे वेतन आयोग की अनुसंशा के अनुसार मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। 2,48.50 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(6) 2029-103-6155-कृषकों के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क प्रदाय—			
मूल	4,20.00		
पुनर्वि.	(-)64.22	3,55.78	3,51.57
			(-)4.21
<p>समर्पण के रूप में 64.22 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासकीय प्रेस द्वारा ऋण पुस्तकों की छपाई के देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(7) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
0908-कृषि संगणना		5,24.92	16.29
			(-)5,08.63
(8) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
2817-फसलों की सांख्यिकी में सुधार योजना—		1,98.60	1,05.46
			(-)93.14
(9) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
3542-मुख्य फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी अनुमानों को समय पर भेजने की योजना—		2,00.50	78.96
			(-)1,21.54
(10) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
5917-भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना का विस्तार		6,31.00	..
			(-)6,31.00
(11) 2029-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
8162-सिंचाई सांख्यिकीय के युक्तियुक्तकरण की योजना		68.96	17.24
			(-)51.72
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (11) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(12) 2029-103-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—			
6337- भू-अभिलेख का अद्यतीकरण (एन.एल.आर.एम.पी.)—			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि.	(-)1,00.00	2,00.00	..
			(-)2,00.00

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(13) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड—			
मूल	3,81.46		
पूरक	25.00		
पुनर्वि.	(-)64.37	3,42.09	3,57.48 +15.39
समर्पण के रूप में 64.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(14) 2053-093-1509-जिला स्थापना—			
मूल	1,62,63.95		
पुनर्वि.	(-)28,10.52	1,34,53.43	1,33,97.24 (-)56.19
28,10.52 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 29,10.52 लाख ₹ (समर्पण 28,37.02 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 73.50 लाख ₹) की कमी एवं 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 2053-093-6286-लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत प्रतिकर की राशि का भुगतान—			
मूल	1,25.00		
पुनर्वि.	(-)1,18.27	6.73	5.45 (-)1.28
समर्पण के रूप में 1,18.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(16) 2053-093-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य—			
मूल	1,50.01		
पुनर्वि.	(-) 51.10	98.91	98.85 (-) 2.06
समर्पण के रूप में 51.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विभाग की वेब पोर्टल का गठन न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(17) 2053-094-0441-आदेशिका वाहक स्थापना—			
मूल	70,71.80		
पुनर्वि.	(-)7,48.43	63,23.37	62,66.42 (-)56.95
7,48.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः प्रोसेस सर्वर के वेतन भत्तों का आहरण कार्यभारित स्थापना मद से होने के कारण हुई (73.00 लाख ₹)। 6,75.43 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 2053-094-0619-उप संभागीय स्थापना—			
मूल	1,63,88.41		
पूरक	1,73.00		
पुनर्वि.	(-)14,89.41	1,50,72.00	1,50,43.24 (-)28.76

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

14,89.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 15,04.41 लाख ₹ की कमी एवं 15.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(19) 2053-101-0452-आयुक्त—

मूल	16,65.85			
पुनर्वि.	(-)3,86.47	12,79.38	12,77.05	(-)2.33

3,86.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,00.47 लाख ₹ की कमी एवं 14.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 26.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 70.65 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 47.43 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2029-103-1472-जिला खर्च—			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	(-) 10.00

समर्पण के रूप में 10.00 लाख ₹ का सम्पूर्ण विनियोग की प्रत्याशित बचत दावा प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2052-099-3657-राजस्व बोर्ड—

मूल	96.00			
पुनर्वि.	(-) 33.83	62.17	45.74	(-) 16.43

समर्पण के रूप में 33.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) 8,87.91 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 8,85.11 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-
शीर्ष

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
5160-कम आबादी वाली तहसीलों में आवसीय परिसर का निर्माण-			
मूल	10,70.00		
पुनर्वि.	(-)8,75.11	1,94.89	1,94.89 ..

समर्पण के रूप में 8,75.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वार्षिक एवं पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से संबंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	51,36,76		
पूरक	84,97	52,21,73	41,14,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30— 31 मार्च 2013)			(-)11,07,51 10,93,24
<i>प्रभारित</i>		1,00	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)</i>			(-) 1,00 1,00
पूंजीगत:			
दत्तमत		45,00	58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-)44,42 44,42

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 84.97 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 11,07.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30— 31 मार्च 2013 को केवल 10,93.24 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2058-101-3842-लेखन सामग्री तथा स्टोर्स के शाखा कार्यालय—			
मूल	3,73.19		
पूरक	2.20		
पुनर्वि.	(-)1,23.32	2,52.07	2,51.19
			(-)0.88

1,23.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत () पदों के रिक्त रहने, मितव्ययता, वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित दस प्रतिशत की कटौती, क्रय पर प्रतिबंध एवं विभागों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2058-103-4202-शासकीय केन्द्रीय एवं

क्षेत्रीय मुद्रणालय—

मूल	44,32.96		
पूरक	80.07		
पुनर्वि.	(-)8,57.95	36,55.08	36,39.86
			(-)15.22

अनुदान संख्या 09—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

8,57.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 8,67.95 लाख ₹ की कमी () एवं 10.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, मितव्ययिता, प्रशिक्षण संचालित न किये जाने, मुद्रणालय में बिजली के भार में कमी एवं प्रदाय आदेश से कम सामग्री के प्राप्त होने के कारण हुई जबकि वृद्धि मुद्रण मशीनों की मरम्मत के लिए कम आवंटन प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2058-104-0301-अशासकीय मुद्रणालयों

में मुद्रण कार्य—

मूल	1,50.00			
पुनर्वि.	(-) 77.11	72.89	72.89	..

77.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मितव्ययिता के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

4058-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

3427-मशीनें और उपकरण—छपाई

की मशीनों की खरीद—

मूल	45.00			
पुनर्वि.	(-) 44.42	0.58	0.58	..

44.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शासकीय मुद्रणालय के उन्नयन से संबंधित स्वीकृत योजना हेतु कम प्रावधान के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2055-पुलिस			
2216-आवास			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
3054-सड़क तथा पुल			
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	14,04,64,81		
पूरक	43,23,00	14,47,87,81	13,43,03,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (14 फरवरी एवं 25 मार्च 2013)			(-) 1,04,83,94 66,48,75
प्रभारित-			
मूल	34,58,88		
पूरक	82,39,69	1,16,98,57	1,17,21,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			+ 23,09 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत	50,00,00	49,98,70	(-) 1,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (8.00 लाख ₹) दिसम्बर 2012 12,95.00 लाख ₹ एवं मार्च 2013 (30,20.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 43,23.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,04,83.94 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 14 फरवरी एवं 25 मार्च 2013 को केवल 66,48.75 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2406-01-001-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना			
सामान्य-			
5317-गहन वन प्रबन्धन-			
मूल	24,00.00		
पुनर्वि.	(-) 2,92.18	21,07.82	11,54.29
			(-) 9,53.53

2,92.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4462-वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन— मूल	9,32.50			
पुनर्वि.	(-) 37.40	8,95.10	8,02.46	(-) 92.64

37.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,42.39 लाख ₹ (समर्पण 99.19 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 43.20 लाख ₹) की कमी एवं 1,04.99 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मंहगाई भत्ते एवं लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान, वन महाविद्यालयों में प्रशिक्षणार्थियों के लिये राशि की आवश्यकता, वेतन, बिजली एवं जल प्रभार की दरों में वृद्धि एवं जोयका परियोजना के अंतर्गत वन प्रशिक्षण शालाओं के उन्नयन के कारण होना बतलाई गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2406-01-004-9184-राज्य वन अनुसंधान संस्थान— मूल	5,40.00			
पुनर्वि.	(-) 75.00	4,65.00	4,65.00	..

75.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2406-01-101-0812-कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना— मूल	7,06,73.98			
पूरक	8.00			
पुनर्वि.	(-) 45,90.15	6,60,91.83	6,45,75.17	(-) 15,16.66

45,90.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 58,22.42 लाख ₹ (समर्पण 51,51.42 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,71.00 लाख ₹) की कमी एवं 12,32.27 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं भत्तों की दरों में वृद्धि, अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के चिकित्सा देयकों के भुगतान एवं व्यावसायिक परीक्षा मण्डल को वन क्षेत्रपाल के पदों हेतु अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की परीक्षा फीस की प्रतिपूर्ति के कारण हुई (2,54.79 लाख ₹) अवशिष्ट वृद्धि (9,77.48 लाख ₹) एवं कमी के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 2406-01-203-0535-इमारती लकड़ी— मूल	1,36,59.00			
पुनर्वि.	(-) 23,26.74	1,13,32.26	98,17.22	(-) 15,15.04

(6) 2406-01-204-2901-बांस मूल	32,10.39			
पुनर्वि.	(-) 2,80.00	29,30.39	27,77.98	(-) 1,52.41

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 23,26.74 लाख ₹ (समर्पण 7,33.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15,93.74 लाख ₹) एवं 2,80.00 लाख ₹ (समर्पण 1,30.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,50.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान तथा क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7882-कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन-			
मूल	1,36,01.22		
पुनर्वि.	83.12	1,36,84.34	1,38,46.29 + 1,61.95
83.12 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,51.39 लाख ₹ की वृद्धि एवं 68.27 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(2) 2406-01-102-7680-संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश का प्रदाय-			
मूल	37,00.00		
पुनर्वि.	2,60.00	39,60.00	39,55.01 (-) 4.99
2,60.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि वर्ष 2011-12 में म.प्र. राज्य वन विकास निगम को लाभांश के वितरण के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(3) 2406-02-110-2899-राष्ट्रीय उद्यान-			
मूल	55,18.53		
पुनर्वि.	4,53.88	59,72.41	57,23.42 (-) 2,48.99
4,53.88 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 7,79.59 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,25.71 लाख ₹ (समर्पण 2,52.81 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 72.90 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अमले के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता, वेतन की दरों में वृद्धि एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 2406-02-110-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 3730-वन्यजीव पर्यावास का समन्वित विकास-			
मूल	38,05.01		
पुनर्वि.	2,92.18	40,97.19	47,77.21 + 6,80.02
2,92.18 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 13,36.08 लाख ₹ की वृद्धि एवं 10,43.90 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से आवश्यकता से अधिक राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी भारत सरकार से कम राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(5) 2406-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5109-ग्रामों के पुनर्वास हेतु मुआवजा-			
मूल	30,00.00		
पूरक	30,00.00	60,00.00	60,79.68 + 79.68
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या 10—समाप्त

प्रभारित—

(v) भारित विनियोग से हुए 23,08,714 ₹ के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(vi) 23.09 लाख ₹ के अंतिम आधिक्य के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 82,39.69 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) 1,30 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
4875—अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6851—ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए कर्ज			
6856—पेट्रो—केमिकल उद्योगों के लिए कर्ज			
6860—उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,96,64,83		
पूरक	32,08,00	2,28,72,83	2,12,54,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 16,18,42 निरंक
प्रभारित—			
मूल	4,02		
पूरक	88,99	93,01	89,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 3,52 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	4,22,25,02		
पूरक	1,42,65,94	5,64,90,96	5,34,65,36
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 30,25,60 निरंक
प्रभारित			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि		10,00	9,99
			(-) 1 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 16,18.42 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 85.10 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 19,22.90 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था एवं मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 12,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 16,18.42 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2230-02-001-3795-रोजगार तथा प्रशिक्षण संचालनालय—			
मूल	2,53.35		
पूरक	3.56		
पुनर्वि.	(-) 1.58	2,55.33	1,82.91
			(-) 72.42

1.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7.28 लाख ₹ की कमी एवं 5.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः विभाग से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई (4.60 लाख ₹) एवं वृद्धि वाहन बदलने एवं मकान किराया भत्ते मद में कम प्रावधान होने के कारण होना सूचित की गई। 2.68 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 2230-02-101-9147-रोजगार कार्यालय—			
मूल	11,59.01		
पुनर्वि.	(-) 34.85	11,24.16	9,53.33
			(-) 1,70.83

34.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 38.94 लाख ₹ की कमी एवं 4.09 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः जिला रोजगार कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त न होने एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण कम व्यय होने के कारण हुई (5.19 लाख ₹)। वृद्धि सरकार द्वारा मंहगाई भत्ते एवं मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि एवं बजट में कम प्रावधान के कारण हुई। 33.75 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2230-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
7133-जाब फेयर एवं केरियर काउंसिलिंग		2,24.00	1,74.02
			(-) 49.98

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 2851-200-1464-जिला उद्योग केन्द्र—			
मूल	41,92.50		
पूरक	1,33.60		
पुनर्वि.	(-) 11.65	43,14.45	34,00.05
			(-) 9,14.40

11.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 97.98 लाख ₹ की कमी एवं 86.33 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः भोपाल, इन्दौर एवं ग्वालियर क्षेत्रीय कार्यालयों को किराये पर वाहन देने के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर जिन्हें रायसेन, धार एवं दतिया के व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को आवंटित किया गया एवं वित्त वर्ष के अंत में विभाग से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई (5.40 लाख ₹)। वृद्धि कर्मचारियों के वेतन हेतु अपर्याप्त प्रावधान एवं शासकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत देयकों के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। 92.58 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2852-80-001-3370-मध्यवर्ती कार्यालय—			
मूल	10,59.30		
पूरक	12.37		
पुनर्वि.	(-) 64.33	10,07.34	8,37.02
			(-) 1,70.32

अनुदान संख्या 11-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

64.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 95.19 लाख ₹ की कमी एवं 30.86 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पदोन्नति के कारण ग्रेड पे के लिये संबंधित अधिकारी की पात्रता न होने के कारण हुई (0.12 लाख ₹)। वृद्धि मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि, सांकेतिक प्रावधान, आयुक्त एवं कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु कम प्रावधान एवं विभाग के लंबित देयकों के भुगतान के कारण होना बतलाई गई। 95.07 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के दौरान भी हुई थी।

(6) 3475-200-6408- अन्य व्यावसायिक उपक्रमों के विनियमन, भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन	3,27.83	2,45.78	(-) 82.05
--	---------	---------	-----------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा समान राशि (10.00 लाख ₹) की वृद्धि एवं कमी की गई है। वृद्धि आवंटित वेतन बजट में से मकान किराये भत्ते के बकाया का भुगतान किये जाने से बजट आवंटन के अभाव में कोषालय द्वारा मुख्यालय भोपाल सहित सात संभागीय कार्यालयों के वेतन देयक पारित न किये जाने के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2852-80-001-6751-म.प्र. राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता-			
पूरक	12.00		
पुनर्वि.	67.54	79.54	67.64
			(-) 11.90

67.54 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि प्रबंध निदेशक की गिरफ्तारी वारंट की कार्यवाही टालने के लिये भविष्य निधि संगठन भोपाल के कर्मचारियों/वसूली अधिकारियों एवं सहायक भविष्य निधि आयुक्त को भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

प्रभारित-

(v) 3.52 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 88.99 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 3.52 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूजीगत:
दत्तमत-

(vii) 30,25.60 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 66,04.98 लाख ₹ एवं 3,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2012 में प्राप्त किया गया 73,60.96 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(viii) 30,25.60 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 11-जारी

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4851-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7138-ए.के.व्ही.एन.सागर में निवेश हेतु ट्रायफेक को अंशपूजी सहायता-			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-) 99.99	0.01	..
			(-) 0.01

समर्पण के रूप में 99.99 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विगत वर्ष इस योजना के अंतर्गत ट्रायफेक को एक मुश्त भुगतान करने के कारण हुई।

(2) 4875-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6059-कम्पोजिट कार्यालय भवनों का निर्माण-				
मूल	4,00.01			
पुनर्वि.	(-) 2,00.00	2,000.01	2,00.00	(-) 0.01

2,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विभाग से मांग प्राप्त नहीं होने एवं 01 दिसम्बर 2012 के निर्णय अनुसार स्थायी वित्त सोसायटी की वैद्यता अवधि समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम के राशि की स्वीकृति न मिलने के कारण हुई।

(3) 6856-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7880-उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजना-				
मूल	2,50,00.00			
पूरक	30,00.50	2,80,00.50	2,50,00.00	(-) 30,00.50

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 6860-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6396-डी.एम.आई.सी.परियोजना हेतु ट्राईफैक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण-				
मूल	50,00.00			
पुनर्वि.	(-) 33,02.49	16,97.51	16,97.51	..

33,02.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कम राशि के उपयोग के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6749-भू-अर्जन, सर्वे एवं डिमार्केशन, सर्विस चार्ज— मूल	14,90.00		
पूरक	27,07.00		
पुनर्वि.	33,02.49	74,99.49	74,99.49 ..

33,02.49 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि धार जिला न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय अनुसार धार जिलाधीश को राशि के भुगतान के कारण हुई।

(2) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6750-अद्योसंरचना विकास— मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	2,10.00	17,10.00	17,10.00 ..

2,10.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अतिरिक्त मांग प्राप्त होने के कारण हुई।

(3) 4875-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6114-सिद्धगंगा जल प्रदाय योजना— मूल	2,85.00		
पूरक	2,00.00		
पुनर्वि.	99.99	5,84.99	5,84.99 ..

99.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि औद्योगिक क्षेत्र सिद्धगंगा, जिला धार में जल प्रदाय योजना के उन्नयन कार्य के लिये लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को राशि के भुगतान के कारण हुई।

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2801—बिजली			
2810—अपारंपरिक उर्जा स्रोत			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
6801—बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	20,40,23,05			
पूरक	6,53,92,04	26,94,15,09	26,91,48,57	(-) 2,66,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				1,51,41
<i>प्रभारित</i>		2,75,00,00	2,75,00,00	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>				<i>निरंक</i>

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	38,83,95,02			
पूरक	19,86,97,00	58,70,92,02	52,45,96,17	(-) 6,24,95,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				5,95,34,84

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 2,66.52 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 94.40.00 लाख ₹ एवं 1,00,90.04 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 4,58,62.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,66.52 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 1,51.41 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 2,66.52 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पाँच प्रतिशत से कम थी, निम्न शीर्षों के अंतर्गत महत्वपूर्ण अंतर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

बचत:-

2045-103-4281-संग्रह प्रभार—बिजली

शुल्क—				
मूल	16,48.08			
पूरक	4.25			
पुनर्वि.	(-) 1,51.40	15,00.93	14,97.33	(-) 3.60

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

1,51.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,82.27 लाख ₹ की कमी एवं 1,30.87 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी कार्यालय उपकरण के प्रावधान में फर्नीचर प्रावधान की राशि सम्मिलित किये जाने, अधिवक्ताओं की फीस के व्यय में कमी, यात्रा भत्ते, कार्यालय व्यय, प्रशिक्षण, संधारण कार्य एवं सामग्री एवं पूर्ति, पदों के रिक्त रहने एवं वाहन चालक की मृत्यु के कारण हुई जबकि वृद्धि नये कार्यालय खोले जाने एवं प्रशिक्षण स्टेशनरी एवं विद्युत देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(iv) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि:—

ऊर्जा विकास निधि का गठन उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर दस पैसे प्रति यूनिट की दर से सरकार द्वारा अधिरोपित ऊर्जा विकास उपकर से किया गया, जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), अनुसंधान एवं विकास योजनाओं में विद्युत की उत्पादन क्षमता, पारेषण, वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वेक्षण एवं ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर राजस्व शीर्ष "0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क 800—अन्य प्राप्तियों" में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के मुख्य शीर्ष "2045—वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 103—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क— 3218—मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2012 को 10,29,80.65 लाख ₹ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान 2,75,00.00 लाख ₹ की राशि मुख्य शीर्ष 2045—103—3218—मध्य प्रदेश उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अंतरण" को नामे कर निधि में जमा की गयी। वर्ष के दौरान निधि से 2,91,72.00 लाख ₹ व्यय किया गया। 31 मार्च 2012 को निधि में 10,13,08.65 लाख ₹ अंतशेष था। इस निधि के लेन—देन मुख्य शीर्ष "8229 विकास एवं कल्याण निधि 110—ऊर्जा विकास निधि के अन्तर्गत सम्मिलित है, जिसका लेखा वित्त लेखे 2012—13 के विवरण संख्या—18 में दिया गया है।

पूजीगत:

दत्तमत—

(v) 6,24,95.85 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 8,00,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 6,36,97.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था एवं मार्च 2013 में प्राप्त 5,50,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 6,24,95.85 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 5,95,34.84 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6801-190-5488-विद्युत वितरण कम्पनियों को कार्यशील पूजी हेतु ऋण—			
मूल		7,00,00.00	
पूरक		15,00,00.00	
पुनर्वि.	(-) 49,99.99	21,50,00.01	(-) 0.01

अनुदान संख्या 12—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 6801-190-6661-ट्रेडिंग कम्पनी की विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन वर्ष 2013-14 तक—			
मूल	4,95,00.00		
पुनर्वि.	(-) 1,24,35.72	3,70,64.28	3,70,64.28 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 49,99.99 लाख ₹ एवं 1,24,35.72 लाख ₹ (समर्पण) की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 6801-190-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
7160-ई.आर.पी.ट्रेडको परियोजना—			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-) 5,00.00

समर्पण के रूप में 5,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत कार्य शुरू न होने के कारण हुई।

(4) 6801-204-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6869-राजीव गांधी ग्रामीण बिद्युतीकरण योजना—			
मूल	22,78.00		
पूरक	6,85.00	29,63.00	9,70.36 (-) 19,92.64

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 6801-205-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
5523-कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था—			
मूल	6,74,17.00		
पुनर्वि.	(-) 3,82,12.05	2,92,04.95	2,82,36.59 (-) 9,68.36

(6) 6801-205-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—			
7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण—			
मूल	3,87,20.00		
पुनर्वि.	(-) 83,86.06	3,03,33.94	3,03,33.94 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 3,82,12.05 लाख ₹ एवं 83,86.06 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जाँच एवं प्रमाणन में विलंब के कारण देयको के भुगतान न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 12—समाप्त

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत आधिक्य के कारण अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6801-190-7161-विद्युत जनरेटिंग कम्पनी को कार्यशील पूंजी ऋण—			
पूरक	2,00,00.00		
पुनर्वि.	49,99.99	2,49,99.99	+ 0.01

49,99.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन ईंधन की उपलब्धता एवं उत्पादन घरों के संधारण के कारण हुई।

अनुदान संख्या 13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2401—फसल कृषि कर्म			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	8,61,66,64		
पूरक	1,37,70,59	9,99,37,23	8,27,88,40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-)1,71,48,83 1,70,64,22

8]27]88-40 yk[k ₹ ds dqy O;; esa fdlku dY;k.k ,oa d`f"k fodkl foHkkx }kjk 'kh"kZ ^^2401&800&1501&vfrfjä dsUnzh; lgk;rk ¼lkekU;½&5626&jk"V^h; d`f"k fodkl ;kstuk^^ ds varxZr vkqfjr ,oa 31 ekpZ 2013 dks 'kh"kZ 8443&flfoy tek&800&vU; tek esa tek dh xbZ 44]25-80 yk[k ₹ dh jkf'k lfEefyr gSA

प्रभारित	13,00	7,92	(-) 5,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			5,08

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (60,73.45 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (66,97.14 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (10,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,37,70.59 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,71,48.83 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 1,70,64.22 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2401-001-0119-अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	2,55,72.95		
पूरक	3,01.00		
पुनर्वि.	(-)53,66.24	2,05,07.71	2,04,66.80
			(-)40.91

समर्पण के रूप में 53,66.24 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2401-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3733-राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना— मूल 82,98.01 पुनर्वि. (-)12,82.91	70,15.10	69,90.37	(-)24.73

12,82.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 12,29.37 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 53.54 लाख ₹) अंशतः सरकार द्वारा निर्धारित दर से अधिक मंहगाई भत्ते के भुगतान के कारण हुई (53.54 लाख ₹)। 12,29.37 लाख ₹ की अवशिष्ट कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6430-राष्ट्रीय मक्का विकास योजना— मूल 6,17.12 पुनर्वि. (-)4,27.34	1,89.78	1,89.78	..
--	---------	---------	----

समर्पण के रूप में 4,27.34 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि विमुक्त न किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2401-103-0898-कृषि प्रदर्शन एवं बीज फार्म— मूल 9,46.69 पुनर्वि. (-)1,33.11	8,13.58	8,07.87	(-)5.71
---	---------	---------	---------

(5) 2401-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2976-बीज परीक्षण, पर्यवेक्षण और प्रमाणीकरण की योजना— मूल 2,19.28 पुनर्वि. (-)46.80	1,72.48	1,72.34	(-)0.14
---	---------	---------	---------

(6) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1060-खाद गुण नियंत्रण प्रयोगशाला— मूल 2,52.61 पुनर्वि. (-)88.67	1,63.94	1,63.23	(-)0.71
--	---------	---------	---------

उपरोक्त क्रम संख्या (4) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,33.11 लाख ₹, 46.80 लाख ₹ एवं 88.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(7) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6666-नवीन खाद एवं बीज गुण नियंत्रण प्रयोगशाला— मूल 2,50.01 पुनर्वि. (-)1,27.78	1,22.23	1,22.23	..
---	---------	---------	----

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6669-स्वायल हेल्थ कार्ड— मूल 47.50 पुनर्वि. (-)42.50	5.00	5.00	..
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 1,27.78 लाख ₹ एवं 42.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।			
(9) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना— पूरक 65,21.17 पुनर्वि. (-)30,53.49	34,67.68	29,20.57	(-)5,47.11
समर्पण के रूप में 30,53.49 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई (21,40.25 लाख ₹)। 9,13.24 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(10) 2401-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम— मूल 8,04.00 पुनर्वि. (-)7,16.63	87.37	87.37	..
(11) 2401-109-0867-कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 11,60.78 पुनर्वि. (-)3,78.63	7,82.15	7,81.53	(-)0.62
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 7,16.63 लाख ₹ एवं 3,78.63 लाख ₹ के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2401-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6553-राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना— मूल 5,84.82 पुनर्वि. (-)5,54.17	30.65	30.65	..
5,54.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 5,32.78 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 21.39 लाख ₹) अंशतः भारत सरकार से राशि विमुक्त न किये जाने के कारण हुई (21.39 लाख ₹)। समर्पण के रूप में 5,32.78 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(13) 2401-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6891-राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान— मूल 11,02.01 पुनर्वि. (-)3,37.63	7,64.38	7,64.38	..

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>3,37.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 0.22 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,37.41 लाख ₹) के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(14) 2401-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना–			
मूल	58,75.00		
पुनर्वि.	(-)40,46.92	18,28.08	18,29.08 +1.00
<p>40,46.92 लाख ₹ (समर्पण 27,21.92 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 13,25.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः फसल बीमा के दावों की मांग प्राप्त न होने के कारण हुई (13,25.00 लाख ₹)। अवशेष प्रत्याशित बचत (समर्पण 27,21.92 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(15) 2401-113-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 0903-कृषि यांत्रिकी संचालनालय की स्थापना–			
मूल	12,70.39		
पुनर्वि.	(-)2,85.56	9,84.83	10,11.81 (-)26.98
(16) 2401-113-4204-शासकीय मशीन ट्रेक्टर स्टेशन योजना–			
मूल	13,69.74		
पूरक	21,70		
पुनर्वि.	(-)2,32.99	11,58.45	11,73.05 +14.60
(17) 2402-101-3139-भूमि परीक्षण प्रयोगशाला–			
मूल	3,91.00		
पुनर्वि.	(-)61.95	3,29.05	3,31.32 +2.27
(18) 2402-101-8351-विस्तृत मृदा सर्वेक्षण–			
मूल	4,24.57		
पुनर्वि.	(-)1,00.81	3,23.76	3,20.60 (-)3.16
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (18) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 2,85.56 लाख ₹, 2,32.99 लाख ₹, 61.95 लाख ₹ एवं 1,00.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अंतर्गत अंतिम आधिक्य/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्षान्तर्गत वर्ष 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(19) 2402-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 3142-भूमि संरक्षण कटावरोध बंधान की योजना–			
मूल	59,17.65		
पुनर्वि.	(-)12,33.56	46,84.09	46,97.47 +13.38

समर्पण के रूप में 12,33.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 12,87.10 लाख ₹ की कमी एवं 53.54 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की मांग के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 13—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2401-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित येजना सामान्य— 6670-राज्य माइक्रो सिंचाई मिशन— मूल 19.06 पूरक 57.19 पुनर्वि. 3,14.05	3,90.30	3,90.30	..

3,14.05 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 3,25.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 10.95 की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि किसानों की कृषि उपकरणों की मांग पूरी किये जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल किये जाने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(2) 2401-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5647-कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिये सहायता टाप-अप अनुदान— मूल 15,70.80 पुनर्वि. 9,88.52	25,59.32	25,59.32	..
---	----------	----------	----

9,88.52 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 10,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 11.48 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि किसानों की कृषि उपकरणों की मांग पूरी किये जाने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल किये जाने के कारण होना सूचित की गई, जबकि कमी मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

(3) 2401-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6673-खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान— मूल 1,25.00 पूरक 13,75.00 पुनर्वि. 13,20.02	28,20.02	27,73.52	(-)46.50
---	----------	----------	----------

13,20.02 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 13,20.03 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 0.01 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 2401-113-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— पूरक 17,60.52 पुनर्वि. (-)4.05	17,56.47	21,46.66	+3,90.19
--	----------	----------	----------

समर्पण के रूप में 4.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 14-पशुपालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2403-पशुपालन			
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	5,42,82,75		
पूरक	49,96,19	5,92,78,94	5,08,54,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 84,24,44 निरंक
<i>प्रभारित-</i>		3,00	1,74
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-) 1,26 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत		1,55,00	1,55,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 (37,52.02 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (12,44.17 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 49,96.19 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 84,24.44 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2403-001-1468-जिला एवं संभागीय स्तर	19,56.96	17,08.01	(-) 2,48.95

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2403-001-4297-संचालनालय स्तर-

मूल	6,08.18		
पूरक	48.51		
पूनर्वि.	10.00	6,66.69	5,61.41
			(-) 1,05.28

10.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 10.47 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.47 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि संचालनालय कार्यालय के संधारण हेतु राशि की आवश्यकता एवं अपर्याप्त प्रावधान के कारण हुई जबकि कमी वर्तमान में राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2403-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6595-देशी नस्ल की सबसे दुधारु गायों हेतु पुरस्कार योजना— मूल 2,00.00 पुनर्वि. (-) 5.53	1,94.47	1,44.47	(-) 50.00
5.53 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 2403-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6998-पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	3,00.00	1.78	(-) 2,98.22
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(5) 2403-101-6998- पशुओं के रोगों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय— मूल 8,61.81 पुनर्वि. (-) 63.13	7,98.68	6,62.19	(-) 1,36.49
63.13 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 65.85 लाख ₹ की कमी एवं 2.72 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी संस्था द्वारा तुरन्त राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई जबकि वृद्धि गंभीर बीमारी के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(6) 2403-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6642-ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	68.00	..	(-) 68.00
(7) 2403-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3786-माता महामारी उन्मूलन	11,28.81	7,65.67	(-) 3,63.14
(8) 2403-101-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549-पशु चिकित्सालय	1,20,17.68	1,04,21.08	(-) 15,96.60
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2403-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5007-पशु औषधालय— मूल 96,19.21 पुनर्वि. 59.05	96,78.26	82,78.72	(-) 13,99.54

59.05 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 87.33 लाख ₹ की वृद्धि एवं 28.28 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अप्रयुक्त प्रावधान के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी वेतन में अधिक प्रावधान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2403-102-2567-पशु प्रजनन प्रक्षेत्र—				
मूल	8,30.39			
पूरक	4.10	8,34.49	7,20.63	(-) 1,13.86
(11) 2403-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—				
7155-पशु चिकित्सालय एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण		15,32.01	14,38.63	(-) 93.38
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(12) 2403-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—				
1108-गहन पशु विकास परियोजना—				
मूल	1,18,20.23			
पूरक	2,67.99			
पुनर्वि.	(-) 2.72	1,20,85.50	1,01,63.91	(-) 19,21.59
2.72 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 56.54 लाख ₹ की कमी एवं 53.82 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी वेतन का अधिक प्रावधान एवं राशि की मांग न होने के कारण हुई जबकि वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(13) 2403-103-3578-मुर्गी पालन विकास प्रक्षेत्र		11,62.04	9,39.40	(-) 2,22.64
(14) 2403-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—				
6212-ग्रामीण बैकयार्ड कुक्कुट योजना		6,12.00	79.13	(-) 5,32.87
उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(15) 2403-104-4509-भेड़ प्रक्षेत्र—				
मूल	4,64.85			
पुनर्वि.	(-) 1.20	4,63.65	3,06.18	(-) 1,57.47
1.20 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत संस्था से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(16) 2403-107-0801-केन्द्र क्षेत्र योजना (सामान्य)—				
6995-चारागाह विकास एवं चारा बीज का वितरण		82.50	32.50	(-) 50.00
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(17) 2403-109-2737-प्रशिक्षण केन्द्र—				
मूल	2,83.27			
पुनर्वि.	(-) 2.00	2,81.27	1,84.93	(-) 96.34

अनुदान संख्या 14—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>2.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत अधिक प्रावधान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(18) 2403-113-3784-रोग अनुसंधान	3,30.64	2,57.38	(-) 73.26
(19) 2403-113-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1458-महत्वपूर्ण पशुरोगों की विधिवत रोकथाम	15,51.86	14,03.15	(-) 1,48.71
(20) 2403-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल	41,14.60		
पूरक	13,97.10	55,11.70	52,36.80
			(-) 2,74.90
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (20) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(21) 2403-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8703-दुग्ध उत्पादन एवं अद्योसंरचना—	10,76.47	6,49.46	(-) 4,27.01

5.82 लाख ₹ की समान राशि के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में कमी एवं वृद्धि की गई। कमी वेतन में अधिक प्रावधान के कारण हुई जबकि वृद्धि अपर्याप्त प्रावधान के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

**vuqнку la[;k 15&vuqlwfpr tkfr mi;kstuk vUrxZr f=Lrjh;
iapk;rh jkt laLFkkvksa dks foUkh; lgk;rk
¼IHkh nUker½**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2215-जल पूर्ति तथा सफाई			
2216- आवास			
2225-अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401-फसल कृषि कर्म			
2405-मछली पालन			
2501-ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
2505-ग्रामीण रोजगार			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702-लघु सिंचाई			
2851-ग्राम तथा लघु उद्योग			
3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	11,37,43,34		
पूरक	45,90,42	11,83,33,76	10,31,64,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30- 31 मार्च 2013)			(-) 1,51,69,44 1,31,54,67
पूंजीगत		1,44,00,00	1,43,94,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 5,29 32,00

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (6.00 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (22,00.75 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (23,83.67 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 45,90.42 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,51,69.44 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30- 31 मार्च 2013 को केवल 1,31,54.67 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 15—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			
(1) 2401-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— अनुसूचित जाति उपयोजना— 0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना— मूल 6,08.34 पुनर्वि. (-) 1,25.79	4,82.55	4,82.55	..

समर्पण के रूप में 1,25.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई।

(2) 2702-02-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 2791-प्रायवेट एजेन्सियों, ठेकेदार द्वारा कृषकों के खेतों पर सफल नलकूप खनन पर सहायता— मूल 3,48.90 पुनर्वि. (-) 1,07.34	2,41.56	2,93.45	+ 51.89
---	---------	---------	---------

समर्पण के रूप में 1,07.34 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(3) 2202-02-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5276-अध्यापक/सविदा शाला शिक्षक के वेतन के लिए अनुदान— मूल 3,06.26 पुनर्वि. (-) 2,93.85	12.41	12.41	..
---	-------	-------	----

समर्पण के रूप में 2,93.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदरिक्त रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

22—पंचायत

(4) 2515-789-198-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5273-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं समन्वय अधिकारी को प्रशिक्षण	1,20.00	..	(-) 1,20.00
(5) 2515-789-198-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6098-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान—	9,00.00	4,50.00	(-) 4,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने एवं क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
26—सामाजिक न्याय विभाग			
(6) 2235-02-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 0075-अंध, मूक, बधिरों को वृत्तियां— मूल पुनर्वि.	2,00.18 (-) 97.30	1,02.88	1,02.88 ..
समर्पण के रूप में 97.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत छात्रों की संख्या कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
34-लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग			
(7) 2215-01-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण— मूल पुनर्वि.	12,90.20 8,35.10	21,25.30	18,64.80 (-) 2,60.50
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
55—अनुसूचित जाति कल्याण विभाग			
(8) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 4717-अनुसूचित जाति छात्रावास— मूल पुनर्वि.	1,05,15.28 (-) 36,04.08	69,11.20	69,11.20 ..
समर्पण के रूप में 36,04.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 119 नवीन छात्रावासों की स्थापना विलंब से होने के कारण हुई।			
(9) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5133-अन्य छात्रवृत्तियां		60,25.45	51,03.60 (-) 9,21.85
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(10) 2225-01-789-196-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति— मूल पुनर्वि.	20,00.00 (-) 7,80.78	12,19.22	12,05.18 (-) 14.04
समर्पण के रूप में 7,80.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रस्तावित छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 2225-01-789-196-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना,अनुसूचित जाति उपयोजना— 0327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति— मूल पुनर्वि.	7,94.57 (-) 1,54.19	6,40.38	6,40.38 ..

अनुदान संख्या 15—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>समर्पण के रूप में 1,54.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत लडकों की प्रस्तावित छात्रवृत्ति योजना स्वीकृत नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
58—ग्रामीण विकास विभाग			
(12) 2501-02-789-198-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 5770-इंटीग्रेटेड वाटरशेड मेनेजमेंट प्रोग्राम—			
मूल	3,65.00		
पुनर्वि.	(-) 2,16.99	1,48.01	1,48.01 ..
(13) 2501-06-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 8701-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना—			
मूल	9,84.04		
पुनर्वि.	(-) 1,58.17	8,25.87	8,25.87 ..
(14) 2505-01-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—			
मूल	1,10,57.38		
पुनर्वि.	(-) 44,17.47	66,39.91	66,39.91 ..
(15) 2515-789-198-0703- केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम परिवहन—			
मूल	2,54,58.72		
पुनर्वि.	(-) 32,81.15	2,21,77.57	2,21,77.57 ..
(16) 2515-789-800-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन—			
मूल	52,50.00		
पुनर्वि.	(-) 11,60.00	40,90.00	40,90.00 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (16) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,16.99 लाख ₹ (समर्पण), 1,58.17 लाख ₹ (समर्पण), 44,17.47 लाख ₹ (समर्पण 26,17.47 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 18,00.00 लाख ₹), 32,81.15 लाख ₹ (समर्पण) एवं 11,60.00 लाख ₹ (समर्पण) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं क्रम संख्या (14) से (16) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 15—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
58—ग्रामीण विकास विभाग			
2216-03-789-198-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 5198-इंदिरा आवास योजना— मूल	28,95.81		
पुनर्वि.	13,57.41	42,53.22	42,53.22 ..

13,57.41 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि प्रावधान में 18,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 4,42.59 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि अधिक प्राप्त होने के कारण हुई। कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान आधिक्य हुआ था।

पूँजीगत:—

(v) 30 मार्च 2013 को किया गया 32.00 लाख ₹ का अभ्यर्पण 5.29 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	53,69,92		
पूरक	3,46,83	57,16,75	44,91,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)12,24,88 निरंक
<i>प्रभारित</i>		3,00	1,68
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)1,32 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत		40,00	40,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 3,46.83 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 12,24.88 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2405-001-2304-निदेशन और प्रशासन—			
मूल	6,14.78		
पूरक	6.30	6,21.08	3,70.33
			(-)2,50.75
(2) 2405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
0162-मत्स्योद्योग के लिये जिला स्तर पर अमला	23,96.93	20,89.26	(-)3,07.67
(3) 2405-120-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
8269-मछुआरों की राष्ट्रीय कल्याण निधि अंतर्गत आवास गृहों का निर्माण	4,11.16	2,29.60	(-)1,81.56

अनुदान संख्या 16—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2405-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल	5,44.90		
पूरक	3,06.70	8,51.60	6,41.91
			(-)-2,09.69

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2405-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान— मूल	1,25.00		
पुनर्वि.	(-)-17.98	1,07.02	..
			(-)-1,07.02

17.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) 1.32 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2425—सहकारिता			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिये कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,90,53,53		
पूरक	7,42,33	3,97,95,86	3,53,97,28
वर्ष दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-) 43,98,58 43,95,80
<i>प्रभारित</i>		1,25	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-) 1,25 <i>निरंक</i>

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	2,03,72,01		
पूरक	54,85,47	2,58,57,48	2,50,01,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-) 8,55,58 8,55,58

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (7,13.57 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (6.26 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (22.50 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 7,42.33 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 43,98.58 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 43,95.80 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2425-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0123-अधीक्षण— मूल	41,94.66		
पूरक	10.00		
पुनर्वि.	(-) 8,83.18	33,21.48	33,33.30
(2) 2425-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2294-निदेशन— मूल	8,15.48		
पूरक	8.57		
पुनर्वि.	(-) 3,28.19	4,95.86	5,04.79

अनुदान संख्या 17—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2425-101-0359-आडिट बोर्ड—			
मूल	47,83.26		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	(-) 14,19.12	33,69.14	33,46.09
			(-) 23.05

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 8,83.18 लाख ₹, 3,28.19 लाख ₹ एवं 14,19.12 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत की आर्थिक कटौती एवं वेतन शीर्ष में अधिक प्रावधान के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम अधिक्य एवं क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2425-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9254-सहकारी बैंको के माध्यम से मछुआरों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान—				
मूल	2,62,21.20			
पुनर्वि.	(-) 16,38.83	2,45,82.37	2,45,82.37	..

16,38.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग द्वारा पच्चीस प्रतिशत राशि रोके जाने के कारण हुई।

(5) 2425-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6683-बीज संघ को गोदाम एवं ग्रिडिंग प्लांट हेतु अनुदान—				
मूल	50.00			
पूरक	1,50.00			
पुनर्वि.	(-) 90.00	1,10.00	1,10.00	..

90.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति की कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण हुई।

प्रभारित:

(iv) 1.25 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) 8,55.58 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 51,10.47 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 3,75.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

(vi) यद्यपि 8,55.58 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय बचत परिलक्षित हुई है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6425-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7827-अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान म.प्र. राज्य सहकारी बैंक-			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-) 5,00.00

समर्पण के रूप में 5,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत 0.37 ₹ ब्याज की अनावारी घोषित न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 6425-107-0910-राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम- 6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना-			
मूल	24,36.00		
पुनर्वि.	(-) 3,52.17	20,83.83	20,83,83 ..

3,52.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशपूँजी अनुदान के अनुरूप शेयर न होने से ऋण की राशि समर्पित करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम तथा रोजगार			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,13,28,26		
पूरक	14,17,58	1,27,45,84	(-)22,49,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2013)			16,63,45
<i>प्रभारित</i>		2,00	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2013)</i>			(-) 2,00 1,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (1,06.05 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (7,11.27 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (6,00.26 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 14,17.58 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 22,49.65 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 28 मार्च 2013 को केवल 16,63.45 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-102-0791-कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय—			
मूल	46,68.33		
पूरक	10,82.01		
पुनर्वि.	(-) 5,24.31	52,26.03	51,93.92
(2) 2210-01-102-3676—राज्य बीमा अस्पताल—			
मूल	25,26.91		
पूरक	64.45		
पुनर्वि.	(-)6,25.59	19,65.77	19,52.20

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 5,24.31 लाख ₹ एवं 6,25.59 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2230-01-101-0712-औद्योगिक न्यायालय—				
मूल	3,30.61			
पूरक	43.50	3,74.11	2,72.34	(-)1,01.77
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 तथा 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(4) 2230-01-101-4271-श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला—				
मूल	20,15.06			
पूरक	92.50			
पुनर्वि.	(-)3,63.00	17,44.56	15,84.06	(-)1,60.50
समर्पण के रूप में 3,63.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(5) 2230-01-101-4272-श्रम न्यायालय—				
मूल	5,11.81			
पूरक	1,17.50	6,29.31	5,12.45	(-)1,16.86
(6) 2230-01-102-5810-औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा—				
मूल	5,73.01			
पूरक	2.87	5,75.88	4,40.29	(-)1,35.59

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
3606- सहायता सामग्री तथा उपस्कर			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	21,45,14,40		
पूरक	1,36,04,25	22,81,18,65	(-) 2,39,81,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (15 मार्च 2013)			37,75,00
<i>प्रभारित</i>		61,00	4,91
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-) 56,09 <i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,22,90,00		
पूरक	सांकेतिक	1,22,90,00	60,57,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (15 मार्च 2013)			(-) 62,32,41 63,50,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) 2,39,81.13 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।			
(ii) 2,39,81.13 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 15 मार्च 2013 को केवल 37,75.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-0748-औषधालय—			
मूल	15,09.11		
पुनर्वि.	(-) 1.40	15,07.71	11,43.46
			(-) 3,64.25
(2) 2210-01-110-6050-जिला स्तरीय ब्लड बैंक व सीमांक ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना—			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	(-) 1,00.00	3,00.00	2,91.91
			(-) 8.09

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 1.40 लाख ₹ एवं 1,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग के रूप में प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(3) 2210-01-110-6051-चिकित्सालयों के लिये जनरेटर—				
मूल	7,50.00			
पुनर्वि.	(-) 3,00.00	4,50.00	4,61.52	+ 11.52
(4) 2210-01-110-6623-बेटी बचाओ अभियान—				
मूल	1,71.59			
पुनर्वि.	(-) 1,40.00	31.59	..	(-) 31.59
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 3,00.00 लाख ₹ एवं 1,40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य/ बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(5) 2210-01-110-7892-चिकित्सा गारंटी योजना—				
मूल	46,32.00			
पुनर्वि.	(-) 18,60.00	27,72.00	27,02.91	(-) 69.09
समर्पण के रूप में 18,60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(6) 2210-01-110-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6745-आपरेशन एवं प्रायोगिक खोज—				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(-) 2,00.00
(7) 2210-01-110-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6746-माता एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा को मजबूती प्रदान करना—				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(-) 2,00.00
(8) 2210-01-110-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6747-जिंक ओ.आर.एस.के उपयोग को प्रोत्साहित करना—				
मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(-) 1,60.00	40.00	10.00	(-) 30.00
(9) 2210-01-110-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7119-किशोरी प्रजनन व यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम—				
मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	(-) 2,50.00	50.00	40.25	(-) 9.75

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2210-01-110-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7120-मलेरिया कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करना— मूल 8,15.00 पुनर्वि. (-) 6,15.00		2,00.00	2,00.00	..
(11) 2210-01-110-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7122-प्रभावशाली परामर्श के लिये संचार की गुणवत्ता— मूल 3,00.00 पुनर्वि. (-) 1,40.00		1,60.00	1,79.29	+ 19.29
(12) 2210-01-110-1201- विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7123-माता से बच्चों में होने वाले संक्रमण की रोकथाम— मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-) 5,00.00	
(13) 2210-01-110-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं सामान्य— 5613-राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना— मूल 15,00.00 पुनर्वि. (-) 14,50.00		50.00	..	(-) 50.00
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (13) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 2,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 2,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 1,60.00 लाख ₹, 2,50.00 लाख ₹, 6,15.00 लाख ₹, 1,40.00 लाख ₹, 5,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 14,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (8) से (9), (11) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत /अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(14) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6036-आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं एम्बुलेंस के परिचालन व्यय हेतु अनुदान— मूल 15,15.00 पुनर्वि. (-) 2,57.17		12,57.83	12,57.83	..
2,57.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(15) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6214-मोबाईल हेल्थ अस्पतालों का संचालन		5,70.00	1,27.92	(-) 4,42.08
(16) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6229-चिकित्सालयों का सुदृढीकरण		38,17.93	31,73.60	(-) 6,44.33

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(17) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6451-विकिरण सुरक्षा इकाई की स्थापना	2,26.66	22.49	(-) 2,04.17
(18) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6743-आई.ई.सी. (सूचना एवं प्रसार)	2,45.00	..	(-) 2,45.00
उपरोक्त क्रम संख्या (15) से (18) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(19) 2210-01-196-0993-क्षय चिकित्सालय	38,91.41	34,63.59	(-)4,27.82
1,85.21 लाख ₹ की समान राशि के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में निधियों की कमी एवं वृद्धि की गई। कमी अंशतः मांग प्राप्त न होने के कारण हुई (12.70 लाख ₹) एवं वृद्धि अंशतः अतिरिक्त मांग प्राप्त होने के कारण हुई। अवशेष कमी एवं वृद्धि की समान राशि (1,72.51 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(20) 2210-01-800-6105-पेंशन—			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(-)8,30.00	11,70.00	11,21.97
			(-) 48.03
पुनर्विनियोजन के रूप में 8,30.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(21) 2210-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन—			
मूल	12,99.01		
पुनर्वि.	1,00.00	13,99.01	10,82.16
			(-) 3,16.85
1,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(22) 2210-03-197-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल	26,80.54		
पूरक	2,65.00		
पुनर्वि.	(-) 5.50	29,40.04	26,26.84
			(-)3,13.20
5.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग के रूप में प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,56.50 लाख ₹ की कमी एवं 2,51.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होना सूचित की गई। कमी एवं अवशेष वृद्धि (2.30 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(23) 2210-05-105-2502-परिचारिकाओं का प्रशिक्षण—			
मूल	8,58.27		
पुनर्वि.	2.30	8,60.57	7,53.68
			(-) 1,06.89

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>2.30 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4.80 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.50 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः अतिरिक्त मांग (2.50 लाख ₹) के कारण होना सूचित की गई। कमी एवं अवशेष वृद्धि (2.30 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(24) 2210-06-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 4224-शिक्षा और प्रशिक्षण	3,50.00	2,20.71	(-) 1,29.29
<p>बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(25) 2210-06-101-0859-कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम	44,46.93	39,99.65	(-) 4,47.28
<p>2,22.69 लाख ₹ की समान राशि के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में निधियों की कमी एवं वृद्धि की गई। वृद्धि वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता एवं अतिरिक्त मांग के कारण होना सूचित की गई। कमी अंशतः मांग प्राप्त न होने के कारण हुई (10.00 लाख ₹)। अवशेष कमी (2,12.69 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(26) 2210-06-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 1070-खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)– मूल पुनर्वि.	9,86.54 1.00	9,87.54	6,66.44 (-)3,21.10
<p>1.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 6.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5.00 लाख ₹ कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(27) 2210-06-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 0750-औषध नियंत्रण– मूल पुनर्वि.	9,40.07 (-) 1.00	9,39.07	4,79.98 (-) 4,59.09
<p>पुनर्विनियोग के रूप में 1.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12 एवं 2010–11 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(28) 2210-06-196-4245-शीत ज्वर– मूल पुनर्वि.	1,28,68.78 (-) 2,20.80	1,26,47.98	1,06,99.73 (-) 19,48.25
<p>पुनर्विनियोग के रूप में 2,20.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,98.80 लाख ₹ की कमी एवं 5,78.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः मांग प्राप्त न होने के कारण हुई (98.80 लाख ₹)। वृद्धि अंशतः अतिरिक्त मांग प्राप्त होने के कारण हुई (18.00 लाख ₹)। अवशेष कमी (7,00.00 लाख ₹) एवं वृद्धि (5,60.00 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(29) 2211-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 0336-ऑक्जीलियरी नर्स, मिडवाइफ एवं हेल्थ विजीटर्स को परिवार कल्याण का प्रशिक्षण	23,38.00	16,03.02	(-) 7,34.98
(30) 2211-003-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2880-बहुउद्देशीय कार्यकर्ता योजना	8,73.00	6,88.48	(-)1,84.52
(31) 2211-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 2703-प्रत्यक्ष व्यय	28,37.50	22,08.65	(-)6,28.85
(32) 2211-106-4602-स्टर लाइजेशन	2,50.00	1,38.26	(-) 1,11.74
(33) 2211-196-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 1508-जिला स्तरीय अमला	53,65.00	45,26.59	(-) 8,38.41
(34) 2211-198-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 0621-अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केन्द्र	2,81,45.00	2,51,59.21	(-) 29,85.79

उपरोक्त क्रम संख्या (29) से (34) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। क्रम संख्या (29) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10, क्रम संख्या (31) में 2011-12 एवं 2010-11 तथा क्रम संख्या (30), (33) एवं (34) में 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति- संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	1,15,24.00	1,21,21.93	+ 5,97.93
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(2) 2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय— मूल	3,82,88.34		
पुनर्वि.	19,50.00	4,02,38.34	3,84,87.00
			(-)17,51.34

19,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अवर्धन प्रावधान में 62,35.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 42,85.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन एवं भत्ते के भुगतान के लिये राशि की आवश्यकता होने से हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(3) 2210-03-103-5868-राज्य स्तरीय सहायता कोष— मूल	70,00.00		
पुनर्वि.	5,00.00	75,00.00	73,87.38
			(-) 1,12.62

अनुदान संख्या 19—जारी

5.00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

प्रभारित—

(v) 56.09 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-196-1473-जिला चिकित्सालय	46.00	4.91	(-) 41.09
(2) 2211-196-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 1508-जिला स्तरीय अमला	15.00	..	(-) 15.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान तथा क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) 15 मार्च 2013 को किया गया 63,50.00 लाख ₹ का अभ्यर्पण 62,32.41 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4210-01-110-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6453-स्वास्थ्य अद्योसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग)— पूरक पुनर्वि.	12,90.00 (-) 10,00.00	2,90.00	9,74.35 + 6,84.35
(2) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6271-जय प्रकाश अस्पताल का आधुनिकीकरण— मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 9,50.00	50.00	.. (-) 50.00
(3) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6882-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण (नाबार्ड)— मूल पुनर्वि.	14,00.00 (-) 7,00.00	7,00.00	5,44.11 (-)1,55.89

अनुदान संख्या 19—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण— मूल 48,00.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-) 37,00.00	11,00.00	10,44.25	(-) 55.75

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 10,00.00 लाख ₹, 9,50.00 लाख ₹, 7,00.00 लाख ₹ एवं 37,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, क्रम संख्या (3) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 एवं क्रम संख्या (4) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलपूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	3,92,65,00			
पूरक	27,35,00	4,20,00,00	3,45,04,17	(-) 74,95,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				46,68,12

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि

50,00

44,24

(-) 5,76

निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	4,79,88,37			
पूरक	26,31,67	5,06,20,04	4,00,96,95	(-) 1,05,23,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				58,38,58

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (2,00.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2012 (25,35.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 27,35.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 74,95.83 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 46,68.12 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2215-01-001-0523-प्रदेश की जल प्रदाय योजनाओं की स्थापना—			
मूल	17,16.91		
पुनर्वि.	(-) 9,53.20	7,63.71	7,53.87
			(-) 9.84

9,53.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,57.20 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,70.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,87.20 लाख ₹) एवं 4.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि एवं अपर्याप्त प्रावधान के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 में भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2215-01-001-2294-निर्देशन—			
मूल	28,54.51		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-) 8,15.48	20,39.03	19,31.72
			(-) 1,07.31

8,15.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 9,20.92 लाख ₹ (समर्पण 4,60.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,60.92 लाख ₹) की कमी एवं 1,05.44 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि परीक्षा के संचालन, मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि अन्य भत्तों के लिये अपर्याप्त प्रावधान एवं नये वाहन के क्रय हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2215-01-001-2714-प्रशासन—				
मूल	1,09,13.86			
पूरक	5,30.00			
पुनर्वि.	(-) 22,07.30	92,36.56	89,87.70	(-) 2,48.86

22,07.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 24,71.30 लाख ₹ (समर्पण 16,45.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 8,26.30 लाख ₹) की कमी एवं 2,64.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि, गंभीर बीमारी के लंबित चिकित्सा देयक के भुगतान, अन्य भत्तों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता एवं अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 2215-01-101-0545-प्रदेश के जल प्रदाय गृहों की स्थापना एवं संधारण—				
मूल	32,59.00			
पूरक	60.00			
पुनर्वि.	(-) 4,37.00	28,82.00	23,82.95	(-) 4,99.05

4,37.00 लाख ₹ (समर्पण 1,70.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,67.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण—				
मूल	8,70.00			
पूरक	2,80.00			
पुनर्वि.	20.00	11,70.00	9,90.45	(-)1,79.55

20.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि मजदूरी के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2215-01-102-1194-ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का संधारण				
		9,20.00	8,18.90	(-) 1,01.10

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2215-01-102-2219-नलकूपों (हैण्ड पंपों) का अनुरक्षण—			
मूल	1,33,05.00		
पूरक	17,00.00		
पुनर्वि.	(-) 11,22.00	1,38,83.00	1,26,44.31
			(-)12,38.69

11,22.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 17,45.00 लाख ₹ (समर्पण 12,45.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,00.00 लाख ₹) की कमी एवं 6,23.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं अन्य भत्तों के लिए अपर्याप्त प्रावधान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता एवं वेतन भत्तों की दरों में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई (5,48.00 लाख ₹)। अवशिष्ट वृद्धि (75.00 लाख ₹) एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(8) 2215-01-192-0101-राज्य योजना
(सामान्य)–

7447-पुनः जल प्रदाय योजना–

मूल	1,62.59			
पुनर्वि.	(-) 71.70	90.89	90.89	..

समर्पण के रूप में 71.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(9) 2215-02-107-1249-प्रदेश की मलजल
निकासी योजनाओं की स्थापना एवं
अनुरक्षण कार्य–

मूल	19,43.65			
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	1,88.50	22,32.15	19,49.73	(-) 2,82.42

1,88.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि प्रावधान में 4,13.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 2,25.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि जल-मल संयंत्र के विद्युत देयकों एवं अन्य लंबित देयकों के भुगतान, वेतन के लिये अपर्याप्त प्रावधान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता एवं मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(10) 2215-02-107-8294-भोज वेट लैण्ड
संरक्षण–

मूल	4,45.00			
पुनर्वि.	(-) 45.00	4,00.00	3,70.08	(-) 29.92

समर्पण के रूप में 45.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2215-01-001-1854-ड्रिलिंग रिग्स का आपरेशन/वर्क शाप/एयर कम्प्रेसन—			
मूल	11,43.16		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	9,07.00	20,50.17	19,40.12
			(-) 1,10.05

9,07.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि, प्रावधान में 13,70.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 4,63.00 लाख (समर्पण 4,02.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 61.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्तों की दरों में वृद्धि, वेतन के लिये अपर्याप्त प्रावधान के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता, लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान एवं भारत सरकार से आयोजना हेतु राशि प्राप्त न होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(v) उचंत लेन देन:-

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग (दत्तमत) में वर्ष 2012-13 के दौरान उचंत शीर्ष के अंतर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थाई प्रकृति के लेन-देन दर्ज किये जाते हैं, जो कि या तो संबंधित निर्माण कार्य के अंतिम व्यय के रूप में समायोजनीय नहीं होते हैं या जिनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है तो उन्हें वर्ष प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है।

"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं, यथा:-

(i) क्रय (ii) भण्डार (iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम (iv) कार्यशाला उचंत।

प्रत्येक उपभाग के अंतर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य-विधि जो अपनाई जाती है, निम्नानुसार स्पष्ट की गई है:-

(1) क्रय- राज्य में 1983-84 से प्रचलित नई लेखा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में यह उपशीर्ष अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

(2) भण्डार- इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिये नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु अधिग्रहीत सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिये प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिये यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से संबंधित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, के योग के नामें शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम-इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य, प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियां आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष, वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत- किये गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण कार्य विभाग की कार्यशालाओं में अन्य परिचालन संबंधी प्रभार, जिनकी वसूली या समायोजन लंबित हैं, इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

वर्ष 2012-13 के दौरान अनुदान के अंतर्गत लेखाबद्ध किये गए विभिन्न उचंत उपशीर्षों में उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:-

विवरण	1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष नामे + tek (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंत शेष नामे + tek (-)
2215-जल पूर्ति तथा सफाई (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 44,10.17	(-) 44,10.17
(ii) भण्डार	+ 9,43.73	+ 9,43.73
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2,03,09.20	+ 2,03,09.20
योग	+ 1,68,42.76	+ 1,68,42.76

अनुदान संख्या 20—जारी

प्रभारित—

(vi) 5.76 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (18,00.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2012 (8,31.67 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 26,31.67 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(viii) 1,05,23.09 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 58,38.58 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4215-01-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7164-नई प्रयोगशाला का निर्माण	15,89.76	2,79.42	(-) 13,10.34

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल पुनर्वि.	1,55,12.96 (-) 36,24.57	1,18,88.39	1,17,68.68 (-) 1,19.71
---	----------------------------	------------	---------------------------

36,24.57 लाख ₹ (समर्पण 12,12.18 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 24,12.39 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः राज्यांश की अपेक्षा केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने एवं निविदा में योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्य की निम्न दरें प्राप्त होने के कारण हुई। अवशिष्ट कमी (12,12.18 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7162-ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	26,63.80	25,62.67	(-) 1,01.13
---	----------	----------	-------------

(4) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 9489-प्रदेश में फ्लोरासिस नियंत्रण कार्यक्रम	37,20.00	31,70.22	(-) 5,49.78
---	----------	----------	-------------

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 4215-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6032-भू-जल संवर्धन कार्यक्रम— मूल पुनर्वि.	70,00.00 (-) 35,00.00	35,00.00	29,04.64 (-) 5,95.36
--	--------------------------	----------	-------------------------

अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 4215-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6034-स्वजल धारा कार्यक्रम— मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-) 5,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 35,00.00 लाख ₹ एवं 5,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत एवं क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 4215-01-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7163-सहायक गतिविधियां	29,36.48	12,70.83	(-)16,65.65
---	----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना— मूल 1,35,25.74 पुनर्वि. 9,73.60	1,44,99.34	1,42,30.85	(-) 2,68.49

9,73.60 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 19,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 9,26.40 लाख ₹ (समर्पण 6,26.40 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,00.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्षान्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 4215-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7233-इयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 8,12.39	8,12.39	7,57.82	(-)54.57
---	---------	---------	----------

8,12.39 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि कार्यक्रम के स्वीकृत बजट प्रावधान में बचत के कारण द्वितीय अनुपूरक अनुदान में सांकेतिक प्रावधान के कारण होना बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
3054—सड़क तथा सेतु			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,14,84,78			
पूरक	14,39,97	1,29,24,75	1,21,68,90	(-)7,55,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1

प्रभारित

1,00

..

(-) 1,00

*वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि**निरंक***पूंजीगत:**

दत्तमत—

मूल	46,86,00			
पूरक	4,85,00	51,71,00	51,65,99	(-) 5,01
वर्ष दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,00

प्रभारित

22,00

19,13

(-) 2,87

*वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि**निरंक*

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 7,55.85 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया क्रमशः 5.70 लाख ₹ एवं 4,65.77 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 9,68.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 7,55.85 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 0.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-80-001-3296-मण्डल की स्थापना का व्यय (रा.आ.बा.सा.परि.)—			
मूल	19,40.81		
पूरक	1.50		
पुनर्वि.	(-) 5.00	19,37.31	16,76.08
			(-) 2,61.23

अनुदान संख्या 21—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

5.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2217-01-001-0101-राज्य आयोजन
(सामान्य)–

3889-वन संभाग की स्थापना 1,90.01 1,39.29 (-) 50.72

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2217-05-001-2020-नगर और ग्राम
निवेश–

मूल 13,98.32
पूरक 2,69.97 16,68.29 13,68.33 (-) 2,99.96

निधियों के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में समान राशि (9.40 लाख ₹) की कमी एवं वृद्धि हुई। कमी वेतन एवं चिकित्सा अग्रिम में कमी के कारण हुई जबकि वृद्धि मकान किराया भत्ता, ग्रेड पे तथा चिकित्सा अग्रिम हेतु कम प्रावधान होने, मकान किराया भत्ते में वृद्धि तथा संविदा नियुक्तियों के कारण निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2217-05-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–

2621-विकास योजना बनाना,
पुनर्विलोकन एवं उपान्तरण करना–
मूल 3,00.01
पुनर्वि. (-) 75.00 2,25.01 2,01.08 (-) 23.93

75.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

प्रभारित–

(iv) 1.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:

(v) 5.01 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया क्रमशः 10.00 लाख ₹ एवं 2,20.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 2,55.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 5.01 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 1.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 21—समाप्त

(vii) यद्यपि 5.01 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुए हैं:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:-			
4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0284-अरिहायशी भवन			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि.	(-) 1,20.00	4,80.00	3,43.14
			(-)1,36.86

1,20.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत अरिहायशी भवनों के निर्माण कार्य निष्पादित नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

[ब] आधिक्य:-

4217-01-052-3414-मशीनें और उपस्कर	15.00	2,17.71	+ 2,02.71
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

प्रभारित—

(viii) 2.87 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास—नगरीय निकाय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2217—शहरी विकास			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	3,28,33,86		
पूरक	44,78,59	3,73,12,45	3,47,42,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (22 अगस्त, 27 सितम्बर 2012 एवं 28— 30— 31 मार्च 2013)			(-) 25,70,38 24,74,08
पूंजीगत	1,61,10,67	99,89,77	(-) 61,20,90 61,20,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (27 सितम्बर 2012 एवं 30 मार्च 2013)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 25,70.38 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 7.86 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 44,18.64 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था एवं मार्च 2013 में प्राप्त किया 52.09 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 25,70.38 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 22 अगस्त, 27 सितम्बर 2012 तथा 28— 30— 31 मार्च 2013 को केवल 24,74.08 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2217-05-800-6148-नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—			
मूल	8,46.45		
पूरक	7.70		
पुनर्वि.	(-) 2,67.96	5,86.19	5,89.17
			+ 2.98

2,67.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,86.35 लाख ₹ की कमी (समर्पण 2,67.96 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.39 लाख ₹) एवं 0.39 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त रहने, सांकेतिक प्रावधान किये जाने एवं दावे प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (2,67.96 लाख ₹)। शेष कमी (0.39 लाख ₹) तथा वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2217-05-800-1201-विदेशी सहायता
प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)—
7321-गरीबों के लिये शहरी सेवा
कार्यक्रम—

मूल	70,45.01		
पुनर्वि.	(-) 12,87.96	57,57.05	57,57.05
			..

अनुदान संख्या 22—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>12,87.96 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 12,91.56 लाख ₹ की कमी (समर्पण 12,87.96 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3.60 लाख ₹) एवं 3.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी नवीन प्रोजेक्ट एम.पी.यू. आई.आई.पी.के लिये नवीन बजट लाईन खोलने एवं पद रिक्त रहने के कारण हुई। वृद्धि बकाया राशि का भुगतान किये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(3) 2217-05-800-1201-विदेशी सहायता			
प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)–			
7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास–			
मूल	3,90.11		
पुनर्वि.	(-) 1,13.05	2,77.06	2,76.89 (-) 0.17
<p>1,13.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,14.19 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,13.05 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1.14 लाख ₹) एवं 1.14 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त रहने, परियोजना में स्वीकृत पदों से कम की अधिकारियों/कर्मचारियों की पदस्थापना होने, पुरानी दरों के अनुसार मजदूरी का भुगतान होने, कार्य योजना को अंतिम रूप नहीं दिये जाने एवं वाहनों के क्रय की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (95.87 लाख ₹)। वृद्धि वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई। शेष कमी (18.32 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(4) 2217-05-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित			
योजनाएं सामान्य–			
6028-इंटीग्रेटेड लोकोस्ट सेनीटेशन स्कीम–			
मूल	5,35.44		
पुनर्वि.	(-) 3,95.17	1,40.27	1,40.27 ..
<p>समर्पण के रूप में 3,95.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।</p>			
(5) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना			
(सामान्य)–			
6022-मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम सर्वे–			
मूल	2,00.00		
पुनर्वि.	(-) 1,20.00	80.00	80.00 ..
(6) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना			
(सामान्य)–			
7147-लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे/अध्ययन–			
मूल	1,50.00		
पुनर्वि.	(-) 1,17.03	32.97	32.97 ..
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 1,20.00 लाख ₹ एवं 1,17.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			

अनुदान संख्या 22—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4217-60-191-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास— मूल	11,34.58		
पुनर्वि.	(-) 6,69.48	4,65.10	4,65.11
			0.01

समर्पण के रूप में 6,69.48 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 6217-60-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7905-नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास— मूल	98,31.29		
पुनर्वि.	(-) 57,31.37	40,99.92	40,99.92
			..

57,31.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 54,51.37 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,80.00 लाख ₹) कार्य की धीमी प्रगति होने एवं नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से लिये गए कर्ज से कार्य निष्पादन के कारण बचत होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6217-01-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7986-राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास— मूल	36,50.77		
पुनर्वि.	2,80.00	39,30.77	39,30.77
			..

2,80.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि राज्य की राजधानी में कार्य निष्पादित किये जाने के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2700—मुख्य सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	7,42,08,96			
पूरक	8,92,63	7,51,01,59	6,49,00,16	(-) 1,02,01,43
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				15,02,98

प्रभारित

*वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(30 मार्च 2013)*

	20,00	7,66	(-) 12,34	11,00
--	-------	------	-----------	-------

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	10,94,19,39			
पूरक	3,95,13,92	14,89,33,31	12,83,65,48	(-) 2,05,67,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 एवं 30 मार्च 2013)				1,26,62,00

प्रभारित

*वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(30 मार्च 2013)*

	1,00,00	66,44	(-) 33,56	29,00
--	---------	-------	-----------	-------

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 8,92.63 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,02,01,43 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 15,02.98 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2700-11-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	40,64.43		
पूरक	1,70.00		
पुनर्वि.	(-) 1,20.00	41,14.43	37,27.90
			(-) 3,86.53

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
1,20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,41.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की कमी एवं 21.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण संसूचित की गई। कमी एवं अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(2) 2700-13-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	16,20.53		
पूरक	55.00	16,75.53	14,64.48
			(-) 2,11.05
(3) 2700-80-005-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
9957-कार्यपालिक, स्थापना (सर्वेक्षण एवं अन्वेषण)—			
मूल	11,15.75		
पूरक	15.00	11,30.75	9,58.54
			(-) 1,72.21
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत प्रावधान में क्रमशः 3.00 लाख ₹ एवं 5.00 लाख ₹ की समान राशि की कमी एवं वृद्धि की गई। वृद्धि मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्तों के लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 2700-80-800-6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था—			
मूल	12,50.00		
पुनर्वि.	(-) 4,48.00	8,02.00	10,94.32
			+ 2,92.32
समर्पण के रूप में 4,48.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कृषक संस्थाओं हेतु पात्रता राशि भुगतान हेतु अधिक प्रावधान करने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(5) 2700-80-800-6658-13वां वित्त आयोग—			
मूल	26,00.00		
पुनर्वि.	(-) 2,80.00	23,20.00	19,05.03
			(-) 4,14.97
समर्पण के रूप में 2,80.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजनाओं के सुधार/मरम्मत के लिए अधिक प्रावधान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(6) 2701-80-001-0275-आबियाना स्थापना—			
मूल	33,68.28		
पूरक	15.00	33,83.28	28,54.93
			(-) 5,28.35
(7) 2701-80-001-0815-कार्यपालिक स्थापना—			
पूरक	1,70.00	1,70.00	25.83
			(-) 1,44.17
(8) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
0814-कार्यपालिक स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)—			
मूल	13,52.22		
पूरक	25.00	13,77.22	12,09.61
			(-) 1,67.61
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556-मुख्यालय स्थापना (यूनिट — एक)— मूल	53,11.38			
पुनर्वि.	17.60	53,28.98	27,33.06	(-) 25,95.92

17.60 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 37.60 लाख ₹ की वृद्धि एवं 20.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन एवं भत्तों के लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। कमी एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4003-विद्युत एवं यांत्रिक स्थापना मुख्यालय स्थापना— मूल	3,49.19			
पूरक	4.00	3,53.19	2,16.78	(-) 1,36.41

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 2701-80-052-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0693-औजार और संयंत्र—		44,79.64	40,03.81	(-) 4,75.83
---	--	----------	----------	-------------

प्रावधान में समान राशि (7.00 लाख ₹) की कमी एवं वृद्धि की गई। वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान के कारण हुई। कमी एवं अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(12) 2701-80-800-2250-नहरे तथा तालाब— मूल	64,55.00			
पूरक	25.00			
पुनर्वि.	(-) 1,76.00	63,04.00	57,15.23	(-) 5,88.77

1,76.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,17.00 लाख ₹ (समर्पण 1,76.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,41.00 लाख ₹) की कमी एवं 3,41.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः मजदूरी में अधिक प्रावधान, विद्युत खपत में मितव्ययता एवं सामग्री की आवश्यकता न होने के कारण हुई (1,76.00 लाख ₹)। शेष कमी (3,47.00 लाख ₹) एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(13) 2701-80-800-6658-13वां वित्त आयोग— मूल	8,00.00			
पुनर्वि.	(-) 3,09.00	4,91.00	4,05.79	(-) 85.21

समर्पण के रूप में 3,09.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 13वां वित्त आयोग के अन्तर्गत राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 23—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2701-80-799-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4056-विविध—लोक निर्माण पेशगियां	1,50.00	2,10.06	+ 60.06

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(v) उचंत लेन—देनः—

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) अनुभाग के अन्तर्गत व्यय में "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत लेखांकित किये गए 3,92.10 लाख ₹ सम्मिलित हैं। "उचंत" के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

वर्ष 2012—13 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उप—शीर्षों के अन्तर्गत लेखांकित उचंत लेन—देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया हैः—

विवरण	1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
2701—मध्यम सिंचाई (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 23,09.78	(-) 23,09.78
(ii) भण्डार	+ 3,77.05	1,38.34	..	+ 5,15.39
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 66,87.53	2,10.06	15,10.41	+ 53,87.18
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 3,97.45	43.70	..	+ 4,41.15
योग	+ 51,52.25	3,92.10	15,10.41	+ 40,33.94

प्रभारित—

(vi) 12.34 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 11.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2701-80-800-5837-भवनों का अनुरक्षण— मूल	20.00		
पुनर्वि.	(-) 11.00	9.00	7.66
			(-) 1.34

समर्पण के रूप में 11.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत डिक्रीधन में भुगतान की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

पूंजीगतः
दत्तमत—

(viii) 2,05,67.83 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया क्रमशः 1.00 लाख ₹ एवं 1,21,25.92 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 2,73,87.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 23—जारी

(ix) 2,05,67.83 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 28— 30 मार्च 2013 को केवल 1,26,62.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-12-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट—एक एवं यूनिट—दो)— मूल 14,02.02 पूरक 5.00	14,07.02	12,41.18	(-) 1,65.84

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4700-18-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना— मूल 3,50.00 पुनर्वि. (-) 3,05.00	45.00	44.12	(-) 0.88
---	-------	-------	----------

समर्पण के रूप में 3,05.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 4700-19-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना— मूल 27,00.00 पुनर्वि. (-) 24,06.70	2,93.30	2,93.30	..
---	---------	---------	----

24,06.70 लाख ₹ (समर्पण 6,50.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 17,56.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने, सुधार एवं सुदृढीकरण कार्यों की स्वीकृति में सुधार प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने एवं प्रथम अनुपूरक में अनुदान संख्या 45—मुख्य शीर्ष 4702 लघु योजना अन्तर्गत कराये गये प्रावधान के एवज में समर्पण के कारण हुई (14,65.00 लाख ₹)। शेष कमी (9,41.70 लाख ₹) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)।

(4) 4700-21-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6596-सुधार सुदृढीकरण एवं पुनर्स्थापना— मूल 8,50.00 पुनर्वि. (-) 8,50.00
--	----	----	----

8,50.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत स्वीकृति की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने एवं सुधार सुदृढीकरण अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 4700-22-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641-स्थापना— मूल	6,42.86			
पूरक	1.96	6,44.82	4,98.64	(-) 1,46.18
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(6) 4700-24-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641-स्थापना— मूल	6,51.94			
पूरक	2.50	6,54.44	5,11.37	(-) 1,43.07
(7) 4700-26-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641-स्थापना— मूल	18,03.53			
पूरक	15.00	18,18.53	16,03.54	(-) 2,14.99
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में क्रमशः 1.00 लाख ₹ एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं कमी की गई। वृद्धि लंबित चिकित्सा देयकों के भुगतान के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(8) 4700-26-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल	1,80,39.41			
पूरक	20,00.00			
पुनर्वि.	(-) 29,30.00	1,71,09.41	1,70,27.94	(-) 81.47
समर्पण के रूप में 29,30.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रथम अनुपूरक बजट में इस योजना के स्थान पर अनुदान संख्या 45 मुख्य शीर्ष 4702 लघु योजना अन्तर्गत कराये गये प्रावधान के लिए समर्पण के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(9) 4700-63-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2897-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल	1,28,60.94			
पूरक	1,09.00			
पुनर्वि.	(-) 59,70.00	69,99.94	69,50.29	(-) 49.65
(10) 4700-69-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल	20,00.00			
पूरक	49,70.00			
पुनर्वि.	(-) 19,90.00	49,80.00	49,72.32	(-) 7.68

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 59,70.00 लाख ₹ (समर्पण 45,70.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 14,00.00 लाख ₹) एवं 19,90.00 लाख ₹ (समर्पण 19,50.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 40.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत कार्य प्रारम्भ नहीं होने, कार्य की प्रगति धीमी होने एवं प्रथम अनुपूरक बजट में अनुदान संख्या 45 मुख्य शीर्ष 4702 लघु योजना अन्तर्गत कराये गये प्रावधान के लिए समर्पण के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(11) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 2304-निदेशन और प्रशासन	37,80.43	..	(-) 37,80.43
<p>सम्पूर्ण प्रावधान की बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(12) 4701-40-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि– 2897-बांध तथा संलग्न कार्य– मूल 30,00.00 पुनर्वि. (-) 19,45.00	10,55.00	10,60.41	+ 5.41
(13) 4701-43-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)– 2897-बांध तथा संलग्न कार्य– मूल 10,00.00 पुनर्वि. (-) 9,80.00	20.00	8.82	(-) 11.18
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 19,45.00 लाख ₹ (समर्पण 45.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 19,00.00 लाख ₹) एवं 9,80.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य करने वाली एजेन्सी द्वारा किये गए कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य/ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(14) 4701-61-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य– मूल 10,96.00 पूरक 13,00.00 पुनर्वि. 6,00.00	29,96.00	..	(-) 29,96.00
<p>6,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(15) 4701-62-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य– मूल 1,00.00 पूरक 33,00.00	34,00.00	12,52.46	(-) 21,47.54
<p>बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(16) 4701-66-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 20,00.00 पुनर्वि. (-) 20,00.00
20,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने एवं सुधार एवं सृदृढीकरण कार्यों की स्वीकृति में सुधार प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण हुई।			
(17) 4701-80-001-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य— मूल 71,81.43 पूरक 20,69.00 पुनर्वि. (-) 62.00	91,88.43	38,51.23	(-) 53,37.20
समर्पण के रूप में 62.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना पर निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य न करने एवं दैनिक वेतन भोगी कमचारियों के अन्य परियोजना में समायोजित होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)।			
(18) 4701-80-001-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5584-सिंहपुर बैराज— मूल 25,00.00 पुनर्वि. (-) 1,18.19	23,81.81	22,32.70	(-) 1,49.11
1,18.19 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(19) 4701-80-001-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 6599-रुझ परियोजना मूल 35,00.00 पुनर्वि. (-) 34,60.00	40.00	27.32	(-) 12.68
34,60.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(20) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2304-निदेशन और प्रशासन	29,00.00	..	(-) 29,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(21) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5591-मरदानपुर उद्वहन सिंचाई योजना— मूल 3,00.00 पुनर्वि. (-) 1,72.00	1,28.00	1,27.98	(-) 0.02
1,72.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य करने वाले एजेन्सी द्वारा किये गए कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(22) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5592-सीप कोलार लिंक व्यपवर्तन योजना— मूल 35,00.00 पुनर्वि. (-) 29,00.00	6,00.00	5,99.13	(-) 0.87

29,00.00 लाख ₹ (समर्पण 24,00.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की अपेक्षा अनुरूप प्रगति न होने एवं प्रथम अनुपूरक में अनुदान संख्या 45 मुख्य शीर्ष 4702 लघु योजना अन्तर्गत कराये गये प्रावधान हेतु समर्पण एवं कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(23) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6598-दतुनी मध्यम सिंचाई योजना— मूल 10,00.00 पूरक 20,00.00 पुनर्वि. (-) 10,00.00	20,00.00	22,20.00	+ 2,20.00
--	----------	----------	-----------

10,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(24) 4711-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5570-सेठानी घाट खोह भराई एवं रतन मंदिर के गोलघाट तक मरम्मत कार्य— मूल 1,82.73 पुनर्वि. (-) 1,76.30	6.43	6.40	(-) 0.03
--	------	------	----------

1,76.30 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्य पूर्ण रूप से प्रारम्भ न होने एवं कार्य की प्रगति धीमी रहने के कारण हुई (1,46.30 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (30.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-12-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2897-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 21,45.07 पूरक 1,84.25 पुनर्वि. 8,00.00	31,29.32	30,64.24	(-) 65.08

8,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के भुगतान देय होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 4700-13-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल	68,80.04			
पूरक	76,39.30			
पुनर्वि.	9,80.00	1,54,99.34	1,77,28.61	+ 22,29.27
(3) 4700-13-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— पूरक	1.00			
पुनर्वि.	53,60.00	53,61.00	29,68.63	(-) 23,92.37
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 9,80.00 लाख ₹ एवं 53,60.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।</p>				
(4) 4700-22-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल	23,10.30			
पूरक	60.00			
पुनर्वि.	8,61.20	32,31.50	31,80.19	(-) 51.31
<p>8,61.20 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 9,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 88.80 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि चालू निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>				
(5) 4700-24-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल	12,18.85			
पूरक	1,20.00			
पुनर्वि.	11,56.99	24,95.84	24,49.64	(-) 46.20
<p>11,56.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि भू-अर्जन एवं निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>				
(6) 4700-61-800-0101- राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल	1.00			
पुनर्वि.	2,00.00	2,01.00	2,00.52	(-) 0.48

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>2,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(7) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 4146-वृहद परियोजनाओं का सर्वेक्षण– मूल पुनर्वि.	1,00.00 1,65.00	2,65.00	2,47.04 (-) 17.96
<p>1,65.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि सर्वेक्षण कार्य के भुगतान देय होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(8) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 8695-पूर्ण योजनाओं के देनदारियों हेतु– मूल पुनर्वि.	3,00.00 3,44.00	6,44.00	6,30.84 (-) 13.16
<p>3,44.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,56.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि पूर्ण हुई योजना के लंबित देयकों के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(9) 4701-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 6619-ठिकारिया मध्यम सिंचाई योजना– पूरक पुनर्वि.	30,00.00 40,07.98	70,07.98	69,77.83 (-) 30.15
<p>40,07.98 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि भू-अर्जन एवं चालू निर्माण कार्य के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(10) 4701-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य– मूल पूरक	50.00 40,00.00	40,50.00	91,47.82 + 50,97.82
<p>आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(11) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य– मूल पूरक पुनर्वि.	1,00.00 4,65.00 3,17.00	8,82.00	64,74.12 + 55,92.12

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

3,17.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,83.00 लाख ₹ (समर्पण 38.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,45.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मध्यम निर्माण कार्य की पूर्ण हो चुकी योजना के लंबित देयकों के भुगतान देय होने के कारण सूचित की गई, जबकि कमी अंशतः निर्धारित लक्ष्य अनुसार कार्य न हो पाने के कारण हुई (38.00 लाख ₹)। शेष कमी (1,45.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(12) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–

5586-बनेठा मध्यम परियोजना–

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	4,58.00	5,58.00	8,23.91	+ 2,65.91

4,58.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 42.00 लाख ₹ (समर्पण 2.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 40.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान देय होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(13) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–

5588-बघरु मध्यम परियोजना–

मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	1,13.00	11,13.00	11,12.38	(-) 0.62

1,13.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 37.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य का भुगतान देय होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(14) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–

5589-रेहटी मध्यम परियोजना–

मूल	8,00.00			
पुनर्वि.	1,48.00	9,48.00	9,84.44	+ 36.44

1,48.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान देय होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(15) 4701-80-005-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–

3363-मध्यम परियोजना का सर्वे–

मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	47.00	1,47.00	1,42.22	(-) 4.78

47.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 62.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 15.00 लाख ₹ (समर्पण 5.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि योजना के सर्वेक्षण कार्य के भुगतान देय होने के कारण सूचित की गई जबकि कमी अंशतः कुछ योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य न हो पाने के कारण हुई (5.00 लाख ₹)। शेष कमी (10.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(16) 4711-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9229-सीहोर जिले की बाढ़ नियंत्रण योजना— मूल 1,77.17 पुनर्वि. 1,22.00	2,99.17	3,11.74	+ 12.57

1,22.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,60.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 38.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माणाधीन घाटों के भुगतान देय होने के कारण सूचित की गई जबकि कमी कार्य पूर्ण रूप से प्रारंभ न हो पाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(xii) उचंत लेन देन:—

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग के व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान उचंतशीर्ष के अन्तर्गत लेखांकित किये गए 0.07 लाख ₹ की राशि सम्मिलित हैं। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

वर्ष 2012-13 के दौरान इस अनुभाग के विभिन्न उचंत उप-शीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेनदेन का विश्लेषण प्रारम्भिक तथा अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंत शेष नामे + जमा (-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— (लाख ₹ में)				
(i) क्रय	(-) 22,89.29	(-) 22,89.29
(ii) भण्डार	+ 39,93.72	0.07	..	+ 39,93.79
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 11,77.39	+ 11,77.39
(iv) कार्यशाला उचंत	(-) 2,11.06	(-) 2,11.06
योग	+ 26,70.76	0.07	..	+ 26,70.83
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—				
(i) क्रय	(-) 12.92	(-) 12.92
(ii) भण्डार	+ 62.67	+ 62.67
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 12.74	+ 12.74
(iv) कार्यशाला उचंत	+ 2.22	+ 2.22
योग	+ 64.71	+ 64.71

प्रभारित—

(xiii) 33.56 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 29.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 23—समाप्त

(xiv) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष		कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4701-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1833-डिक्रीधन का भुगतान (भारित)— मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	(-) 29.00	71.00	66.44	(-) 4.56

समर्पण के रूप में 29.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत डिक्रीधन का भुगतान नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3053—नागर विमानन			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	9,76,04,24			
पूरक	3,47,79,16	13,23,83,40	11,85,56,09	(-) 1,38,27,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
<i>प्रभारित</i>		8,00,00	4,33,39	(-) 3,66,61
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>				<i>निरंक</i>

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	15,08,58,48			
पूरक	1,09,60,09	16,18,18,57	13,85,34,44	(-) 2,32,84,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				1,81,00,00

प्रभारित—

<i>मूल</i>	<i>12,50,00</i>			
<i>पूरक</i>	<i>1,38,45,00</i>	<i>1,50,95,00</i>	<i>1,50,96,17</i>	<i>+ 1,17</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>				<i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 1,38,27.31 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 52,79.16 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था तथा दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 2,15,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 80,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,38,27.31 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3053-60-102-6784-डुमना (जबलपुर) एयरपोर्ट मार्ग की प्रकाश व्यवस्था—			
पूरक	2,25.18	2,25.18	..
			(-) 2,25.18

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 3054-01-337-0134-अनुरक्षण और मरम्मत साधारण मरम्मत— मूल	67,50.00		
पूरक	70,00.00	1,37,50.00	99,52.08 (-) 37,97.92
(3) 3054-03-337-0134-अनुरक्षण और मरम्मत साधारण मरम्मत	18,00.00	12,72.59	(-) 5,27.41
(4) 3054-04-337-0134-अनुरक्षण और मरम्मत साधारण मरम्मत	3,80,65.40	3,06,72.98	(-) 73,92.42
(5) 3054-80-001-2418-निष्पादन मूल	48,75.61		
पूरक	39.00	49,14.61	29,83.64 (-) 19,30.97
(6) 3054-80-001-3300-मण्डल स्थापना	19,46.01	13,83.90	(-) 5,62.11
(7) 3054-80-001-3561-मुख्यालय स्थापना मूल	31,83.36		
पूरक	14.98	31,98.34	24,82.41 (-) 7,15.93

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (7) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 एवं क्रम संख्या (5) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3053-60-102-4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	27.50	2,25.18	+ 1,97.68
(2) 3054-01-337-4090-विशेष मरम्मत	1.00	92.91	+ 91.91
(3) 3054-04-800-7081-राजमार्गों/मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण— मूल	2,00,00.00		
पूरक	2,50,00.00	4,50,00.00	4,79,97.33 + 29,97.33

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(v) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिड पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के अंतर्गत जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि "3054—सड़कें तथा पुल—800'अन्य व्यय", जिसके लिए अनुदान संख्या 24 "लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा "8449"—अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता को अंतरित कर दी जाती है।

अनुदान संख्या 24—जारी

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अंतर्गत प्रारंभिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा "8449—अन्य जमा केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता" को अंतरित कर दिया जाता है। चालू वर्ष के दौरान कोई आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई तथा कोई व्यय नहीं किया गया।

31 मार्च 2013 को जमा लेखे में 2,39.75 लाख ₹ का शेष था। निधि का लेखा वित्त लेखे 2012—13 के विवरण संख्या—18 में दिया गया है।

प्रभारित—

(vi) 3,66.61 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
3054-80-800-3115-भू अर्जन हेतु मुआवजा (भारित)	8,00.00	4,33.39	(-) 3,66.61

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (59,60.02 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (50,00.05 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (0.02 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,09,60.69 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) 2,32,84.13 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 1,81,00.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3115-भू-अर्जन हेतु मुआवजा (भारित)— पूरक	34,60.00	34,60.00	.. (-) 34,60.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 5003-मध्य प्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम— मूल	4,34,60.00		
पुनर्वि.	(-) 1,56,00.00	2,78,60.00	1,56,03.00 (-) 1,22,57.00

1,56,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 2012—13 में बी.ओ.टी. के अन्तर्गत भू-अर्जन के लिये प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधान करने हेतु राशि अभ्यर्पित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	------------------	-------------------

(लाख ₹ में)

(3) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–
5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन 78,95.00 54,82.23 (-) 24,12.77
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 5054-04-800-1401-नाबार्ड (सामान्य)–
5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण
(नाबार्ड)–
मूल 2,76,00.47
पूरक 0.04
पुनर्वि. (-) 25,00.00 2,51,00.51 2,35,09.44 (-) 15,91.07

25,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 2012–13 में बी.ओ.टी. के अन्तर्गत भू-अर्जन के लिए प्रथम अनुपूरक बजट में प्रावधान करने हेतु राशि अभ्यर्पित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 5054-04-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–
2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम
(ग्रामीण सड़कों सहित) 3,25,79.00 2,75,81.26 (-) 49,97.74

(6) 5054-05-337-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना
सामान्य–
6331-अन्तर्राज्यीय/आर्थिक महत्व
की सड़कों का निर्माण 20,00.00 9,86.78 (-) 10,13.22

(7) 5054-05-337-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)–
6841-म.प्र. सड़क विकास निगम के
माध्यम से सड़कों का निर्माण–
मूल 80,00.00
पूरक 25,00.01 1,05,00.01 70,94.00 (-) 34,06.01

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12 तथा क्रम संख्या (5) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12 एवं 2010–11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(xi) उपरोक्त टिप्पणी (x) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः–

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 5053-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	6,50.00	41,09.87	+ 34,59.87
(2) 5054-03-101-1401-नाबार्ड (सामान्य)– 5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)	25,90.00	31,05.27	+ 5,15.27

अनुदान संख्या 24—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4149-वृहद पुलों का निर्माण	65,00.01	68,21.25	+ 3,21.24
(4) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6651-रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	30,00.00	76,83.28	+ 46,83.28
(5) 5054-03-337-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 0948-केन्द्रीय सड़क निधि— मूल	1,52,42.00		
पूरक	50,00.00	2,02,42.00	+ 42,34.04
(6) 5054-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1924-दस्यु प्रभावित क्षेत्रों में सड़क और पुल का निर्माण	1.00	1,75.81	+ 1,74.81
(7) 5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	6,40.00	76,67.00	+ 70,27.00
(8) 5054-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6738-एन्यूटी	5,00.00	40,56.00	+ 35,56.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (8) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।
उपरोक्त क्रम संख्या (4), (5) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(xii) 1,17,475 ₹ के भारित विनियोग से अधिक हुए व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

अनुदान संख्या 25—खनिज साधन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	25,44,14		
पूरक	13,00	25,57,14	21,48,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 4,08,85 3,34,69
प्रभारित—			
मूल	12,00,03,00		
पूरक	1,78,00,00	13,78,03,00	13,78,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 3,00 3,00
पूंजीगत:			
दत्तमत		10,00	5,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 4,83 4,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 13.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,08.85 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 3,34.69 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2853-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2294-निदेशन— मूल	15,71.41		
पुनर्वि.	(-)2,25.65	13,45.76	12,96.25
			(-)49.51

समर्पण के रूप में 2,25.65 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण कम व्यय होने, समय से तिमाही आवंटन का आहरण नहीं होने, मजदूरी, यात्रा भत्ता, कार्यालय व्यय आदि उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत कम राशि की मांग प्राप्त होने एवं प्रशासनिक स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में भुगतान नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2853-02-101-1010-मेसर्स कोल इण्डिया लिमिटेड— 3595- मेसर्स कोल इण्डिया लि. के लिए कोल पूर्वक्षण— मूल	1,91.87			
पुनर्वि.	(-)47.60	1,44.27	1,45.80	+ 1.53

समर्पण के रूप में 47.60 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण कम व्यय होने, अधिवक्ताओं की शुल्क के भुगतान हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं समय से तिमाही आवंटन का आहरण नहीं होने तथा मजदूरी, यात्रा भत्ते, कार्यलय व्यय आदि उद्देश्य शीर्षों के अन्तर्गत कम राशि की मांग होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2853-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0182-अन्य खनिजों का सर्वेक्षण— मूल	7,33.20			
पुनर्वि.	(-)73.47	6,59.73	6,47.99	(-)11.74

समर्पण के रूप में 73.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने, कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण कम व्यय होने एवं समय से तिमाही आवंटन का आहरण नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2853-02-001-2294-निदेशन— पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	23.00	23.00	23.00	..

23.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 25.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 2.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि वाहन का क्रय करने के कारण हुई। कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
2217—शहरी विकास			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	1,08,29,32		
पूरक	30,02,01	1,38,31,33	83,67,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)54,63,34 निरंक

83,67.99 लाख ₹ के कुल व्यय में संस्कृति विभाग द्वारा शीर्ष 2205—107—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—4283—संग्रहालय के अन्तर्गत एवं 30 मार्च 2013 को शीर्ष '8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा' में जमा की गई 10,00.00 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

पूंजीगत:	कुल	वास्तविक	आधिक्य + बचत -
मूल	4,18,50		
पूरक	1,40,00	5,58,50	5,57,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,00 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (₹ 3,56.00 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 18,52.76 लाख) तथा मार्च 2013 (₹ 7,93.25 लाख) में प्राप्त किया गया 30,02.01 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 54,63.34 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-03-103-7982-संगीत महाविद्यालय—			
मूल	5,00.44		
पूरक	13.50	5,13.94	4,16.02
			(-)97.92

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2205-103-2304-निदेशन और प्रशासन—

मूल	8,40.26		
पूरक	32.57		
पुनर्वि.	(-) 1.17	8,71.66	7,49.61
			(-)1,22.05

1.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3.17 लाख ₹ की कमी एवं 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि गर्म वर्दी के देयक का भुगतान होने, पी.ओ.एल. की दरों में वृद्धि होने एवं तेरहवे वित्त आयोग के कार्यों का निरीक्षण होने के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2205-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3675-राज्य पुरालेख संचालनालय	2,10.19	1,63.17	(-)47.02
(4) 2205-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4283-संग्रहालय— मूल	7,42.58		
पूरक	10,00.00	17,42.58	15,88.33
(5) 2205-800-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6464-स्मारको/संग्रहालयों का अनुरक्षण एवं विकास आदि कार्य— मूल	43,75.00		
पूरक	4,82.98	48,57.98	..
			(-)48,57.98

उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 15,88.33 लाख ₹ का वास्तविक व्यय 10,00.00 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 30 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत एवं क्रम संख्या (5) के शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्र. (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 तथा क्रम संख्या (4) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा
(प्रारंभिक शिक्षा)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	47,02,84,80		
पूरक	96,42,71	47,99,27,51	40,67,99,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-)7,31,27,84 1,85,87,79

40,67,99.67 लाख ₹ के कुल व्यय में आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शीर्ष 2202-01-101-0701- केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए (96.90 लाख ₹) के अन्तर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2013 को 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 96.90 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

प्रभारित	23,50	3	(-) 23,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	5,55,00		
पूरक	20,71,34	26,26,34	13,20,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 13,05,67 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था दिसम्बर 2012 (92,59.41 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (3,83.30 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 96,42.71 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 7,31,27.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 1,85,87.79 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की स्थापना—			
मूल	46,52.41		
पूरक	2.70		
पुनर्वि.	(-)4,63.16	41,91.95	41,65.00
			(-)26.95

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-01-001-3930-विकास खण्ड स्तर कार्यालय की स्थापना—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल	47,79.18		
पुनर्वि.	(-) 4,88.90	42,90.28	42,82.16
			(-)8.12

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 4,63.16 लाख ₹ एवं 4,88.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2202-01-101-3491-माध्यमिक शालायें— मूल	10,78,60.41		
पूरक	15.00		
पुनर्वि.	(-)1,18,90.79	9,59,84.62	9,59,84.52
			(-)0.10

1,18,90.79 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,19,10.79 लाख ₹ (समर्पण 1,09,30.79 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 9,80.00 लाख ₹) की कमी एवं 20.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने के कारण हुई (1,09,30.79 लाख ₹) जबकि वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के विभाग के पालन में अशासकीय शिक्षण संस्था के पांचवे वेतनमान का भुगतान किये जाने के कारण हुई। शेष कमी (9,80.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2202-01-101-4396-सरकारी प्राथमिक शालायें की स्थापना— मूल	20,00,50.91		
पूरक	40.00		
पुनर्वि.	(-)55,59.05	19,45,31.86	19,45,31.86
			..

समर्पण के रूप में 55,59.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2202-01-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 6491-आई.डी.एम.आई. योजना अंतर्गत अनुदान— मूल	5,00.00		
पुनर्वि.	(-)2,72.06	2,27.94	2,27.94
			..

समर्पण के रूप में 2,72.06 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल	60,45.36		
पूरक	3,02.41	63,47.77	47,26.27
			(-)16,21.50

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>47,26.27 लाख ₹ के व्यय में 96.90 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में, जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई, जिसके साथ ही प्रावधान में वृद्धि एवं कमी समान राशि (1,14.25 लाख ₹ प्रत्येक) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(7) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
7419-बालिकाओं की प्रारंभिक शिक्षा के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.ई. जी.ई.एल.) हेतु राजीव गांधी मिशन को अनुदान	9,00.91	6,75.68	(-)2,25.23
(8) 2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
8810-सर्वशिक्षा अभियान	10,16,16.59	5,08,08.29	(-)5,08,08.30
उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(9) 2202-01-102-9948-प्राथमिक शालायें—			
मूल	10,50.00		
पूरक	25,00.00		
पुनर्वि.	31.38	35,81.38	32,82.95
			(-)2,98.43
<p>31.38 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 68.62 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के विभाग के पालन में अशासकीय शिक्षण संस्था के पांचवे वेतनमान का भुगतान किये जाने के कारण हुई जबकि कमी आर्थिक उपायों के चलते हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(10) 2202-01-102-9949-माध्यमिक शालाओं को सहायक अनुदान—			
मूल	5,77.78		
पूरक	13,00.00		
पुनर्वि.	(-)10.80	18,66.98	18,37.37
			(-)29.61
<p>10.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 70.80 लाख ₹ की कमी एवं 60.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी आर्थिक उपायों के चलते हुई जबकि वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के विभाग के पालन में अशासकीय शिक्षण संस्था के पांचवें वेतनमान का भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(11) 2202-01-102-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—			
6344-मदरसा आधुनिकीकरण—			
मूल	15,00.00		
पूरक	3,25.60		
पुनर्वि.	(-) 41.28	17,84.32	17,67.12
			(-)17.20
<p>समर्पण के रूप में 41.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत समय से व्यय नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			

अनुदान संख्या 27—जारी.

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(12) 2202-01-108-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6809-कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	20,02.50	15,01.88	(-)5,00.62
(13) 2202-02-105-3668-राज्य की विज्ञान संस्था, जबलपुर	1,74.30	1,31.57	(-)42.73
उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(14) 2202-02-105-3694-राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल— मूल पुनर्वि.	8,56.34 (-)1.19	8,55.15	7,15.97 (-)1,39.18
1.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6.94 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की कमी एवं 5.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(15) 2202-02-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6011-साक्षर भारत	4,50.00	2,92.50	(-)1,57.50
(16) 2202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6012-शिक्षक प्रोत्साहन	1,05.00	52.50	(-)52.50
उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (15) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(17) 2202-03-103-4402-सरकारी शिक्षा महाविद्यालय	15,15.84	10,77.41	(-)4,38.43
प्रावधान में समान राशि (7.01 लाख ₹) के पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि एवं कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(18) 2202-03-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 4402-सरकारी शिक्षा महाविद्यालय— पूरक	1,03.90	1,03.90	35.70 (-)68.20
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति- संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-02-110-3491-माध्यमिक शालायें— मूल पूरक पुनर्वि.	18,34.20 50,00.00 1,06.86	69,41.06	69,41.06 ..

अनुदान संख्या 27—जारी

1,06.86 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 8,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6,93.14 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में अशासकीय शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को पांचवे वेतनमान के भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी मिव्यययिता के कारण हुई।

प्रभारित—

(v) 23.47 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2202-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	20.00	0.03	(-)/19.97

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) 13,05.67 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 20,71.34 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।

(viii) 13,05.67 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4202-01-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— पूरक	8,97.24	8,97.24	4,48.62 (-)/4,48.62
(2) 4202-02-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3694-राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल— पूरक	1,02.85	1,02.85	51.43 (-)/51.42
(3) 4202-03-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 4402-सरकारी शिक्षा महाविद्यालय— पूरक	2,30.49	2,30.49	1,15.25 (-)/1,15.24

अनुदान संख्या 27—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4202-04-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5481-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण— पूरक	8,40.76	8,40.76	2,30.52 (-)6,10.24
(5) 4202-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5481-शासकीय शिक्षा महाविद्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण	2,00.00	1,19.86	(-)80.14

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मण्डल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमण्डल			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	49,21,82		
पूरक	7,05,00	56,26,82	48,17,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-)8,08,95 2,12,13
प्रभारित—			
मूल	30,06		
पूरक	12,75	42,81	14,96
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-)27,85 10

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 7,05.00 लाख ₹ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 8,08.95 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 2,12.13 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2011-01-101-4007-विधायक/मंत्री— पूरक	7,05.00	7,05.00	.. (-) 7,05.00

लेखा शीर्ष "2011-02-101-4007" के स्थान पर इस शीर्ष में त्रुटिपूर्ण प्रावधान करने के कारण सम्पूर्ण पूरक प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(2) 2011-02-103-4009-विधान सभा

सचिवालय—

मूल	19,04.61		
पुनर्वि.	79.32	19,83.93	18,17.37
			(-)1,66.56

79.32 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,25.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 45.68 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। कमी सरकार के निर्देशों के अनुसार मितव्ययी उपायों के कारण हुई। वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2011-02-101-4007-विधायक / मंत्री—			
मूल	23,97.01		
पुनर्वि.	(-) 1,59.26	22,37.75	26,02.10
			+ 3,64.35

1,59.26 लाख ₹ (अभ्यर्पण 34.26 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,25.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अंशतः शासन के निर्देशानुसार आर्थिक उपायों के कारण हुई (34.26 लाख ₹)। 1,25.00 लाख ₹ की अवशिष्ट प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। अंतिम आधिक्य इस शीर्ष के बजाय शीर्ष "2011-01-101-4007" के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण प्रावधान किये जाने के कारण हुआ।

प्रभारित—

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 12.75 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2011-02-101-0125-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का यात्रा भत्ता (भारित)—			
मूल	29.26		
पूरक	12.75	42.01	14.96
			(-)27.05

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—विधि और विधायी कार्य

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
7610—शासकीय सेवकों आदि को कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	6,38,84,80			
पूरक	46,26,64	6,85,11,44	4,92,92,35	(-) 1,92,19,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,41,24,05

प्रभारित—

मूल	76,93,82			
पूरक	1,63,50	78,57,32	56,58,28	(-) 21,99,04
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				22,04,08

पूँजीगत:

दत्तमत		50,00	..	(-) 50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				50,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (8.97 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (43,98.07 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (2,19.60 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 46,26.64 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,92,19.09 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 1,41,24.05 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2014-102-3337-मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण—			
मूल	6,49.50		
पूरक	1.65		
पुनर्वि.	(-) 1,72.83	4,78.32	4,82.79
			+ 4.47

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2014-105-2410-निर्वाह पत्र तामिल स्थापना—				
मूल	24,69.10			
पूरक	37.00			
पुनर्वि.	(-) 2,80.09	22,26.01	22,50.68	+ 24.67
(3) 2014-105-4497-सामान्य स्थापना—				
मूल	3,75,33.55			
पूरक	2,34.00			
पुनर्वि.	(-) 84,32.60	2,93,34.95	2,92,96.19	(-) 38.76
(4) 2014-105-6020-ग्राम न्यायालय—				
मूल	17,51.31			
पूरक	24.00			
पुनर्वि.	(-) 3,73.62	14,01.69	14,19.83	+ 18.14
(5) 2014-105-6775-फास्ट ट्रेक योजना—				
मूल	13,25.31			
पुनर्वि.	(-) 7,87.36	5,37.95	5,35.67	(-) 2.28

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,72.83 लाख ₹, 2,80.09 लाख ₹, 84,32.60 लाख ₹, 3,73.62 लाख ₹ एवं 7,87.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत एवं क्रम संख्या (1), (2) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (4) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 तथा क्रम संख्या (2) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 2014-105-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6269-न्याय व्यवस्था में सुधार (13वां वित्त आयोग)—				
मूल	60,78.80			
पूरक	1,00.00			
पुनर्वि.	(-) 2,42.08	59,36.72	11,19.18	(-) 48,17.54

समर्पण के रूप में 2,42.08 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत आर्थिक कटौती अधिरोपित किये जाने, परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किये जाने एवं गैप विश्लेषण 'कोर्ट्स ऑफ टूमरो' योजना एवं 'ई-कोर्ट्स' परियोजना (1,00.00 लाख ₹) के कारण हुई। शेष बचत (1,42.08 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2014-800-7984-परिवार न्यायालयों की स्थापना—				
मूल	10,17.46			
पुनर्वि.	(-) 1,66.81	8,50.65	8,44.16	(-) 6.49

समर्पण के रूप में 1,66.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2015-102-2409-निर्वाचन अधिकारी—				
मूल	12,75.50			
पूरक	2,56.00			
पुनर्वि.	(-) 4,05.92	11,25.58	13,04.63	+ 1,79.05
(9) 2015-103-3307-मतदाता सूचियां तैयार करना एवं मुद्रण—				
मूल	38,16.01			
पूरक	28,90.00			
पुनर्वि.	(-) 20,81.53	46,24.48	43,41.03	(-) 2,83.45
(10) 2015-105-4311-संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार—				
मूल	2,45.85			
पुनर्वि.	(-) 1,86.56	59.29	41.56	(-) 17.73
(11) 2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार—				
मूल	3,23.50			
पुनर्वि.	(-) 2,09.08	1,14.42	94.19	(-) 20.23
(12) 2015-108-9503-मतदाताओं को फोटो परिचय पत्र जारी करना—				
मूल	10,50.00			
पूरक	10,00.00			
पुनर्वि.	(-) 4,29.35	16,20.65	15,09.95	(-) 1,10.70

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 20,81.53 लाख ₹, 1,86.56 लाख ₹, 2,09.08 लाख ₹ एवं 4,29.35 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (12) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 2052-090-9057-विधि एवं विधायी कार्य—

मूल	11,54.61			
पूरक	28.92			
पुनर्वि.	(-) 1,75.63	10,07.90	9,65.87	(-) 42.03

1,75.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,02.53 लाख की कमी (समर्पण 1,17.55 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 84.98 लाख ₹) एवं 26.90 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पद रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत आर्थिक कटौती अधिरोपित किये जाने के कारण हुई (1,17.55 लाख ₹)। वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 29—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा मुख्यतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2014-800-2918-बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता—			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	51.33	61.95	+ 0.62

51.33 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 58.08 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6.75 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सहायक अनुदान शीर्ष में अपर्याप्त प्रावधान किये जाने के कारण हुई जबकि कमी पद रिक्त रहने, वित्त विभाग द्वारा दस प्रतिशत आर्थिक कटौती अधिरोपित किये जाने, 'कोर्ट्स ऑफ टूमर्रो' योजना एवं 'ई-कोर्ट्स' परियोजना प्रतिवेदन तैयार नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

प्रभारित—

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था दिसम्बर 2012 (1,43.00 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (20.50 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,63.50 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 31 मार्च 2013 को किया गया 22,04.08 लाख ₹ का अभ्यर्पण 21,99.04 लाख ₹ की उपलब्ध बचत से अधिक था।

(vii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुईः—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2014-102-0573-उच्च न्यायालय (भारित)—			
मूल	73,79.78		
पूरक	1,46.50		
पुनर्वि.	(-) 21,88.32	53,37.96	+ 35.73

समर्पण के रूप में 21,88.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत विनियोग में 21,92.62 लाख ₹ की कमी एवं 4,30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः शीर्ष में पुनर्विनियोजन किये जाने के कारण हुई (4.30 लाख ₹)। शेष कमी (21,88.32 लाख ₹) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2015-106-4006-राज्य विधान मण्डल के

निर्वाचन के प्रभार—

मूल	3.00		
पूरक	17.00		
पुनर्वि.	(-) 15.72	4.28	(-) 1.41

समर्पण के रूप में 15.72 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
7610-202-9246-न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण—			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-) 50.00

50.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत न्यायिक सेवा के अधिकारियों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करने हेतु नियम नहीं बनाये जाने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—ग्रामीण विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्रामीण रोजगार			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853- अलोह अलाह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3054—सड़कें एवं सेतु पुल			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	5,64,52,30		
पूरक	2,83,04	5,67,35,34	4,88,98,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 78,37,14 73,82,79
<i>प्रभारित</i>		6,00	2,31
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)</i>			(-) 3,69 3,69
पूंजीगत:			
दत्तमत		7,43,33,40	7,42,75,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 57,78 14,60
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 2,83.04 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 78,37.14 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 73,82.79 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2501-06-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना			
सामान्य—			
8774-राज्य स्तर का अमला			
मूल	4,00.01		
पुनर्वि.	(-) 69.91	3,30.10	3,29.72
			(-) 0.38

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण के रूप में 69.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 72.66 लाख ₹ (समर्पण 69.91 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2.75 लाख ₹) की कमी एवं 2.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई एवं वृद्धि सरकार द्वारा दिनांक 01.11.2011 से मकान किराये भत्ते में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2505-01-702-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

6930-म.प्र. ग्रामीण रोजगार गारंटी

परिषद–

मूल	8,50.00			
पुनर्वि.	(-) 42.50	8,07.50	4,25.00	(-) 3,82.50

समर्पण के रूप में 42.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2515-001-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

1033-विकास खण्ड कार्यालय–

मूल	1,27,65.17			
पूरक	2,25.74			
पुनर्वि.	(-) 39,24.02	90,66.89	90,44.12	(-) 22.77

39,24.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 39,59.12 लाख ₹ (समर्पण 38,84.22 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 74.90 लाख ₹) की कमी एवं 35.10 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई एवं वृद्धि मकान किराये भत्ते, आदिवासी क्षेत्र भत्ता एवं अन्य भत्तों की दरों में 01.11.2011 से हुई वृद्धि के कारण जिलों से मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2515-001-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

3926-विकास आयुक्त–

मूल	5,57.26			
पूरक	7.80			
पुनर्वि.	(-) 2,66.87	2,98.19	2,89.42	(-) 8.77

समर्पण के रूप में 2,66.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिलों से मांग प्राप्त न होने एवं आर्थिक कटौती के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2515-001-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

3927-जिला स्तर अमला–

मूल	4,43.64			
पूरक	0.04			
पुनर्वि.	(-) 1,19.68	3,24.00	3,16.07	(-) 7.93

1,19.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 1,21.38 लाख ₹ की कमी एवं 1.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित आर्थिक कटौती के कारण हुई तथा वृद्धि 01.11.2011 से मकान किराया भत्ते की दरों में वृद्धि तथा जिलों से मांग प्राप्त होने की संभावना के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2515-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा— मूल	1,18,74.71		
पुनर्वि.	(-) 29,86.77	88,87.94	88,87.87
			(-) 0.07

29,86.77 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 30,14.87 लाख ₹ की कमी (समर्पण 29,74.87 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 40.00 लाख ₹) एवं 28.10 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी जिलों से मांग प्राप्त न होने एवं वित्त विभाग द्वारा आरोपित आर्थिक कटौति के कारण हुई एवं वृद्धि 01.11.2011 से मकान किराया भत्ते की दरों में वृद्धि के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1032-कार्यालय भवनों के निर्माण विद्युतिकरण आदि— मूल	50.00		
पुनर्वि.	59.43	1,09.43	1,09.43
			..

59.43 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 70.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 10.57 लाख ₹ (समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि 31.01.2013 तक जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण हुई एवं कमी जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

पूँजीगत:
दत्तमत

(v) 57.78 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 14.60 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

**अनुदान संख्या 31—योजना, आर्थिक और सांख्यिकी
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
3451—सचिवालय, आर्थिक सेवाएं				
3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी				
राजस्व:				
मूल	2,40,94,23			
पूरक	39,08,55	2,80,02,78	68,49,27	(-) 2,11,53,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,36,17,06

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (75.09 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2012 (38,33.46 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 39,08.55 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,11,53.51 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 1,36,17.06 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3451-101-3686-राज्य योजना मंडल—				
मूल	4,46.53			
पुनर्वि.	(-)1,34.68	3,11.85	2,97.68	(-)14.17

1,34.68 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,60.98 लाख ₹ (समर्पण 1,34.68 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 26.30 लाख ₹) की कमी एवं 26.30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः सहायक सलाहकार, अन्वेषक, सहायक श्रेणी-3 स्टेनो एवं सुरक्षा गार्ड के पद रिक्त होने, वेतन व्यय, यात्रा अग्रिम एवं कार्यालय व्यय में अनुमान से कम व्यय होने एवं प्रशासनिक एकेडमी द्वारा प्रशिक्षण आयोजित नहीं किये जाने के कारण हुई, जबकि पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि कम बजट प्रावधान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित देयक, मजदूरी, व्ही. सी. का वेतन एवं दैनिक भत्ता बढ़ने, वाहन भत्ते की संशोधित दर एवं सामग्री की पूर्ति के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 3451-101-6895-9 जिलों के लिए विशेष
क्षेत्र प्रकोष्ठ का गठन—

मूल	92.34			
पुनर्वि.	(-)33.18	59.16	46.81	(-)12.35

33.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 47.76 लाख ₹ (33.18 लाख ₹ समर्पण + 14.58 लाख ₹ पुनर्विनियोजन) की कमी एवं 14.58 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वेतन, यात्रा अग्रिम, कार्यालय व्यय एवं व्यावसायिक सेवाओं पर अनुमान से कम व्यय होने एवं अन्वेषक का पद रिक्त रहने के कारण हुई (33.38 लाख ₹)। पुनर्विनियोजन द्वारा वृद्धि, चिकित्सा अग्रिम के देयको के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी के चिकित्सा देयकों की प्रतिपूर्ति के भुगतान एवं मकान किराया भत्ता के लिये बजट के कम आवंटन के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (14.38 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 31—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5612-विकेन्द्रीकृत योजना का सुदृढीकरण— मूल 15,00.00 पुनर्वि. (-)13,78.33	1,21.67	1,24.56	+2.89

समर्पण के रूप में 13,78.33 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत केन्द्रीय सहायता की पूर्व वर्ष की राशि उपलब्ध रहने से जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6577-आयोजनागत योजनाओं के लिये एक मुश्त प्रावधान	75,10.20	..	(-)75,10.20
--	----------	----	-------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7226-योजना समीक्षा प्रकोष्ठ को अनुदान— मूल 3,00.00 पुनर्वि. (-)2,34.27	65.73	70.00	+ 4.27
---	-------	-------	--------

समर्पण के रूप में 2,34.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रशिक्षण आयोजित न होने, व्यावसायिक सेवाओं हेतु विशेषज्ञ उपलब्ध न होने एवं विशेषज्ञ के पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(6) 3454-02-001-6264-राज्य की सांख्यिकी अद्योसंरचना को मजबूत करना (13वां वित्त आयोग)— मूल 10,00.00 पुनर्वि. (-)9,23.77	76.23	57.58	(-)18.65
--	-------	-------	----------

समर्पण के रूप में 9,23.77 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रणवकों की नियुक्ति में विलंब के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 3454-02-001-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय— मूल 39,04.56 पूरक 2.00 पुनर्वि. (-)11,15.00	27,91.56	28,02.07	+10.51
--	----------	----------	--------

समर्पण के रूप में 11,15.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, कोषालयों से समय पर राशि आहरित न होने, अधिकतर जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों का शासकीय भवन में स्थानान्तरण होने, मुद्रण से संबंधित बिल प्राप्त न होने, प्रशिक्षण एवं सेमिनार आगामी वित्त वर्ष में निर्धारित होने एवं मिव्ययता के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 3454-02-111-1430-जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़ों का संकलन—				
मूल	3,56.36			
पुनर्वि.	(-)1,28.45	2,27.91	2,32.92	+5.01
समर्पण के रूप में 1,28.45 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, चिकित्सा एवं यात्रा देयकों को प्रस्तुत न करने एवं मिव्ययता के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(9) 3454-02-111-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—				
8740-जीवनांक संभाग का सुदृढीकरण—				
मूल	2,65.26			
पुनर्वि.	(-)2,53.82	11.44	11.44	..
समर्पण के रूप में 2,53.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु साफ्टवेयर तैयार न होने के कारण हुई।				
(10) 3454-02-201-0512-इण्डियन एकानामिक एसोशियेशन—				
मूल	2,39.52			
पुनर्वि.	(-)1,10.21	1,29.31	1,27.53	(-)1.78
समर्पण के रूप में 1,10.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा एवं यात्रा देयक समय पर प्रस्तुत न करने एवं मितव्ययता के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(11) 3454-02-206-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)—				
6268-यू.आई.डी.ए. के लिये प्रोत्साहन (13वां वित्त आयोग)—				
मूल	49,94.00			
पुनर्वि.	(-)49,93.55	0.45	..	(-)0.45
(12) 3454-02-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य—				
6612-छठवीं आर्थिक गणना—				
पूरक	38,93.05			
पुनर्वि.	(-)38,90.84	2.21	2.20	(-)0.01

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 49,93.55 लाख ₹ एवं 38,90.84 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष—

- 2013—मंत्रिपरिषद
- 2015—निर्वाचन
- 2029—भू—राजस्व
- 2039—राज्य उत्पाद शुल्क
- 2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर
- 2041—वाहन कर
- 2047—अन्य राजकोषीय सेवाएं
- 2051—लोक सेवा आयोग
- 2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं
- 2053—जिला प्रशासन
- 2054—खजाना और लेखा प्रशासन
- 2055—पुलिस
- 2056—जेल
- 2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण
- 2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं
- 2075—विविध सामान्य सेवाएं
- 2202—सामान्य शिक्षा
- 2203—तकनीकी शिक्षा
- 2205—कला एवं संस्कृति
- 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
- 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
- 2217—शहरी विकास
- 2220—सूचना तथा प्रचार
- 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
- 2230—श्रम तथा रोजगार
- 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
- 2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं
- 2401—फसल कृषि कर्म
- 2403—पशु पालन
- 2405—मछली पालन
- 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
- 2425—सहकारिता
- 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
- 2701—मध्यम सिंचाई
- 2702—लघु सिंचाई
- 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
- 2852—उद्योग
- 3054—सड़क तथा सेतु
- 3452—पर्यटन
- 3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व:			
मूल	1,29,77,80		
पूरक	70,26,00	2,00,03,80	(-) 6,66,15
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			6,41,98

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 6,66.15 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 30,18.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 40,08.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 6,66.15 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 6,41.98 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 6,66.15 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्ष के अन्तर्गत उल्लेखनीय बचत परिलक्षित हुई है:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2220-01-001-2304-निदेशन और प्रशासन—			
मूल	77,62.38		
पूरक	29,37.00		
पुनर्वि.	(-) 5,96.63	1,01,02.75	(-) 13.38

5,96.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,00.38 लाख ₹ की कमी (समर्पण 5,96.63 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3.75 लाख ₹) एवं 3.75 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	11,26,76,26			
पूरक	46,00	11,27,22,26	10,80,88,52	(-) 46,33,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				43,95,88

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(31 मार्च 2013)

18,00

15,36

(-) 2,64

2,50

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (35.00 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (11.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 46.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 46,33.74 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 43,95.88 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 46,33.74 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पाँच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय बचत परिलक्षित हुई है:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-101-2773-प्राथमिक शालाएं—			
मूल	3,66,10.19		
पुनर्वि.	(-) 3,69.10	3,62,41.09	3,62,18.36
			(-) 22.73

3,69.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,55.10 लाख ₹ की कमी (समर्पण 3,64.10 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,91.00 लाख ₹) एवं 2,86.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण संसूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 2202-02-109-0581-उच्चतर माध्यमिक

शालाएं—

मूल	1,89,11.34			
पुनर्वि.	(-) 15,01.30	1,74,10.04	1,74,09.92	(-) 0.12

अनुदान संख्या 33—समाप्त

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	------------	---------------------------	----------------

15,01.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 16,01.30 लाख ₹ की कमी (समर्पण 14,61.30 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,40.00 लाख ₹) एवं 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण होना संसूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2202-02-109-3496-माध्यमिक शालाएं—

मूल	2,89,20.75			
पुनर्वि.	(-) 8,39.70	2,80,81.05	2,79,78.40	(-) 1,02.65

समर्पण के रूप में 8,39.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 9,39.70 लाख ₹ की कमी एवं 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण संसूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 2225-02-001-1481-जिला प्रशासन—

मूल	51,62.56			
पूरक	10.00			
पुनर्वि.	(-) 1,49.70	50,22.86	49,95.75	(-) 27.11

समर्पण के रूप में 1,49.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,94.70 लाख ₹ की कमी एवं 45.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः चिकित्सा व्यय की स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण हुई (0.11 लाख ₹) जबकि वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (1,94.59 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 2225-02-277-0495-आश्रम और शालाएं—

मूल	60,90.27			
पुनर्वि.	(-) 2,84.50	58,05.77	58,05.77	..

समर्पण के रूप में 2,84.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,64.50 लाख ₹ की कमी एवं 80.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(6) 2225-02-277-1398-छात्रावास / आश्रमों

का संचालन—				
मूल	66,34.45			
पूरक	30.00			
पुनर्वि.	(-) 5,27.56	61,36.89	61,33.76	(-) 3.13

समर्पण के रूप में 5,27.56 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,97.56 लाख ₹ की कमी एवं 70.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(7) 2515-02-102-2506-परियोजना मुख्यालय—

मूल	15,88.12			
पुनर्वि.	(-) 2,30.78	13,57.34	13,52.07	(-) 5.27

समर्पण के रूप में 2,30.78 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,34.78 लाख ₹ की कमी एवं 4.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अपर्याप्त बजट प्रावधान के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2052-सचिवालय – सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	1,81,62,81			
पूरक	12,05,35	1,93,68,16	1,56,91,66	(-) 36,76,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				36,76,50
<i>प्रभारित</i>		3,00	93	(-) 2,07
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)</i>				2,07

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 (5,05.35 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (7,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 12,05.35 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2052-091-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5247-आम आदमी बीमा योजना—			
मूल	12,00.00		
पुनर्वि.	(-) 6,00.00	6,00.00	6,00.00
			..

समर्पण के रूप में 6,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत बीमा कम्पनी को कम प्रीमियम भुगतान करने के कारण हुई।

(2) 2235-02-001-2304-निदेशन और

प्रशासन—

मूल	31,53.63			
पुनर्वि.	(-) 10,62.71	20,90.92	22,87.04	+ 1,96.12

10,62.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में कमी 11,91.21 लाख ₹ (समर्पण 8,33.71 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,57.50 लाख ₹) एवं वृद्धि 1,28.50 लाख ₹ का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः पद रिक्त रहने, आवश्यक आर्थिक कटौती, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित नहीं होने, जिलों से मांग प्राप्त न होने, मेलों का आयोजन कम होने एवं शासन द्वारा क्रय पर प्रतिबंध लगाने के कारण हुई (11,16.21 लाख ₹)। वृद्धि शासन द्वारा मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि करने एवं नवीन वाहन क्रय करने के कारण सूचित की गई। शेष कमी (75.00 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2235-02-001-6584-अन्त्योदय मेलों का आयोजन—			
मूल	15,00.00		
पुनर्वि.	(-) 4,85.09	10,14.91	9,89.16 (-) 25.75
4.85.09 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 4,71.59 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 13.50 लाख ₹) मेलों का आयोजन कम होने एवं कुछ जिलों में मेलों का आयोजन नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
0079-दृष्टि श्रवण बाधित शालाएं तथा संस्थाएं—			
मूल	20,62.04		
पुनर्वि.	(-) 10,68.28	9,93.76	9,78.22 (-) 15.54
10,68.28 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 11,23.28 लाख ₹ की कमी एवं 55.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, आवश्यक आर्थिक कटौती संस्थाओं के प्रारंभ न होने से एवं संस्थाओं से राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्ते की दरों में वृद्धि होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-200-1985-दूरदर्शन कार्यक्रम—			
मूल	2,85.27		
पुनर्वि.	(-) 74.74	2,10.53	2,09.85 (-) 0.68
74.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 84.74 लाख ₹ की कमी एवं 10.00 लाख की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने, आवश्यक आर्थिक कटौती, जिलों से आवंटन की मांग प्राप्त नहीं होने एवं विभाग में वाहन उपलब्ध नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि शासन द्वारा मकान किराया भत्ते की दरों में वृद्धि किये जाने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2235-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6688-नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना—			
मूल	67.75		
पुनर्वि.	(-) 67.75
(7) 2235-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना—			
मूल	62.50		
पुनर्वि.	(-) 62.50

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत 67.75 लाख ₹ एवं 62.50 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना प्रारंभ नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 34—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2235-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6710-दीन दयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता—			
मूल	33,18.52		
पूरक	5,00.00		
पुनर्वि.	(-) 50.00	37,68.52	36,94.65
			(-) 73.87

समर्पण के रूप में 50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कुछ जिलों में विवाह समारोह कम आयोजित होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 35—पुनर्वास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	81,12		
पूरक	20	81,32	55,78
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 25,54 25,37
<i>प्रभारित</i>		50	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> (30 मार्च 2013)			(-) 50 50

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 0.20 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 25.54 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को क्वेल 25.37 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2235-01-001-2709-प्रधान कार्यालय के			
कर्मचारी वृंद पूर्वी पाकिस्तान के			
विस्थापितों के लिए (नये)–			
मूल	81.12		
पूरक	0.20		
पुनर्वि.	(-) 25.37	55.95	55.78
			(-) 0.17

समर्पण के रूप में 25.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 28.14 लाख ₹ की कमी (समर्पण ₹ 25.37 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 2.77 लाख) एवं 2.77 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय के कर्मचारियों को एरियर का भुगतान न होने, मितव्ययता तथा प्रशिक्षण आयोजित न किये जाने के कारण हुई जबकि वृद्धि पुनर्वास आयुक्त कार्यालय हेतु फर्नीचर का क्रय, पुनर्वास आयुक्त की पदस्थापना, लंबित देयकों का भुगतान, नवीन वाहन का क्रय एवं राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों को गृह भाड़ा भत्ता, वाहन भत्ता तथा समयमान स्वीकृत होने के कारण होना सूचित की गई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 36-परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2041-वाहन कर			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
6075-विविध सामान्य सेवाओं के लिये कर्जे			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	60,08,69		
पूरक	3,29,40	63,38,09	49,47,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-)13,91,04 10,10
<i>प्रभारित</i>		4,00	2
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-) 3,98 <i>निरंक</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत		8,00,01	8,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1 निरंक
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 3,29.40 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(ii) 13,91.04 लाख ₹ की उपलब्ध वृहद बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 10.10 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2041-001-0679-उडनदस्ता एवं चैक पोस्ट की स्थापना-			
पूरक	2,60.90	2,60.90	18.62
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			(-)2,42.28
(2) 2041-001-3561-मुख्यालय स्थापना-			
मूल	6,62.55		
पूरक	5.00		
पुनर्वि.	53.40	7,20.95	5,06.69
			(-)2,14.26

अनुदान संख्या 36—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>53.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,23.40 लाख ₹ की वृद्धि एवं 70.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि मांग के अनुसार आवंटन प्राप्त नहीं होने, नवीन पदों पर भर्ती होने के कारण प्रशिक्षण हेतु राशि की आवश्यकता होने एवं परिवहन रक्षकों की भर्ती के लिये आयोजित परीक्षा में सम्मिलित एस.सी., एस.टी. एवं ओ.बी.सी. उम्मीदवारों को यात्रा भत्ते का भुगतान करने के कारण हुई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(3) 2041-001-7638-स्मार्ट कार्ड योजना	21,00.00	17,72.04	(-)3,27.96
(4) 2041-001-4280-संग्रह प्रभार			
मूल	19,13.77		
पूरक	36.50	19,50.27	(-) 3,45.31
<p>उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(5) 2041-102-0679-उडनदस्ता एवं चैक पोस्ट की स्थापना—			
मूल	12,73.63		
पुनर्वि.	(-)53.40	12,20.23	9,73.49
			(-)2,46.74

53.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत परिवहन चेक पोस्ट के लिए कम्पनी द्वारा तैयार किये गए विद्युत देयकों का भुगतान करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-				
3452-पर्यटन				
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	38,72,36			
पूरक	2,60,00	41,32,36	40,83,28	(-)49,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				49,08
पूंजीगत:				
मूल	79,00,00			
पूरक	13,48,95	92,48,95	89,98,95	(-)2,50,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				2,50,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 49.08 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 2,60.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

पूंजीगत:

(ii) 2,50.00 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 13,48.95 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(iii) यद्यपि 2,50.00 लाख ₹ की समग्र बचत मूल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुये हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

[अ] बचत:-

(1) 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6558-एम.आई.सी.ई. सुविधाओं का विकास-	मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-) 5,00.00
(2) 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 6559-प्रदेश में बुद्धिष्ट परिपथ का विकास-	मूल 1,00.00 पुनर्वि. (-)1,00.00

अनुदान संख्या 37—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6565-ईको एवं एडवेंचर पर्यटन का विकास— मूल	13,00.00			
पुनर्वि.	(-) 4,00.00	9,00.00	9,00.00	..
(4) 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6571-मेला एवं उत्सव मूल	1,50.00			
पुनर्वि.	(-) 1,00.00	50.00	50.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 5,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 1,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 4,00.00 लाख ₹ एवं 1,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत 2012-13 की कार्य योजना के लिये राशि की आवश्यकता नहीं होने एवं मार्च 2013 के अन्त में वित्तीय आयोग कक्ष से राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

(5) 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6573-हवाई सेवाओं का विकास— मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(-)2,00.00

समर्पण के रूप में 2,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से 13वें वित्त आयोग की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

[ब] आधिक्य:

(1) 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6560-धार्मिक पर्यटन का विकास मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	2,00.00	5,00.00	5,00.00	..
(2) 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6561-जैन परिपथ का विकास— मूल	3,00.00			
पुनर्वि.	3,00.00	6,00.00	6,00.00	..
(3) 5452-01-190-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6566-विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन— मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	6,00.00	10,00.00	10,00.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 2,00.00 लाख ₹, 3,00.00 लाख ₹ एवं 6,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन विभिन्न स्तरों से प्राप्त मांगों को पूरा करने के कारण हुआ।

अनुदान संख्या 38—आयुष
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	3,41,84,18		
पूरक	2,30,00	3,44,14,18	(-)1,36,12,32
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत	5,00,00	4,99,30	(-)70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 (1,30.00 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (1,00.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,30.00 लाख ₹ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,36,12.32 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-02-101-0460-आयुर्वेद चिकित्सालय एवं औषधालय—			
मूल	2,17,48.26		
पुनर्वि.	(-)4,00.00	2,13,48.26	(-)93,10.20
4,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं कर्मचारी वृद्धों के सेवानिवृत्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2210-02-101-4194-शासकीय आयुर्वेदिक फार्मसी एवं डिपो	5,23.26	3,06.80	(-)2,16.46
(3) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
0461-आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	22,19.02	17,34.07	(-)4,84.95
(4) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
4286-संचालक, आयुर्वेद एवं प्रशासन—			
मूल	5,46.92		
पूरक	2,00.00	7,46.92	(-)3,06.33

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 38—जारी

शीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6639-नवीन आयुष औषधालय की स्थापना— मूल 2,00.01 पुनर्वि. (-)1,52.00	48.01	11.78	(-)36.23
1,52.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नवीन योजना एवं नवीन औषधालय होने से पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(6) 2210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	1,00.01	10.00	(-)90.01
(7) 2210-02-102-4810-होम्योपैथिक औषधालय	20,31.16	13,74.19	(-)6,56.97
(8) 2210-02-103-4760-यूनानी अस्पताल एवं औषधालय	8,01.56	4,45.36	(-)3,56.20
(9) 2210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8564-भोपाल यूनानी महाविद्यालय	5,58.62	4,42.16	(-)1,16.46
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (9) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान एवं क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(10) 2210-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0465-आयुर्वेदिक महाविद्यालय— मूल 5,50.01 पुनर्वि. 27.00	5,77.01	4,11.20	(-)1,65.81
27.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि शासन द्वारा मकान किराये भत्ते की दरों में वृद्धि एवं औषधालय भवन की मरम्मत के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(11) 2210-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0469-आयुर्वेदिक महाविद्यालय— मूल 33,01.61 पूरक 30.00 पुनर्वि. 5,69.00	39,00.61	26,91.56	(-)12,09.05
5,69.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि पदों की पूर्ति होने तथा शासन द्वारा मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों के दरों में वृद्धि किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2210-05-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8068-शासकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय	8,09.12	4,61.11	(-)3,48.01

अनुदान संख्या 38—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iv) 0.70 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ			
4408—खाद्य, भंडारण एवं भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य, भंडारण एवं भांडागार के लिए कर्जे			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	10,58,74,59		
पूरक	8,97,78,87	19,56,53,46	18,92,43,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)64,10,45 निरंक
<i>प्रभारित</i>		1,60	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)1,60 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत		86,20,00	82,68,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)3,51,56 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 64,10.45 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया क्रमशः 3,59,20.00 लाख एवं 3,22,60.37 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 2,15,98.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 64,10.45 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई थी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) यद्यपि 64,10.45 लाख की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
[अ] बचत:—			
(1) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय	29,58.37	18,41.06	(-)11,17.31
(2) 2408-01-102-0570-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सहकारी समितियों को खाद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	15,00.00	13,27.87	(-)1,72.13
(3) 2408-01-102-6645-अन्त्योदय अन्न योजना	35,00.00	23,99.87	(-)11,00.13
(4) 2408-01-102-6933-अस्थाई क्रय निर्माण में हुई हानि की प्रतिपूर्ति—			
मूल	33,00.00		
पूरक	1,01,00.00	1,34,00.00	1,20,40.00
			(-)13,60.00

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7165-खाद्यान्न भण्डारण हेतु गांरटी योजना—	20,00.00	2,41.90	(-)17,58.10

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (5) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।
उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

[ब] आधिक्य:—

2408-01-001-3537-मुख्य कार्यालय	3,38.32	3,55.26	+16.94
---------------------------------	---------	---------	--------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

प्रभारित—

(iv) 1.60 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) 3,51.56 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 6408-01-190-0173-अन्न का क्रय	11,00.00	9,10.57	(-) 1,89.43
(2) 6408-02-190-1401-नाबार्ड (सामान्य)— 7272-गोदामों का निर्माण	75,20.00	73,57.86	(-)1,62.14

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।
उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 40—जल संसाधन विभाग से संबंधित व्यय—आयाकट

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2705—कमान क्षेत्र विकास			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	5,02,88		
पूरक	11,75	5,14,63	2,47,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 2,67,46 57,95
<i>प्रभारित</i>		60	..
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)</i>			(-) 60 60

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	1,03,98,00		
पूरक	10,00,00	1,13,98,00	1,03,99,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 9,98,23 4,06

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 11.75 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,67.46 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 57.95 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2705-201-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना			
सामान्य—			
1880-तवा आयाकट विकास आयुक्त का कार्यालय—			
मूल	62.35		
पूरक	0.50		
पुनर्वि.	(-) 4.75	58.10	18.26
			(-) 39.84

4.75 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 40—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2705-203-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3041-बैन गंगा बावनथडी एंव बाध कमान विकास प्राधिकरण— मूल 50.22 पूरक 0.25 पुनर्वि. 1.50	51.97	21.79	(-) 30.18
(3) 2705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 1243-ग्वालियर आयुक्त का कार्यालय— मूल 62.21 पुनर्वि. 0.50	62.71	30.74	(-) 31.97
उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत 1.50 लाख ₹ एवं 0.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन अमले के वेतन का भुगतान किये जाने के कारण हुआ। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 2705-211-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 0869-कृषक प्रशिक्षण तथा भ्रमण कार्यक्रम— मूल 10.00 पुनर्वि. (-) 5.00	5.00	..	(-) 5.00
(5) 2705-211-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6544-सिंचाई समितियों को अनुदान— मूल 10.00 पुनर्वि. (-) 10.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 5.00 लाख ₹ एवं 10.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत किसानों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु रूचि नहीं दिखाये जाने एवं अंशदान की राशि जमा नहीं किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(6) 2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 3701-राज्य स्तर पर आयाकट सेल— मूल 1,33.70 पूरक 10.75 पुनर्वि. 1.25	1,45.70	1,09.36	(-) 36.34
1.25 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अमले के वेतन का भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(7) 2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5729-परियोजना प्रशासक जल संसाधन इन्दौर कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ इन्दौर	28.35	8.63	(-) 19.72

अनुदान संख्या 40—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5734-परियोजना प्रशासक जल संसाधन रीवा कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ रीवा	14.42	1.34	(-) 13.08
(9) 2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5741-परियोजना प्रशासक जल संसाधन सागर कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन प्रकोष्ठ सागर	22.14	5.90	(-) 16.24
(10) 2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5779-परियोजना प्रशासक जल संसाधन दतिया कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रदाय	12.35	0.64	(-) 11.71

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (10) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(11) 2705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6648-वृहद एवं मध्यम परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्र विकास— मूल	21.00
पुनर्वि.	(-) 21.00

समर्पण के रूप में 21.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) 9,98.23 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 10,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) 9,98.23 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 4.06 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4705-207-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2304-निदेशन और प्रशासन	10,00.00	..	(-) 10,00.00
(2) 4705-211-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण	11,83.00	4,47.50	(-) 7,35.50

अनुदान संख्या 40—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 4705-212-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना

सामान्य—

6852-करेक्शन ऑफ सिस्टम

डिफिशियेन्सी—

मूल	5,00.00			
पूरक	10,00.00			
पुनर्वि.	(-) 2,87.01	12,12.99	10,58.03	(-) 1,54.96

2,87.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,15.01 लाख ₹ (समर्पण 3,15.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.01 लाख ₹) की कमी एवं 28.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि निर्माण कार्यों का भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 4705-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना

सामान्य—

6648-वहद एवं मध्यम परियोजनाओं

के कमाण्ड क्षेत्र विकास—

मूल	39,50.00			
पुनर्वि.	(-) 6,93.01	32,56.99	32,56.43	(-) 0.56

6,93.01 लाख ₹ (समर्पण 0.01 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,93.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4705-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना

सामान्य—

2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण—

मूल	1,40.00			
पुनर्वि.	2,93.00	4,33.00	4,40.00	+ 7.00

2,93.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि प्रावधान में 3,93.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि फील्ड चैनल्स के निर्माण का भुगतान किये जाने के कारण होना सूचित की गई। कमी कार्य की प्रगति धीमी होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 4705-205-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना

सामान्य—

2823-फील्ड चैनल्स का निर्माण—

मूल	1.00			
पुनर्वि.	3,35.00	3,36.00	4,80.04	+ 1,44.04

3,35.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किये जाने एवं फील्ड चैनल्स के निर्माण का भुगतान किये जाने के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 40—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 4705-212-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2823-फील्ड चेनल्स का निर्माण— मूल	14,90.00		
पुनर्वि.	6,15.00	21,05.00	28,80.69 + 7,75.69

6,15.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने एवं काण्डा कार्य के लिये भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(viii) उचंत लेनदेन:—

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के नीचे टिप्पणी (v) में दी गई है। वर्ष 2012-13 तक इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—	(लाख ₹ में)			
(i) क्रय	(-) 13.05	(-) 13.05
(ii) भंडार	(-) 0.08	(-) 0.08
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 41.49	+ 41.49
योग	+ 28.36	+ 28.36

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

2029—भू-राजस्व

2055—पुलिस

2202—सामान्य शिक्षा

2203—तकनीकी शिक्षा

2204—खेल तथा युवा सेवार्ये

2205—कला एवं संस्कृति

2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2215—जल पूर्ति तथा सफाई

2217—शहरी विकास

2220—सूचना तथा प्रचार

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

2230—श्रम तथा रोजगार

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236—पोषण

2401—फसल कृषि कार्य

2402—मृदा तथा जल संरक्षण

2403—पशुपालन

2405—मछली पालन

2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी

2408—खाद्य, भंडारण और भांडागार

2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा

2425—सहकारिता

2501—ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2801—बिजली

2851—ग्राम तथा लघु उद्योग

3053—नागर विमानन

3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं

3452—पर्यटन

3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय

4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय

4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

6408—खाद्य, भंडारण एवं भांडागार के लिए कर्ज

6425—सहकारिता के लिये कर्ज

6801—बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज

अनुदान संख्या 41—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	27,17,96,22		
पूरक	2,75,72,49	29,93,68,71	25,73,96,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20— 23— 30— 31 मार्च 2013)			(-) 4,19,72,57 3,52,97,23

25,73,96.14 लाख ₹ के कुल व्यय में जन शक्ति नियोजन विभाग द्वारा शीर्ष 2203—796—105—0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—2667—पोलीटेक्निक संस्थाएं (1,02.90 लाख ₹) तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2401—796—800—1502—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (1,26.41 लाख ₹) के अन्तर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 2,29.31 की राशि सम्मिलित है।

पूँजीगत:

दत्तमत—				
मूल	18,99,75,63			
पूरक	3,89,13,43	22,88,89,06	18,42,36,88	(-) 4,46,52,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20— 30— 31 मार्च 2013)				3,89,53,78
<i>प्रभारित</i>		1,05,00	1,00,00	(-) 5,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)</i>				5,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (11,10.59 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (2,64,25.69 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (36.21 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,75,72.49 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,19,72.57 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 20— 23— 30— 31 मार्च 2013 को केवल 3,52,97.23 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

09—खेल एवं युवा कल्याण विभाग

(1) 2204-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित

योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना—
5834-पायका (पंचायत युवा क्रीड़ा एवं
खेल अभियान)—

मूल	4,40.00		
पुनर्वि.	(-) 3,43.60	96.40	96.40

समर्पण के रूप में 3,43.60 लाख ₹ प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
10-वन विभाग				
(2) 2406-01-796-190-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5231-लघु वनोपज संघ को अनुदान—				
मूल	0.10			
पूरक	23,05.00			
पुनर्वि.	(-) 20,00.10	3,05.00	3,05.00	..

समर्पण के रूप में 20,00.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(3) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6430-राष्ट्रीय मक्का विकास योजना—				
मूल	2,25.25			
पुनर्वि.	(-) 1,91.25	34.00	34.00	..
(4) 2401-796-105-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6669-स्वायल हेल्थ कार्ड—				
मूल	1,20.00			
पुनर्वि.	(-) 1,20.00
(5) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना—				
मूल	14,46.85			
पुनर्वि.	(-) 5,86.83	8,60.02	7,29.03	(-) 1,30.99
(6) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 4325-सघन कपास विकास कार्यक्रम—				
मूल	4,20.00			
पुनर्वि.	(-) 4,00.95	19.05	19.05	..

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (6) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 1,91.25 लाख ₹, 1,20.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 5,86.63 लाख ₹ एवं 4,00.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से कम राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने एवं मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (5) के शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(7) 2401-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना—				
मूल	16,87.50			
पुनर्वि.	(-) 11,62.44	5,25.06	5,25.06	..

11,62.44 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 7,61.46 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,00.98 लाख ₹) फसल बीमा के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2401-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल 55,89.53 पुनर्वि. (-) 6,17.91	49,71.62	49,71.04	(-) 0.58

समर्पण के रूप में 6,17.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। 49,71.04 लाख ₹ का व्यय 1,26.41 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800 अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके कारण के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(9) 2210-03-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7199-विशेष केडर के चिकित्सा अधिकारियों को विशेष भत्ता— मूल 8,00.00 पुनर्वि. (-) 8,00.00
(10) 2210-03-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन— मूल 12,00.00 पुनर्वि. (-) 1,40.37	10,59.63	10,19.62	(-) 40.01

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 8,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 1,40.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(11) 2210-06-796-003-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 4224-शिक्षा और प्रशिक्षण	1,40.00	35.91	(-) 1,04.09
(12) 2210-06-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7194-मोतियाबिन्दु हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	3,00.00	27.54	(-) 2,72.46

उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 2210-06-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7200-छात्रावासों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण— मूल 1,50.00 पुनर्वि. (-) 1,50.00
---	----	----	----

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(14) 2210-06-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना— मूल 14,20.00 पुनर्वि. (-) 14,20.00
(15) 2210-06-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसूताओं को विशेष सहायता— मूल 49,75.00 पुनर्वि. (-) 49,75.00

उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (15) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,50.00 लाख (समर्पण), 14,20.00 लाख ₹ (समर्पण 10,98.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,22.00 लाख ₹) एवं 49,75.00 लाख ₹ (समर्पण 13,09.79 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 36,65.21 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

20—स्कूल शिक्षा विभाग

(16) 2202-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6011-साक्षर भारत— मूल 3,00.00 पुनर्वि. (-) 1,05.00	1,95.00	1,95.00	..
(17) 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 6809-कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय— मूल 8,22.37 पुनर्वि. (-) 1,64.00	6,58.37	6,57.90	(-) 0.47
(18) 2202-01-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 8810-सर्वशिक्षा अभियान— मूल 2,17,46.66 पुनर्वि. (-) 39,36.00	1,78,10.66	1,63,10.00	(-) 15,00.66

उपरोक्त क्रम संख्या (16) से (18) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,05.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन), 1,64.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) एवं 39,36.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (17) एवं (18) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्ष के अंतर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(19) 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन— मूल 70,40.00 पुनर्वि. (-) 52,80.00	17,60.00	17,60.00	..
--	----------	----------	----

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(20) 2202-02-796-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)– 6006-बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन– मूल 51,00.00 पुनर्वि. (-) 39,30.04	11,69.96	11,69.96	..
(21) 2202-02-796-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)– 6007-माडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन– मूल 59,80.00 पुनर्वि. (-) 54,65.61	5,14.39	5,14.39	..
(22) 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)– 6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय– मूल 6,00.00 पुनर्वि. (-) 6,00.00

समर्पण के रूप में उपरोक्त क्रम संख्या (19) से (22) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 52,80.00 लाख ₹, 39,30.04 लाख ₹, 54,65.61 लाख ₹ एवं 6,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रीय हिस्सा प्राप्त न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (22) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12, 2010–11 एवं 2009–10 के दौरान भी बचत हुई थी।

23—योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

(23) 3451-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना– 5111-नवाचार को प्रोत्साहन– मूल 6,00.00 पुनर्वि. (-) 5,95.94	4.06	4.06	..
--	------	------	----

समर्पण के रूप में 5,95.94 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत योग्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(24) 2202-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना– 2773-प्राथमिक शालाएं– मूल 1,23,98.45 पुनर्वि. (-) 16,17.61	1,07,80.84	1,07,78.40	(-) 2.44
--	------------	------------	----------

समर्पण के रूप में 16,17.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 16.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 16,33.61 लाख ₹ (समर्पण 16,17.61 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 16.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(25) 2202-02-796-109-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 0364-आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— मूल पुनर्वि.	6,35.59 (-) 1,22.40	5,13.19	5,13.19	..

समर्पण के रूप में 1,22.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,23.40 लाख ₹ (समर्पण 1,22.40 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1.00 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(26) 2225-02-794-794-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं— 9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण— मूल पुनर्वि.	9,80.00 (-) 2,25.00	7,55.00	7,55.00	..
--	------------------------	---------	---------	----

(27) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 0762-कन्या शिक्षा परिसर— मूल पुनर्वि.	10,00.00 (-) 8,53.39	1,46.61	1,46.61	..
--	-------------------------	---------	---------	----

(28) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5228-कम्प्यूटर/अंग्रेजी प्रशिक्षण— मूल पुनर्वि.	4,84.60 (-) 1,08.30	3,76.30	3,76.30	..
--	------------------------	---------	---------	----

उपरोक्त क्रम संख्या (26) से (28) के शीर्षान्तर्गत 2,25.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत तथा समर्पण के रूप में क्रमशः 8,53.39 लाख ₹ एवं 1,08.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (26) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान एवं क्रम संख्या (28) के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(29) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 9817-व्यावसायिक शिक्षा— मूल पुनर्वि.	5,38.05 (-) 1,04.67	4,33.38	4,33.33	(-) 0.05
---	------------------------	---------	---------	----------

1,04.67 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,06.17 लाख ₹ (समर्पण 1,04.67 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1.50 लाख ₹) की कमी एवं 1.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि अगली तिमाही में वेतन के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(30) 2225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5191-अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अन्तर्गत सहायता / पुनर्वास सहायता—				
मूल	5,00.00			
पुनर्वि.	(-) 1,88.40	3,11.60	3,11.59	(-) 0.01

समर्पण के रूप में 1,88.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

26—सामाजिक न्याय विभाग

(31) 2235-02-796-105-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6688-नशामुक्ति सह पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना—				
मूल	1,35.50			
पुनर्वि.	(-) 1,35.50
(32) 2235-60-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6693-कन्या अभिभावक पेंशन योजना—				
मूल	1,50.00			
पुनर्वि.	(-) 1,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (31) एवं (32) के शीर्षान्तर्गत 1,35.50 लाख ₹ एवं 1,50.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत योजना की शुरुआत न होने के कारण हुई।

(33) 2235-60-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5247-आम आदमी बीमा योजना—				
मूल	3,60.00			
पुनर्वि.	(-) 2,12.73	1,47.27	1,47.27	..
(34) 2235-60-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5614-जनश्री बीमा योजना—				
मूल	5,71.40			
पुनर्वि.	(-) 1,14.64	4,56.76	4,56.76	..

उपरोक्त क्रम संख्या (33) एवं (34) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 2,12.73 लाख ₹ एवं 1,14.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम की राशि में कमी के कारण हुई।

34—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(35) 2215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना—				
मूल	81,97.40			
पुनर्वि.	(-) 18,00.00	63,97.40	63,61.81	(-) 35.59

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण के रूप में 18,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत प्रावधान अनुसार भारत सरकार से राशि की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

35-पशुपालन विभाग

(36) 2403-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5561-पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम— मूल	9,14.00			
पुनर्वि.	(-) 2,47.82	6,66.18	6,62.54	(-) 3.64

2,47.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,58.82 लाख ₹ की कमी एवं 11.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः संस्था का संचालन शुरू न होने के कारण हुई (2,47.82 लाख ₹) जबकि वृद्धि पशु औषधालय एवं चिकित्सालयों हेतु फर्नीचर क्रय करने हेतु राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (11.00 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(37) 2403-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— मूल	12,78.00			
पूरक	8,22.00	21,00.00	14,21.43	(-) 6,78.57

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

50-महिला एवं बाल विकास विभाग

(38) 2235-02-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6442-अटल बाल आरोग्य मिशन— मूल	8,05.00			
पुनर्वि.	(-) 6,76.78	1,28.22	1,28.21	(-) 0.01
(39) 2235-02-796-102-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 6741-म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)— मूल	10,25.00			
पुनर्वि.	(-) 10,17.37	7.63	7.63	..

उपरोक्त क्रम संख्या (38) एवं (39) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 6,76.78 लाख ₹ एवं 10,17.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (38) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

59-औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(40) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7910-माइक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना		16,71.46	13,35.17	(-) 3,36.29
---	--	----------	----------	-------------

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

10-वन विभाग

(1) 2406-01-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7882-कार्य आयोजनाओं का क्रियान्वयन	96,67.78	97,16.55	+ 48.77
--	----------	----------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 3730-वन्यजीव पर्यावास समन्वित विकास— मूल	27,00.00			
पुनर्वि.	9,80.00	36,80.00	47,91.24	+ 11,11.24

9,80.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 11,05.01 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,25.01 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अंशतः भारत सरकार से अधिक राशि की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई (1,25.01 लाख ₹) शेष वृद्धि (9,80.00 लाख ₹) एवं कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

14-किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

(3) 2401-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5647-कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिये विशेष सहायता टाप-अप अनुदान— मूल	3,23.40			
पुनर्वि.	1,95.85	5,19.25	5,19.25	..

1,95.85 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 4,15 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कृषकों की सिंचाई उपकरणों की मांग पूरी करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को अमल में लाने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 2401-796-102-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6670-राज्य माइक्रो सिंचाई मिशन— मूल	12.50			
पुनर्वि.	99.35	1,11.85	1,11.86	+ 0.01

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

99.35 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.65 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कृषकों की सिंचाई उपकरणों की मांग पूरी करने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर अमल करने के कारण होना सूचित की गई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 2401-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र

उपयोजना—

5081-सूरज धारा योजना—

मूल	5,08.72			
पुनर्वि.	56.40	5,65.12	5,65.12	..

56.40 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 58.33 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1.93 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि हितग्राही कृषकों की मांग के कारण होना सूचित की गई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(6) 2401-796-103-0102-आदिवासी क्षेत्र

उपयोजना—

8769-अन्नपूर्णा योजना—

मूल	5,09.97			
पुनर्वि.	42.12	5,52.09	5,52.09	..

42.12 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 42.65 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.53 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि लाभार्थी कृषकों की मांग के कारण होना सूचित की गई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(7) 2401-796-113-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय

सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)—

5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

पूरक	2,37.00	2,37.00	3,53.21	+ 1,16.21
------	---------	---------	---------	-----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(8) 2210-01-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र

उपयोजना—

5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन—

मूल	39,56.00			
पूरक	89,15.28			
पुनर्वि.	27,65.21	1,56,36.49	1,56,36.49	..

27,65.21 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(9) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र

उपयोजना—

2676-पोस्ट मेट्रिक छात्र वृत्तियां—

मूल	38,37.67			
पूरक	2,91.30			
पुनर्वि.	32,34.27	73,63.24	49,36.63	(-) 24,26.61

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

32,34.27 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 32,44.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 9.73 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि जिलों से मांग प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(10) 2225-02-796-277-0102-आदिवासी क्षेत्र

उपयोजना—

8832-आश्रमों/छात्रावासों का

सुदृढीकरण—

मूल	26,79.75			
पुनर्वि.	1,46.99	28,26.74	28,26.74	..

1,46.99 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3.01 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि छात्रावास/आश्रम में सामग्री की आपूर्ति के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(11) 2225-02-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र

उपयोजना—

9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह

अभिकरण—

मूल	1,00.00			
पूरक	1.72			
पुनर्वि.	1,72.00	2,73.72	2,73.66	(-) 0.06

1,72.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि अमले के वेतन भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

30-संस्कृति विभाग

(12) 2205-796-107-0102-आदिवासी क्षेत्र

उपयोजना—

6464-स्मारकों/संग्रहालयों आदि का

अनुरक्षण एवं विकास कार्य—

मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	9,00.00	11,00.00	11,00.00	..

9,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि दर्शक दीर्घा एवं संग्रहालय परिसर की सजावट हेतु राशि की आवश्यकता होना सूचित की गई।

35-पशुपालन विभाग

(13) 2403-796-001-0102-आदिवासी क्षेत्र

उपयोजना—

9331-नवीन गहन पशु विकास

परियोजना की स्थापना—

मूल	6,79.15			
पूरक	73.76			
पुनर्वि.	2,47.82	10,00.73	9,11.11	(-) 89.62

2,47.82 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि विभिन्न जिलों में औषधि के क्रय के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

पूँजीगत:
दत्तमत-

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (21,79.01 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (3,43,58.17 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (23,76.25 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 3,89,13.43 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 4,46,52.18 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 20- 30- 31 मार्च 2013 को केवल 3,89,53.78 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

13-ऊर्जा विभाग

(1) 4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना-
6323-2 गुना 660 मेगावॉट श्री
सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना-
मूल 3,08.00
पुनर्वि. (-) 3,08.00

3,08.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 4801-05-796-190-1202-विदेशी सहायता
प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना)-
5523-कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र
फीडर की व्यवस्था-
मूल 1,79,04.00
पुनर्वि. (-) 1,79,04.00

समर्पण के रूप में 1,79,04.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जाँच एवं प्रमाणीकरण में विलंब के कारण कार्यों के देयकों की राशि के समायोजन न होने के कारण हुई।

(3) 4801-05-796-190-1202-विदेशी सहायता
प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र
उपयोजना)-
6929-पारेषण प्रणाली का
सृष्टीकरण-
मूल 36,19.00
पुनर्वि. (-) 36,19.00

36,19.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत ऋण की बजाय शेयर केपिटल में प्रावधान के कारण हुई।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 4801-05-796-190-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)– 7900- उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण– मूल 1,23,82.00 पुनर्वि. (-) 1,23,82.00

समर्पण के रूप में 1,23,82.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत जाँच एवं प्रमाणीकरण में विलम्ब के कारण कार्यों के देयकों की राशि के समायोजन न होने के कारण हुई।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(5) 4210-01-796-110-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना– 7648-अस्पताल और औषधालयों के भवन निर्माण– मूल 11,00.00 पुनर्वि. (-) 10,55.00	45.00	29.82	(-) 15.18
--	-------	-------	-----------

10,55.00 लाख ₹ (समर्पण 8,50.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,05.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12, 2010–11 एवं 2009–10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 4210-01-796-110-1302-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना– 6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग)– मूल 12,00.00 पुनर्वि. (-) 10,55.00	10,47.17		(-) 1,52.83
(7) 4210-02-796-104-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना– 5056-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण– मूल 10,00.00 पुनर्वि. (-) 12,84.00	8,31.54		(-) 1,68.46

उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011–12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(8) 4210-02-796-104-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना– 7204-प्री फेब्रीकेटेड उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण– मूल 22,00.00 पुनर्वि. (-) 12,84.00	9,16.00	8,93.77	(-) 22.23
--	---------	---------	-----------

12,84.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य संपादन हेतु एजेन्सी के निर्धारण में विलम्ब के कारण हुई (6,42.00 लाख ₹)। समर्पण के रूप में 6,42.00 लाख ₹ की अवशेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 4210-02-796-104-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोगना)— 6882-सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण—	मूल 9,00.00 पुनर्वि. (-) 6,00.00	3,00.00	3,90.94 + 90.94

6.00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः कार्य संपादन की एजेन्सी के निर्धारण न होने के कारण हुई (3.00 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (समर्पण 3.00 लाख ₹) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 4210-04-796-112-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना—	मूल 14,90.00 पुनर्वि. (-) 14,71.50	18.50	.. (-) 18.50
(11) 4210-04-796-112-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना—	मूल 5,90.00 पुनर्वि. (-) 5,56.50	33.50	.. (-) 33.50

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 14,71.50 लाख ₹ एवं 5,56.50 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(12) 4225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं— 5211-एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम—	मूल 44,23.00 पुनर्वि. (-) 26,00.95	18,22.05	18,22.05 ..
---	---------------------------------------	----------	-------------

समर्पण के रूप में 26,00.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(13) 4225-02-794-800-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं— 9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण—	4,20.00	..	(-) 4,20.00
---	---------	----	-------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(14) 4225-02-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 1032-कार्यालय भवनों के निर्माण/ विद्युतीकरण— मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-) 2,21.20	2,78.80	2,78.80	..

2,21.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिला कार्यालय भवन के निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(15) 4701-45-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5152-हालोन परियोजना— मूल 40,00.00 पुनर्वि. (-) 39,85.02	14.98	11.98	(-) 3.01
---	-------	-------	----------

39,85.02 लाख ₹ (समर्पण 5.02 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 39,80.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः कार्य के सम्पादन हेतु एजेन्सी के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई। (39,80.00 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (5.02 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(16) 4701-46-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 8822-अपर नर्मदा परियोजना— मूल 76,77.01 पुनर्वि. (-) 76,02.58	74.43	74.43	..
--	-------	-------	----

76,02.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य संपादन हेतु एजेन्सी के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(17) 4701-80-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5869-नर्मदा कछार के विकास हेतु मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजनायें— मूल 2,02.46 पुनर्वि. (-) 1,50.00	52.46	26.04	(-) 26.42
---	-------	-------	-----------

1,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

29-खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

(18) 6408-02-796-190-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 7272-गोदामों का निर्माण	15,00.00	11,29.08	(-) 3,70.92
--	----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
31—जल संसाधन विभाग			
(19) 4700-01-796-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)– 6258-डेम रिहैबिलिटेशन एण्ड इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट– मूल 5,30.00 पुनर्वि. (-) 5,30.00	
5,30.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वर्ल्ड बैंक की सहायता से संचालित ड्रिप परियोजना के कुछ कार्यों की शुरूआत न होने के कारण हुई।			
(20) 4701-25-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)– 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण– मूल 56,67.46 पुनर्वि. 2,06.58		58,74.04	43,40.45 (-) 15,33.59
2,06.58 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,15.58 लाख ₹ की वृद्धि एवं 9.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(21) 4701-54-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना– 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य– पूरक 12,00.00 पुनर्वि. 22,65.00		12,00.00	.. (-) 12,00.00
सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(22) 4701-54-796-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि– 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य– मूल 15,21.85 पूरक 13,00.00 पुनर्वि. 22,65.00		50,86.85	22.52 (-) 50,64.33
22,65.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण कार्य के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(23) 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना– 3828-लघु सिंचाई योजना– मूल 24,76.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)5,29.00		19,47.00	17,09.67 (-) 2,37.33
5,29.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण हुई (1,20.00 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (4,09.00 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्षान्तर्गत 2011–12 एवं 2010–11 के दौरान भी बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(24) 4702-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6079-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)— मूल 27,43.40 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-) 24,89.00	2,54.40	1,53.91	(-) 1,00.49

24,89.00 लाख ₹ (समर्पण 12.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 24,77.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः योजनाओं के स्वीकृत न होने के कारण हुई (21.00 लाख ₹)। शेष कमी (3,89.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(25) 4702-796-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 3828-लघु सिंचाई योजना	40,28.15	31,71.80	(-) 8,56.35
---	----------	----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

34—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(26) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5350-होस्टल/आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य— मूल 15,90.00 पुनर्वि. (-) 5,62.04	10,27.96	9,65.86	(-) 62.10
(27) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7233- पूरक 6,99.72 पुनर्वि. (-) 3,49.86	3,49.86	3,48.15	(-) 1.71

उपरोक्त क्रम संख्या (26) एवं (27) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 5,62.04 लाख ₹ एवं 3,49.86 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राज्य शासन द्वारा निर्धारित मानदण्ड के अनुसार भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(28) 4215-01-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6032-भू-जल संवर्धन कार्यक्रम— पूरक 11,08.22	11,08.22	7,90.91	(-) 3,17.31
--	----------	---------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

50-महिला एवं बाल विकास विभाग

(29) 4235-02-796-102-1302-केन्द्रीय वित्त आयोग (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5360- मूल 20,00.00 पुनर्वि. (-) 20,00.00
--	----	----	----

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण के रूप में 20,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

13-ऊर्जा विभाग

(1) 4801-05-796-190-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 9252-मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु धनवेष्टन— मूल	9,54.00			
पूरक	53,59.00			
पुनर्वि.	3,08.00	66,21.00	66,21.00	..
(2) 6801-796-205-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)– 6929-पारेषण प्रणाली का सृष्टीकरण— पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	36,19.00	36,19.00	36,19.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 3,08.00 लाख ₹ एवं 36,19.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(3) 4202-01-796-202-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 0581-उच्चतर माध्यमिक शालाएं— मूल	20,00.00			
पुनर्वि.	2,15.06	22,15.06	22,15.05	(-) 0.01

2,15.06 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,21.20 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6.14 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि सरकारी स्वीकृति के अनुसार आवंटन प्राप्ति के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(4) 4700-43-796-800-1502- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल	60,00.00			
पुनर्वि.	37,84.97	97,84.97	97,81.98	(-) 2.99

37,84.97 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 37,85.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.03 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि खरगौन उद्वहन सिंचाई एवं मुख्य नहर के 130 किलोमीटर से 206 किलोमीटर तक के कार्यों हेतु राशि की आवश्यकता होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 4700-45-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 9091-ओंकारेश्वर परियोजना— मूल	1,49,81.22		
पुनर्वि.	1,03,16.20	2,52,97.42	2,52,31.09 (-) 66.33

1,03,16.20 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,03,25.58 लाख ₹ की वृद्धि एवं 9.38 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि परियोजना के प्रथम से पांचवे चरण तक के कार्यों की प्रगति के कारण होना सूचित की गई जबकि कमी मुख्यतः कार्य संपादन की एजेन्सी के निर्धारण की प्रक्रिया पूरी न होने के कारा हुई (8.91 लाख ₹)। शेष कमी (0.47 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 4701-11-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5223-मान परियोजना (नाबार्ड)— मूल	4,98.47		
पुनर्वि.	5,91.69	10,90.16	10,94.99 + 4.83

5,91.69 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 6,07.53 लाख ₹ की वृद्धि एवं 15.84 लाख ₹ (समर्पण 0.34 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 15.50 लाख ₹) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि नहर की लाइनिंग के कार्य की प्रगति एवं निचली धारा के पुल के निर्माण के कारण होना सूचित की गई। कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(7) 4701-12-796-800-1502-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 4647-जोबट परियोजना (नाबार्ड)— मूल	9,76.24		
पुनर्वि.	2,74.25	12,50.49	12,48.66 (-) 1.83

2,74.25 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 2,74.26 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.01 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि नहर की लाइनिंग एवं छोटी खताली पुल के निर्माण कार्य के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

31-जल संसाधन विभाग

(8) 4700-64-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 6831-पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—जल संसाधन विभाग— मूल	10,00.00		
पुनर्वि.	5,30.00	15,30.00	15,26.30 (-) 3.70

5,30.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि मध्य प्रदेश वाटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अन्तर्गत वर्ल्ड बैंक द्वारा कार्यान्वयित एवं संचालित कई नई योजनाओं के लिये राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 4701-80-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य— मूल	50.00			
पुनर्वि.	(-) 45.00	5.00	66,08.44	66,03.44

45.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग के रूप में प्रत्याशित बचत एजेन्सी द्वारा कार्य निष्पादन न करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(10) 4702-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5189-लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल	2,31.01			
पुनर्वि.	94.00	3,25.01	4,09.53	+ 84.52

94.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 6.00 लाख ₹ (समर्पण) का निवल प्रभाव था। वृद्धि निर्माण कार्य के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

**अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल
(सभी दत्तमत)**

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
पूंजीगत:				
मूल	5,36,48,00			
पूरक	सांकेतिक	5,36,48,00	3,51,27,53	(-) 1,85,20,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				1,55,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

(i) 1,85,20.47 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 1,55,00.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
19—लोक निर्माण विभाग				
(1) 5054-03-796-101-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5225-पुलों का निर्माण (नाबार्ड)		23,45.00	20,65.75	(-) 2,79.25
(2) 5054-03-796-337-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन		9,75.00	5,23.32	(-) 4,51.68
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(3) 5054-03-796-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5003-म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम— मूल	1,32,20.00			
पुनर्वि.	(-) 50,00.00	82,20.00	66,10.00	(-) 16,10.00
(4) 5054-04-796-800-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)— मूल	1,57,50.00			
पुनर्वि.	(-) 45,00.00	1,12,50.00	1,03,18.49	(-) 9,31.51
(5) 5054-04-796-800-1402-नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उपयोजना)— 5226-ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)— मूल	1,41,20.00			
पुनर्वि.	(-) 60,00.00	81,20.00	76,24.81	(-) 4,95.19

अनुदान संख्या 42—समाप्त

उपरोक्त क्रम संख्या (3) से (5) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 50,00.00 लाख ₹, 45,00.00 लाख ₹ एवं 60,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित बजट अनुमानों के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 5054-03-796-101-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 4149-वृहद पुलों का निर्माण	22,00.00	25,34.74	+ 3,34.74
(2) 5054-04-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 4416-सर्वेक्षण	1,25.00	2,73.81	+ 1,48.81
(3) 5054-80-796-800-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5701-बी.ओ.टी.मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण	2,08.00	7,08.00	+ 5,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवक कल्याण
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2204—खेल तथा युवा सेवार्ये			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	48,01,06		
पूरक	12,66,08	60,67,14	(-)20,48,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			20,39,72
पूंजीगत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)	17,30,01	17,30,00	(-)1 1

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था दिसम्बर 2012 (₹ 9,60.35 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 3,05.73 लाख) में प्राप्त किया गया 12,66.08 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 20,48.86 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 20,39.72 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2204-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
2304-निदेशन और प्रशासन—			
मूल	9,50.90		
पूरक	8.00		
पुनर्वि.	(-)2,19.85	7,39.05	7,28.95
			(-)10.10

समर्पण के रूप में 2,19.85 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2204-800-0701- राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5834- पायका (पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान)—			
मूल	20,00.00		
पुनर्वि.	(-)16,93.71	3,06.29	3,06.29
			..

समर्पण के रूप में 16,93.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने तथा राज्यांश अप्रयुक्त रहने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 43—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4938-युवा संधि को अनुदान— मूल	3,50.00			
पुनर्वि.	(-)56.22	2,93.78	2,94.42	+ 0.64
(4) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7115-राज्य स्तरीय ट्राफी खेल का आयोजन— पूरक	3,22.03			
पुनर्वि.	(-)59.62	2,62.41	2,62.41	..

उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत 56.22 लाख ₹ (समर्पण ₹ 0.13 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 56.09 लाख) एवं 59.62 लाख ₹ (समर्पण के रूप में) की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण/विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7116-भोपाल झील महोत्सव का आयोजन— पूरक	82.97			
पुनर्वि.	(-) 82.97
(6) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7117-अकादमी के खिलाड़ियों हेतु हाई एण्टीटयूट प्रोग्राम— पूरक	50.00			
पुनर्वि.	(-)44.23	5.77	5.77	..

उपरोक्त क्रम संख्या (5) एवं (6) के शीर्षान्तर्गत 82.97 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 44.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भोपाल झील महोत्सव का आयोजन नहीं होने तथा चालू वित्त वर्ष में हाई एण्टीटयूट प्रोग्राम न होने के कारण हुई।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7097-कौशल विकास— पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	56.09	56.09	56.09	..

56.09 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि नवीन योजना में सांकेतिक प्रावधान होने से कौशल विकास योजना के लिये अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 43—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2204-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन—			
मूल	4,41.40		
पूरक	6,70.73		
पुनर्वि.	1,27.20	12,39.33	12,39.31 (-) 0.02

1,27.20 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन होने एवं जिला योजना द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार इस योजना में जिलो को राशि वितरित करने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
6202—शिक्षा, खेलकूद कला तथा संस्कृति के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	9,58,29,15		
पूरक	20,54,50	9,78,83,65	8,55,94,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 1,22,89,64 1,13,58,81
प्रभारित—			
मूल	32,00		
पूरक	45,00	77,00	25,92
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-)51,08 4,81
पूंजीगत:			
दत्तमत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)	31,60,01	31,16,89	(-)43,12 40,70

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (1,00.00 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (10,83.50 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (8,71.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 20,54.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,22,89.64 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 1,13,58.81 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-03-001-3443-महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय—			
मूल	14,38.22		
पूरक	3.50		
पुनर्वि.	(-)3,05.80	11,35.92	11,18.06
			(-) 17.86

3,05.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,46.30 लाख ₹ (समर्पण 3,25.80 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 20.50 लाख ₹) की कमी एवं 40.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः समय से पद नहीं भरे जाने के कारण हुई (3,25.80 लाख ₹) जबकि वृद्धि मकान किराया भत्ता एवं वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि होने, अन्य भत्ते के लिये कम प्रावधान किये जाने, शासकीय महाविद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार के लिये निरंतर निरीक्षण हेतु परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभाग में वाहनों की तुलना में पेट्रोल पर कम प्रावधान किये जाने एवं विशेष प्रकरणों में गंभीर बीमारियों की प्रतिपूर्ति किये जाने के

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (20.50 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2202-03-001-9018-युवा पंचायत 2013

का गठन—

पूरक	8,70.00			
पुनर्वि.	(-)2,41.00	6,29.00	5,31.58	(-)97.42

समर्पण के रूप में 2,41.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2202-03-103-0798-कला, विज्ञान तथा

वाणिज्य महाविद्यालय—

मूल	7,78,20.78			
पूरक	25.00			
पुनर्वि.	(-) 80,41.03	6,98,04.75	6,96,76.93	(-)1,27.82

80,41.03 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 82,03.03 लाख ₹ (समर्पण 79,84.38 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,18.65 लाख ₹) की कमी एवं 1,62.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी मुख्यतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वेतनमान के बकाया राशि के भुगतान के लिये भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने तथा समय से पदों को नहीं भरे जाने एवं शासकीय महाविद्यालयों से कम मांग प्राप्त होने के कारण हुई (79,84.38 लाख ₹)। वृद्धि नवीन महाविद्यालयों में फर्नीचर खरीदने हेतु राशि की आवश्यकता होने, आकस्मिक कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किये जाने, महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया ऑन लाईन होने के कारण शासकीय एजेन्सी एन.आई.सी. के तकनीकी सहायकों को भुगतान किये जाने मकान किराया भत्ता एवं वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि होने एवं अन्य भत्ते के लिये कम प्रावधान किये जाने के कारण हुई। शेष कमी (2,07.65 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)—

5650-प्रिमियम नेशनल इस्टीमेट के

समकक्ष उत्कृष्ट महाविद्यालयों की

स्थापना—

मूल	50.00			
पुनर्वि.	(-)50.00

समर्पण के रूप में 50.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार सम्पूर्ण राशि का पूर्व आवंटन किये जाने के कारण हुई।

(5) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)—

6283-विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

के अन्तर्गत एरियर्स भुगतान—

मूल	1,00.03			
पुनर्वि.	(-)1,00.03

समर्पण के रूप में 1,00.03 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6915-स्वामी विवेकानन्द केरियर मार्ग दर्शन योजना— मूल 50.00 पूरक 3,00.00 पुनर्वि. (-)3,00.00	50.00	46.97	(-)3.03
(7) 2202-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6916-गांव की बेटी योजना— मूल 26,45.00 पुनर्वि. (-)8,81.47	17,63.53	16,11.92	(-)1,51.61
(8) 2202-03-104-3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान— मूल 37,00.00 पूरक 7,50.00 पुनर्वि. (-)8,45.00	36,05.00	33,34.41	(-)2,70.59
उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 3,00.00 लाख, 8,81.47 लाख ₹ एवं 8,45.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग से अग्रिम आहरण की मंजूरी प्राप्त नहीं होने, शत-प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति होने एवं समय पर महंगाई भत्ते की दरों का पुनरीक्षण नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2202-03-104-7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान— मूल 17,00.00 पुनर्वि. (-) 1,50.00	15,50.00	14,62.94	(-) 87.06
समर्पण के रूप में 1,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भोपाल एवं होशंगाबाद संभाग के महाविद्यालयों में न्यायिक प्रक्रिया के कारण रिक्त पदों पर अतिथि विद्वानों की नियुक्ति नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(10) 2202-03-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7173-छात्राओं को आवागमन सुविधा— मूल 5,55.00 पुनर्वि. (-)1,92.54	3,62,46	3,57.60	(-)4.86
समर्पण के रूप में 1,92.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत शत-प्रतिशत लक्ष्यों की प्राप्ति के पश्चात् राशि अभ्यर्पित किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(11) 2202-05-103-6066-संस्कृत महाविद्यालय— मूल 9,65.74 पुनर्वि. (-)1,03.23	8,62.51	8,20.40	(-)42.11

1,03.23 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,39.88 लाख ₹ की कमी एवं 36.65 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव था। कमी समय पर रिक्त पद नहीं भरे जाने के कारण हुई जबकि वृद्धि मकान किराया भत्ता एवं वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि किये जाने एवं अन्य भत्ते में कम प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

प्रभारित—

(iv) चूंकि वास्तविक व्यय मूल विनियोग से कम था, जुलाई 2012 (20.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2012 (25.00 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 45.00 लाख ₹ का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 51.08 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 4.81 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2202-03-103-0798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय—			
मूल	32.00		
पूरक	45.00		
पुनर्वि.	(-)4.81	72.19	25.92
			(-)46.27

समर्पण के रूप में 4.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

		कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2702—लघु सिंचाई				
2853—अलोह खनन तथा धातुकर्म उद्योग				
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
दत्तमत—				
मूल	93,42,26			
पूरक	2,85,00	96,27,26	87,63,36	(-) 8,63,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				4,28,62
पूंजीगत:				
दत्तमत—				
मूल	3,89,13,60			
पूरक	1,85,00,32	5,74,13,92	5,08,95,66	(-) 65,18,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				51,06
प्रभारित—				
मूल	60,00			
पूरक	7,00,00	7,60,00	7,59,99	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 2,85.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 8,63.90 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 4,28.62 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2702-80-800-0207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—				
मूल	82,66.26			
पूरक	2,85.00			
पुनर्वि.	(-) 2,86.90	82,64.36	78,76.31	(-) 3,88.05

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

2,86.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,94.01 लाख ₹ (समर्पण ₹ 2,86.90 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन ₹ 4,07.11 लाख ₹) की कमी एवं 4,07.11 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः मजदूरी एवं अन्य के लिये अधिक प्रावधान किये जाने एवं विद्युत प्रभार पर कम व्यय किये जाने के कारण हुई (2,86.90 लाख ₹)। वृद्धि वेतन शीर्ष के लिये एवं कर्मचारियों को प्रदाय वर्दियों के लंबित देयकों के भुगतान के लिये अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (4,07.11 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2702-80-800-6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं को राशि की व्यवस्था—

मूल	7,26.00			
पुनर्वि.	(-) 1,41.72	5,84.28	5,84.28	..

समर्पण के रूप में 1,41.72 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पात्र कृषक संस्थाओं की संख्या कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) 65,18.25 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 1,25,00.17 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि दिसम्बर 2012 एवं मार्च 2013 में प्राप्त किया गया क्रमशः 10,00.07 लाख ₹ एवं 50,00.08 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) 65,18.25 लाख ₹ की उपलब्ध वृहद बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 51.06 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 4702-101-1401-नाबार्ड (सामान्य)—
2304-निदेशन एवं प्रशासन

5,00.00 .. (-) 5,00.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास
निधि—

6708-ए.आई.बी.पी.योजनाएं—

मूल	64,33.00			
पुनर्वि.	(-) 8.00	64,25.00	29,61.26	(-) 34,63.74

समर्पण के रूप में 8.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 4702-101-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)—

3803-लघु एवं लघुत्तम सिंचाई
योजनाएं—

पूरक	1,05,00.13			
पुनर्वि.	(-) 40.06	1,04,60.07	52,70.26	(-) 51,89.81

अनुदान संख्या 45—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 40.06 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कुछ योजनाओं में एजेन्सीयों द्वारा कार्य के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2304-निर्देशन एवं प्रशासन	35,40.00	..	(-) 35,40.00
(5) 4702-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6708-ए.आई.बी.पी.योजनाएं	20,00.00	50.61	(-) 19,49.39

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6079-सुधार, सुदृढ़ीकरण, पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.)— मूल	32,56.60		
पूरक	5,00.10	37,56.70	+ 4,14.44
(2) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6708-ए.आई.बी.पी.योजनाएं— मूल	1,25,67.00		
पूरक	75,00.08	2,00,67.08	+ 4,56.08

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 4702-101-0420-खनिज क्षेत्र विकास निधि— 3803-लघु एवं लघुत्तम सिंचाई योजनाएं— मूल	91,67.00		
पुनर्वि.	(-) 1,00.00	90,67.00	+ 75,69.68

1,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(viii) उचंत लेन—देनः—

इस अनुदान के पूंजीगत (दत्तमत) अनुभाग में "उचंत" के अंतर्गत 2012—13 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अंतर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अंतर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

वर्ष 2012-13 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देन का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अन्तशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	01 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-	(लाख ₹ में)			
(1) क्रय	(-) 1,31.77	(-) 1,31.77
(2) भंडार	(-) 27.12	(-) 27.12
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 65.36	+ 65.36
(4) कार्यशाला उचंत	+ 0.10	+ 0.10
योग	(-) 93.43	(-) 93.43

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
5425—अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	17,68,00	17,68,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत	6,50,00	6,50,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम तथा रोजगार			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
6202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज			
राजस्व:			
मूल	3,25,09,89		
पूरक	52,07,59	3,77,17,48	3,43,31,54 (-) 33,85,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (26— 30— 31 मार्च 2013)			14,65,38

3,43,31.54 लाख ₹ के कुल व्यय में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2203—105—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—2667—पोली टेक्निक संस्थाएँ के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 11,46.60 लाख ₹ की राशि सम्मिलित हैं।

पूंजीगत	16,60,01	16,34,00	(-) 26,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			25,01

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) 33,85.94 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 9,91.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 12,61.79 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था तथा मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 29,54.80 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 33,85.94 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 26, 30 और 31 मार्च 2013 को केवल 14,65.38 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2203-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1869-तकनीकी शिक्षा संचालनालय—			
मूल	8,09.24		
पुनर्वि.	(-) 61.95	7,47.29	7,33.23 (-) 14.06

समर्पण के रूप 61.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 63.95 लाख ₹ की कमी एवं 2.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी नये कर्मचारियों की नियुक्ति न होने, शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने सामग्री प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने, दौरों में कमी होने एवं देयक समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण हुई जबकि वृद्धि संचालनालय कार्यालय में अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण होना बतलाई गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2203-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 2667-पोलीटेक्नीक संस्थाएं— मूल	4,97.11		
पूरक	12,64.40		
पुनर्वि.	(-) 4,97.11	12,64.40	12,64.40 ..

समर्पण के रूप में 4,97.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त न होने, नवीन पोलीटेक्नीक महाविद्यालयों के लिये भारत सरकार से पृथक से अनुपूरक राशि प्राप्त होने एवं नवीन संस्थाओं में नियमित अमले की नियुक्ति न होने के कारण हुई। 12,64.40 लाख ₹ का कुल व्यय 11,46.60 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था, जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत नहीं दर्शाई गई जिसके कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2203-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2667-पोलीटेक्नीक संस्थाएं— मूल	96,18.34		
पुनर्वि.	(-) 5,22.17	90,96.17	90,96.17 ..

5,22.17 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 2,50.17 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,72.00 लाख ₹) प्रावधान में 9,12.17 लाख ₹ की कमी एवं 3,90.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अमले की नयी भर्ती न होने, इस अवधि में कम प्रशिक्षण आयोजित होने, सामग्री प्राप्त न होने, देयक समय पर प्राप्त न होने, रिक्त पदों की पूर्ति न होने, मजदूरी का भुगतान न होने, दौरे कम होने एवं प्रशिक्षण सामग्री प्राप्त न होने के कारण हुई, जबकि वृद्धि वेतन, मंहगाई भत्ते एवं ग्रेड पे के लिये अपर्याप्त प्रावधान, मकान किराया भत्ता, वाहन भत्ता, मजदूरी एवं मंहगाई भत्ते की दरों के पुनरीक्षण एवं दूरभाष पर अधिक व्यय के कारण होना बतलाई गई।

(4) 2230-03-001-9148-प्रशिक्षण संचालनालय— पूरक	75.00	75.00	9.57	(-) 65.43
---	-------	-------	------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6640-विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्पूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना— मूल	40.01			
पुनर्वि.	(-) 40.01

समर्पण के रूप में 40.01 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(6) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल	92,51.36			
पूरक	1,83.00			
पुनर्वि.	(-) 8.27	94,26.09	88,04.51	(-) 6,21.58

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>8.27 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,03.27 लाख ₹ की कमी (समर्पण ₹ 8.27 लाख + पुनर्विनियोजन 3,95.00 लाख ₹) एवं 3,95.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(7) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 6471-जिला स्तर पर आदर्श आई.टी. आई.की स्थापना– मूल पुनर्वि.	5,40.00 (-) 1,45.95	3,94.05	1,89.02 (-) 2,05.03
(8) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 6472-आई.टी.आई.का सुदृढीकरण– मूल पुनर्वि.	1,50.00 (-) 4.27	1,45.73	1,08.88 (-) 36.85
(9) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 6475-विकास खण्डों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना– मूल पुनर्वि.	19,20.00 (-) 27.77	18,92.23	12,50.53 (-) 6,41.70
(10) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार– मूल पुनर्वि.	7,69.39 (-) 2,87.69	4,81.70	3,34.63 (-) 1,47.07
(11) 2230-03-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)– 7851-युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना– मूल पुनर्वि.	1,90.00 (-) 29.97	1,60.03	1,01.84 (-) 58.19

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (11) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,45.95 लाख ₹ (समर्पण 2.95 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,43.00 लाख ₹), समर्पण के रूप में 4.27 लाख ₹, 27.77 लाख ₹, 2,87.69 लाख ₹ एवं 29.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं। उपरोक्त क्रम संख्या (7), (8), (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान एवं क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2203-112-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 0503-इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल	29,45.88		
पुनर्वि.	1,46.90	30,92.78	30,89.52
			(-) 3.26

1,46.90 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,33.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2,86.10 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,25.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,61.10 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि वेतन, मंहगाई भत्ते एवं ग्रेड पे के लिये अपर्याप्त प्रावधान होने तथा मकान किराये भत्ते, वाहन भत्ते एवं मंहगाई भत्ते की दरों में शासन द्वारा पुनरीक्षण के कारण होना बतलाई गई, जबकि कमी अमले की भर्ती न होने, सरकार से योजना की सक्षम स्वीकृति प्राप्त न होने एवं कम यात्राओं के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 2230-03-003-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना
सामान्य—

6951-शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थाओं को उत्कृष्ट संस्थानों में
विकसित किया जाना—

मूल	4.01			
पुनर्वि.	1,43.00	1,47.01	1,46.44	(-) 0.57

1,43.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

पूँजीगत:

(v) 26.01 की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 25.01 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 48—नर्मदा घाटी विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2055—पुलिस			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
2405—मछली पालन			
2801—बिजली			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत	19,09,93	15,39,18	(-) 3,70,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			3,33,97

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	7,79,72,35		
पूरक	2,45,00,00	10,24,72,35	9,97,11,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 27,60,75 18,36,61

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)	40,00	..	(-) 40,00 40,00
---	-------	----	--------------------

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व:****दत्तमत—**

(i) 3,70.75 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 3,33.97 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2055-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—			
4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)—			
मूल	6,89.80		
पुनर्वि.	(-)50.61	6,39.19	5,88.98
(2) 2402-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
1580-मेक्रोमेनेजमेन्ट योजना—			
मूल	4,25.93		
पुनर्वि.	(-)2,82.30	1,43.63	1,57.63
			+14.00

अनुदान संख्या 48—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 50.61 लाख ₹ एवं 2,82.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 तथा क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iii) 27,60.75 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 2,45,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(iv) 27,60.75 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 18,36.61 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) यद्यपि 27,60.75 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

[अ] बचत:-

(1) 4700-41-001-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

2872-बरगी नहर व्यपवर्तन योजना–

मूल

30,37.43

पुनर्वि.

(-)3,97.11

26,40.32

26,63.73

+23.41

3,97.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 4,08.40 लाख ₹ (समर्पण) की कमी एवं 11.29 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4700-41-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय

सहायता (सामान्य)–

2872-बरगी नहर व्यपवर्तन योजना–

मूल

1,40,00.00

पुनर्वि.

(-)4,46.25

1,35,53.75

1,35,30.16

(-)23.59

(3) 4700-51-001-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

2428-निष्पादन स्थापना (यूनिट एक

एवं यूनिट दो)–

मूल

4,75.65

पुनर्वि.

(-)2,01.94

2,73.71

2,38.08

(-)35.63

(4) 4700-80-001-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

5011-शेयर मछेरेवा शक्कर परियोजना–

मूल

5,00.00

पुनर्वि.

(-)4,68.71

31.29

31.28

(-)0.01

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत 4,46.25 लाख ₹ (समर्पण 0.02 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,46.23 लाख ₹), 2,01.94 लाख ₹ (समर्पण 12.06 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1,89.88 लाख ₹) एवं 4,68.71 लाख ₹, (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत अंशतः राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई (क्रमशः 4,46.23 लाख ₹, 1,89.88 लाख ₹ एवं 1,78.71 लाख ₹)। इन शीर्षों के अन्तर्गत क्रमशः 0.02 लाख ₹, 12.06 लाख ₹ एवं 2,90.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 4700-80-800-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

6399-इंदिरा सागर परियोजना (यूनिट

1)–

मूल 25,00.00

पुनर्वि. (-)25,00.00

25,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एन.एच.डी.सी. से लेनदारी का समायोजन होने के कारण यूनिट 1 के हिस्से का भुगतान न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 4701-80-001-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

5869-नर्मदा कद्वार के विकास हेतु

मध्यम एवं लघु सिंचाई–

मूल 8,00.08

पुनर्वि. (-) 6,00.01 2,00.07 2,00.07 ..

6,00.01 लाख ₹ (समर्पण 0.01 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(7) 4801-01-203-1401-नाबार्ड (सामान्य)–

6401-इंदिरा सागर केनाल बैडपावर

हाऊस–

मूल 4,95.89

पुनर्वि. (-)4,33.80 62.09 62.08 (-)0.01

4,33.80 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत अंशतः राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई (79.73 लाख ₹)। 3,54.01 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(8) 4801-01-203-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)–

6403-इंदिरा सागर परियोजना यूनिट

1 का हिस्सा एन.एच.डी.सी. को

भुगतान–

मूल 27,00.00

पुनर्वि. (-) 27,00.00

27,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत एन.एच.डी.सी. से लेनदारी का समायोजन होने के कारण यूनिट 1 के हिस्से का भुगतान नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—जारी

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

अनुदान व्यय बचत -
(लाख ₹ में)

(9) 4801-01-203-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-
6942-ओंकारेश्वर नहर शीर्ष विद्युत
गृह-
मूल 7,00.00
पुनर्वि. (-)7,00.00

7,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई (50.00 लाख ₹)। 6,50.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(10) 4801-01-205-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-
9133-सरदार सरोवर परियोजना-
मूल 2,10.00
पुनर्वि. (-)2,10.00

2,10.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः गुजरात सरकार को भुगतान न करने के कारण हुई क्योंकि दो राज्यों के लेनदेन में समायोजन के पश्चात् गुजरात राज्य को मध्य प्रदेश सरकार को भुगतान करना था (10.00 लाख ₹)। 2,00.00 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(11) 4801-01-206-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-
6797-केचमेंट एरियाट्रीटमेंट-
मूल 11,99.21
पुनर्वि. (-)7,80.32 4,18.89 3,94.91 (-)23.98

7,80.32 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत अंशतः राशि की आवश्यकता न होने के कारण हुई (1,26.89 लाख ₹)। 6,53.43 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(12) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-
3561-मुख्यालय स्थापना-
मूल 20,12.23
पुनर्वि. (-)5,27.10 14,85.13 14,24.63 (-)60.50

5,27.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 5,55.70 लाख ₹ (समर्पण 5,01.55 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 54.15 लाख ₹) की कमी एवं 28.60 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की अवकाश यात्रा सुविधा के लिए राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई (53.15 लाख ₹)। वृद्धि मुख्यतः अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों एवं आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते एवं वेतन की बकाया राशि के भुगतान के कारण होना सूचित की गई (27.60 लाख ₹)। 5,02.55 लाख ₹ की शेष कमी एवं 1.00 लाख ₹ की शेष वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 48-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(13) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)-

4406-सरदार सरोवर के डुबान से
प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य
कार्यों पर खर्च—

मूल	1,38,78.79			
पुनर्वि.	(-)66,54.63	72,24.16	72,19.81	(-)4.35

66,54.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 67,18.25 लाख ₹ (समर्पण 3,17.15 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 64,01.10 लाख ₹) की कमी एवं 63.62 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः मशीन एवं उपकरण के अनुरक्षण मद में एवं सरदार सरोवर परियोजना के मुख्य निर्माण कार्य में राशि की आवश्यकता नहीं होने के कारण हुई (28,78.62 लाख ₹) जबकि वृद्धि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मेडीकल देयको, अवकाश यात्रा रियायत देयको का भुगतान देय होने के कारण, वाहन का अनुरक्षण एवं संविदा कर्मचारियों के लंबित वेतन देयकों के भुगतान देय होने के कारण होना सूचित की गई। 38,39.63 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

[ब] आधिक्य:-

(1) 4700-43-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय
सहायता (सामान्य)—
2884-नहर तथा उससे संबंधित
निर्माण कार्य—

मूल	1,27,11.27			
पूरक	35,00.00			
पुनर्वि.	1,15,77.77	2,77,89.04	2,77,39.29	(-) 49.75

1,15,77.77 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में वृद्धि 1,15,79.73 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 1.96 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि टर्न की आधार पर किये जा रहे कार्य की प्रगति के आधार पर देयको के भुगतान के कारण हुई। कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4700-45-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय
सहायता (सामान्य)—
9091-ओंकारेश्वर परियोजना—

मूल	46,50.00			
पूरक	2,10,00.00			
पुनर्वि.	36,83.88	2,93,33.88	2,89,42.02	(-) 3,91.86

36,83.88 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि 36,83.89 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 0.01 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि एवं कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 48—समाप्त

(vi) उचंत लेन—देन—

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) के अंतर्गत किये गए व्यय में "उचंत" शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2012-13 के दौरान कोई भी राशि व्यय नहीं की गई। "उचंत" के अन्तर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे में टिप्पणी (v) में दी गई है।

वर्ष 2012-13 तक इस अनुदान में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन—देनों का विश्लेषण प्रारंभिक एवं अंतिम शेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2012 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंतशेष नामे+ जमा(-)
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—		(लाख ₹ में)		
(1) भण्डार	+ 13.47	+ 13.47
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 3.82	(-) 3.82
योग	+ 9.65	+ 9.65
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) क्रय	(-) 55.08	(-) 55.08
(2) भण्डार	(-) 21,11.65	(-) 21,11.65
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 1,02.80	(-) 1,02.80
(4) कार्यशाला उचंत	(-) 2,58.61	(-) 2,58.61
योग	(-) 25,28.14	(-) 25,28.14
4801—विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—				
(1) भण्डार	+ 67.09	+ 67.09
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(-) 2,37.78	(-) 2,37.78
योग	(-) 1,70.69	(-) 1,70.69

प्रभारित—

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4700-43-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641-स्थापना— मूल पुनर्वि.	20.00 (-)20.00
(2) 4801-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4641-स्थापना— मूल पुनर्वि.	20.00 (-)20.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के प्रत्येक शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में सम्पूर्ण विनियोग 20.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण एवं विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण

शीर्ष	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत	72,47,03	67,37,79	(-)5,09,24
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			1,92,74
<i>प्रभारित</i>	<i>1</i>	<i>..</i>	<i>(-)1</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 5,09.24 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 1,92.74 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225-01-001-1474-जिला तथा परियोजना प्रशासन	10,40.24	8,81.95	(-)1,58.29

10.94 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि की कमी एवं वृद्धि के कारणों के साथ ही साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 2225-01-277-1398-छात्रावास / आश्रमों
का संचालन—

मूल	47,05.98		
पुनर्वि.	(-)1,92.74	45,13.24	44,25.70
			(-)87.54

समर्पण के रूप में 1,92.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 50—उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2401—फसल कृषि कर्म			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,29,25,14		
पूरक	10,15,26	2,39,40,40	1,80,65,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 58,74,61 निरंक
<i>प्रभारित</i>		5,00	1,60
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-) 3,40 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 10,15.26 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 58,74.61 लाख ₹ की वृद्धि उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2401-119-0655-संचालनालय एवं अधीनस्थ कार्यालय—			
मूल	23,73.96		
पुनर्वि.	1.00	23,74.96	18,75.80
1.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.50 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन) का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-)4,99.16
(2) 2401-119-3902-पौधशाला उद्यान—			
मूल	71,13.03		
पुनर्वि.	(-)1.00	71,12.03	62,49.62
1.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6.00 लाख ₹ की कमी (पुनर्विनियोजन) एवं 5.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			(-)8,62.41
(3) 2401-119-4326-सघन फलोद्यान विकास योजना		7,48.48	6,22.20
			(-)1,26.28
(4) 2401-119-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य—			
मूल	0.06		
पूरक	2,00.00	2,00.06	46.30
			(-) 1,53.76

अनुदान संख्या 50—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
उपरोक्त क्रम संख्या (3) एवं (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन— मूल पुनर्वि.	11,40.00 (-)50.00	10,90.00	3,29.11 (-)7,60.89
50.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(6) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7142-नेशनल मिशन ऑफ फुड प्रोसेसिंग— पूरक	8,15.26	8,15.26	.. (-)8,15.26
(7) 2401-119-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 7910-माईक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना		70,85.12	57,19.91 (-)13,65.21
(8) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2816-फसल बीमा योजना		1,22.86	1.28 (-)1,21.58
उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण अनुपूरक प्रावधान के अप्रयुक्त रहने एवं क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान बचत हुई थी।			
(9) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5137-औषधि एवं सुगंध फसल कार्यक्रम— मूल पुनर्वि.	62.50 (-)26.92	35.58	.. (-)35.58
26.92 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत योजना के लिये स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(10) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6499-बहुउद्देशीय विश्लेषण प्रयोग शाला की स्थापना		1,60.00	76.69 (-)83.31
(11) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6508-फल एवं सब्जी परिरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना		49.99	.. (-)49.99

अनुदान संख्या 50—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(12) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6520-सागभाजी क्षेत्र विस्तार योजना	4,97.66	4,20.79	(-)76.87
(13) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6522-मसाला क्षेत्र विस्तार योजना	5,60.03	4,47.75	(-)1,12.28
(14) 2401-119-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7141-हार्टिकल्चर हब की स्थापना	6,25.00	..	(-)6,25.00

उपरोक्त क्रम संख्या (10), (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत बचत तथा क्रम संख्या (11) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (12) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51-धार्मिक न्यास और धर्मस्व

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2250-अन्य सामाजिक सेवाएँ			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	19,38,15		
पूरक	53,01,75	72,39,90	(-) 4,07,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
<i>प्रभारित</i>		28	(-) 28
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियाँ

राजस्व:
दत्तमत-

(i) 4,07.29 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 38,01.75 लाख ₹ एवं 5,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 10,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,07.29 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2250-800-6225-सेवादारों के मानदेय में वृद्धि एवं नेमनुक	14,00.00	5,01.28	(-) 8,98.72

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2250-800-7227-तीर्थ यात्रा के लिये राज सहायता-			
मूल	1,00.00		
पूरक	53,00.00	54,00.00	+ 5,38.13

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)।

प्रभारित-

(v) 0.28 लाख ₹ के सम्पूर्ण विनियोग की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 52—आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय
पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2401—फसल कृषि कर्म			
2403—पशुपालन			
2405—मछली पालन			
2501—ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्रामीण रोजगार			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2702—लघु सिंचाई			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	17,10,40,74		
पूरक	58,01,06	17,68,41,80	(-) 1,17,00,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30— 31 मार्च 2013)			1,04,00,51
पूंजीगत		1,89,00,00	(-) 42,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			42,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (2.00 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (26,34.59 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (31,64.47 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 58,01.06 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,17,00.28 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30— 31 मार्च 2013 को केवल 1,04,00.51 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 52—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
14—किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग			
(1) 2401-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उप योजना— 0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना— मूल 6,20.11 पुनर्वि. (-) 1,95.20	4,24.91	4,24.91	..
(2) 2401-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उप योजना— 6430-राष्ट्रीय मक्का विकास योजना— मूल 96.52 पुनर्वि. (-) 66.53	29.99	29.99	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 1,95.20 लाख ₹ (समर्पण 1,70.01 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 25.19 लाख ₹) एवं 66.53 लाख ₹ (समर्पण 49.90 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 16.63 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत अधीनस्थ कार्यालयों से मांग प्राप्त नहीं होने एवं भारत सरकार से कम राशि का प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई।

22—पंचायत विभाग

(3) 2515-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5273-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं समन्वय अधिकारी को प्रशिक्षण	1,80.00	..	(-) 1,80.00
(4) 2515-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6098-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान	16,00.00	8,00.00	(-) 8,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने एवं क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

25—आदिम जाति कल्याण विभाग

(5) 2225-02-796-196-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति— मूल 8,83.22 पुनर्वि. (-) 1,47.08	7,36.14	7,36.13	(-) 0.01
(6) 2225-02-796-197-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 1398-छात्रावास/आश्रमों का संचालन— मूल 4,61.59 पुनर्वि. (-) 55.64	4,05.95	4,04.95	(-) 1.00

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2225-02-796-197-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति— मूल 5,88.82 पुनर्वि. (-) 1,61.46		4,27.36	4,27.36	..
(8) 2225-02-796-198-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 8805-प्राथमिक स्तर में बालिकाओं एवं बालकों को छात्रवृत्ति— मूल 14,72.04 पुनर्वि. (-) 3,41.64		11,30.40	11,30.40	..

उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 1,47.08 लाख ₹, 55.64 लाख ₹ (समर्पण), 1,61.46 लाख ₹ एवं 3,41.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

26—समाज कल्याण विभाग

(9) 2235-02-796-196-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 0075-अंध, मूक बधिरों को वृत्तियां— मूल 2,30.00 पुनर्वि. (-) 1,11.62		1,18.38	1,29.38	+ 11.00
---	--	---------	---------	---------

समर्पण के रूप में 1,11.62 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत छात्रों की संख्या में कमी होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(10) 2215-01-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7166-हैण्डपम्पों के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्मों का निर्माण		4,70.60	4,19.56	(-) 51.04
---	--	---------	---------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

58—ग्रामीण विकास विभाग

(11) 2501-02-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5770-इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम— मूल 4,60.00 पुनर्वि. (-) 2,80.41		1,79.59	1,79.59	..
(12) 2501-06-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 8701-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना— मूल 13,27.83 पुनर्वि. (-) 2,11.25		11,16.58	11,16.58	..

अनुदान संख्या 52—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(13) 2505-01-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना—				
मूल	1,56,23.76			
पुनर्वि.	(-) 62,43.37	93,80.39	93,80.39	..
(14) 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम—				
मूल	3,12,86.44			
पुनर्वि.	(-) 39,15.48	2,73,70.96	2,73,70.96	..
(15) 2515-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन—				
मूल	30,00.00			
पुनर्वि.	(-) 6,62.79	23,37.21	23,37.21	..

उपरोक्त क्रम संख्या (11) से (15) के शीर्षान्तर्गत 2,80.41 लाख ₹ (समर्पण), 2,11.25 लाख ₹ (समर्पण), 62,43.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 30,69.99 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 31,73.38 लाख ₹), 39,15.48 लाख ₹ (समर्पण) एवं 6,62.79 लाख ₹ (समर्पण) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (11) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं क्रम संख्या (13) से (15) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

58—ग्रामीण विकास विभाग

(1) 2215-02-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5206-समग्र स्वच्छता अभियान—				
मूल	18,56.31			
पुनर्वि.	10,66.14	29,22.45	29,22.45	..

10,66.14 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियो का आवर्धन प्रावधान में 13,73.38 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,07.24 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से केन्द्रांश के अधिक राशि प्राप्त होने के कारण हुई जबकि कमी भारत सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 52—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2216-03-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 5198-इंदिरा आवास योजना— मूल	28,93.30		
पुनर्वि.	13,57.41	42,50.71	42,31.70
			(-) 19.01

13,57.41 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 18,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 4,42.59 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से केन्द्रांश की अधिक राशि प्राप्त होने के कारण हुई जबकि की भारत सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

**अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जाति उपयोजना अन्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिये कर्ज			

राजस्व	1,73,59,86	1,45,32,87	(-)28,26,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (22 अगस्त 2012 एवं 30— 31 मार्च 2013)			28,26,99

पूंजीगत	37,48,40	22,09,74	(-)15,38,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (27 सितम्बर 2012, एवं 30 मार्च 2013)			15,38,66

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

18—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

(1) 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6981-जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन— मूल 54,75.00 पुनर्वि. (-)16,67.19	38,07.81	38,07.81	..
---	----------	----------	----

समर्पण के रूप में 16,67.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार के अनुपात में राज्यांश आहरित करने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2217-05-789-191-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल 3,65.31 पुनर्वि. (-)2,17.32	1,47.99	1,47.99	..
---	---------	---------	----

(3) 2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल 3,51.38 पुनर्वि. (-)2,38.32	1,13.06	1,13.06	..
---	---------	---------	----

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 2,17.32 लाख ₹ एवं 2,38.32 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2217-05-789-193-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एंड मीडियम टाउन्स— मूल	9,82.80			
पुनर्वि.	(-)9,82.80

समर्पण के रूप में 9,82.80 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के दिये गये कारण उपयुक्त नहीं थे।

(5) 2217-05-789-193-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल	3,58.31			
पुनर्वि.	(-)3,58.31

3,58.31 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(6) 2217-05-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7321-गरीबों के लिये शहरी सेवा कार्यक्रम— मूल	14,55.00			
पुनर्वि.	(-)2,65.00	11,90.00	11,90.00	..

समर्पण के रूप में 2,65.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत नवीन प्रोजेक्ट एम.पी.यू.आई.आई.पी. के लिए नई बजट लाइन खोलने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

18-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

2217-05-789-192-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फॉर स्माल एंड मीडियम टाउन्स— मूल	9,85.60			
पुनर्वि.	9,82.80	19,68.40	19,68.40	..

अनुदान संख्या 53—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
9,82.80 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन नगर पालिका शिवपुरी में स्वीकृत पेयजल परियोजनाओं के पूर्ण होने के कारण होना सूचित की गई।			
पूँजीगत:			

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

18—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

(1) 4217-60-789-051-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)– 7905-नगर निगम में मूलभूत सुविधाओं का विकास– मूल पुनर्वि.	2,83.64 (-),1,67.36	1,16.28	1,16.28 ..
--	------------------------	---------	---------------

समर्पण के रूप में 1,67.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कार्य की धीमी प्रगति एवं सीमित व्यय के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 6217-60-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)– 7905-नगर निगम में मूलभूत सुविधाओं का विकास– मूल पुनर्वि.	24,66.27 (-),14,41.30	10,24.97	10,24.97 ..
--	--------------------------	----------	----------------

14,41.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 13,71.30 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 70.00 लाख ₹) कार्य की धीमी प्रगति तथा परियोजना अन्तर्गत नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिये एशियन विकास बैंक से ऋण प्राप्त कर कार्य सम्पादित करने हेतु जबलपुर, ग्वालियर एवं इन्दौर में किये जाने वाले कार्यों में बचत हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12, 2010–11 एवं 2009–10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6217-01-789-800-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उप योजना)– 7986-राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास– मूल पुनर्वि.	9,12.69 70.00	9,82.69	9,82.69 ..

70.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि परियोजना अन्तर्गत राज्य की राजधानी हेतु संपादित किये जा रहे कार्यों में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुई।

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
राजस्व:			
मूल	68,60,00		
पूरक	10,00,00	78,60,00	78,60,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल विकास

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	20,97,94,86			
पूरक	3,27,66,77	24,25,61,63	22,87,57,58	(-) 1,38,04,05
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,35,10,30

22,87,57.58 लाख ₹ के कुल व्यय में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शीर्ष 2235-02- 0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (12,05.77 लाख ₹) तथा 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) (47.52 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा मे जमा 12,53.29 लाख ₹ की राशि सम्मिलित हैं।

प्रभारित—

मूल	1			
पूरक	6,00	6,01	5,89	(-)12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				12

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	69,75,02			
पूरक	50,00,00	1,19,75,02	2,25,77	(-) 1,17,49,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,17,49,25

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 1,38,04.05 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 12.56 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 2,52,43.21 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया ₹ 75,11.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,38,04.05 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 1,35,10.30 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 55—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-053-5508-महिला बाल विकास के भवनों का रख-रखाव— मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-) 3,50.64	1,49.36	1,49.36	..
समर्पण के रूप में 3,50.64 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(2) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5060-बाल भवन की स्थापना— मूल 2,57.75 पुनर्वि. (-) 90.75	1,67.00	1,68.43	+ 1.43
90.75 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 96.20 लाख ₹ (समर्पण 90.75 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.45 लाख ₹) की कमी एवं 5.45 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2235-02-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय— मूल 15,57.86 पुनर्वि. (-) 2,21.54	13,36.32	13,39.60	+ 3.28
2,21.54 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,46.39 लाख ₹ (समर्पण 2,34.54 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 11.85 लाख ₹) की कमी एवं 24.85 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 2235-02-102-3339-मध्य प्रदेश किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थाएं— मूल 7,78.75 पूरक 12.26 पुनर्वि. (-) 1,57.97	6,33.04	6,28.32	(-) 4.72
1,57.97 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,62.25 लाख ₹ (समर्पण 1,57.97 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4.28 लाख ₹) की कमी एवं 4.28 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(5) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 6,00,00.01 पूरक 1,02,00.00 पुनर्वि. (-) 46,75.43	6,55,24.58	6,57,63.15	+ 2,38.57

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>46,75.43 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 81.06.76 लाख ₹ (समर्पण 58,83.43 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 22,23.33 लाख ₹) की कमी एवं 34,31.33 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं महिला सहायिकाओं के मानदेय एवं प्री स्कूल किट के भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने, आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत नवीन रजिस्टर/एम.पी.आर. संधारण हेतु मास्टर ट्रेनर के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होने एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयकों का भुगतान करने के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(6) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना			
(सामान्य)–			
0830-किशोर न्याय अधिनियम 1986			
के अन्तर्गत किशोर कल्याण बोर्ड का			
गठन–			
मूल	1,12.83		
पुनर्वि.	(-) 63.92	48.91	37.88 (-) 11.03
<p>63.92 लाख ₹ (समर्पण 50.92 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 13.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(7) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना			
(सामान्य)–			
5827-बाल अधिकार संरक्षण आयोग			
का गठन–			
मूल	1,65.50		
पुनर्वि.	(-) 79.83	85.67	88.33 + 2.66
<p>79.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 80.63 लाख ₹ (समर्पण 79.83 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.80 लाख ₹) की कमी एवं 0.80 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(8) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना			
(सामान्य)–			
6442-अटल बाल आरोग्य मिशन–			
मूल	31,17.01		
पुनर्वि.	(-) 25,56.83	5,60.18	5,60.19 + 0.01
<p>25,56.83 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा दिये गए परामर्श के अनुसार बचत राशि को लाडली लक्ष्मी योजना में पुनर्विनियोजित करने के कारण हुई (24,71.71 लाख ₹)। समर्पण के रूप में 85.12 लाख ₹ की शेष प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011–12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(9) 2235-02-103-9132-निराश्रित महिला गृह,			
सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिये			
संस्था–			
मूल	3,17.44		
पूरक	2.00		
पुनर्वि.	(-)55.37	2,64.07	2,63.53 (-) 0.54
<p>55.37 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 55.84 लाख ₹ (समर्पण 55.37 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 0.47 लाख ₹) की कमी एवं 0.47 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(10) 2235-02-103-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य- 6917-इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.)- मूल पुनर्वि.	21,98.02 (-) 6,72.18	15,25.84	15,25.84	..
समर्पण के रूप में 6,72.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(11) 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)- मूल पुनर्वि.	29,05.42 (-) 14,45.19	14,60.23	14,60.21	(-) 0.02
14,45.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 15,17.60 लाख ₹ (समर्पण 14,45.19 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 72.41 लाख ₹) की कमी एवं 72.41 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः भारत सरकार द्वारा 46 अशासकीय संस्थाओं के संचालन हेतु अनुदान स्वीकृत किये जाने के कारण हुई (72.41 लाख ₹) वृद्धि के साथ ही शेष कमी (14,45.19 लाख ₹) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(12) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5063-घरेलु हिंसा के विरुद्ध महिलाओं को सुरक्षा एवं सहायता केन्द्र- मूल पुनर्वि.	1,47.51 (-) 91.20	56.31	50.01	(-) 6.30
(13) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6104-योजनाओं की निगरानी एवं मूल्यांकन- मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-) 1,60.57	39.43	37.92	(-) 1.51
(14) 2235-02-106-2517-परिवीक्षा इकाई- मूल पुनर्वि.	1,55.83 (-) 1,10.36	45.47	47.92	+ 2.45
(15) 2235-02-107-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6847-महिला एवं बाल कल्याण हेतु विविध अनुदान- मूल पुनर्वि.	4,10.32 (-) 59.30	3,51.02	3,51.02	..

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(16) 2235-02-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6741-म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)— मूल 28,70.00 पुनर्वि. (-)28,26.20	43.80	43.80	..

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 91.20 लाख ₹, 1,60.57 लाख ₹, 1,10.36 लाख ₹, 59.30 लाख ₹ एवं 28,26.20 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत/अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 तथा क्रम संख्या (14) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5067-लाडली लक्ष्मी योजना— मूल 4,24,95.27 पूरक 2,24,76.00 पुनर्वि. 24,02.86	6,73,74.13	6,69,12.77	(-) 4,61.36

24,02.86 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 49,10.98 लाख ₹ की वृद्धि एवं 25,08.12 लाख ₹ (समर्पण 68.85 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 24,39.27 लाख ₹) कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

(2) 2236-02-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6392-राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला)— मूल 1,00,00.00 पुनर्वि. 41,07.91	1,41,07.91	1,41,07.91	..
--	------------	------------	----

41,07.91 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 45,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 3,92.09 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु कम राशि का प्रावधान होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 50,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

अनुदान संख्या 55—समाप्त

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4235-02-102-1401-नाबार्ड (सामान्य)- 7046-नाबार्ड अंतर्गत प्री-फेब तकनीक से आंगनवाडी भवनों का निर्माण- पूरक 50,00.00 पुनर्वि. (-) 50,00.00
(2) 4235-02-102-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)- 5360-आंगनवाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण- मूल 64,00.00 पुनर्वि. (-) 64,00.00
(3) 4235-02-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 6741-म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)- मूल 2,00.00 पुनर्वि. (-) 2,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 50,00.00 लाख ₹, 64,00.00 लाख ₹ एवं 2,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 4235-02-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य- 6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)- मूल 1,00.00 पुनर्वि. (-) 97.25	2.75	2.75	..
समर्पण के रूप में 97.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(5) 4235-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6791-संचालनालय महिला बाल विकास का भवन निर्माण- मूल 50.00 पुनर्वि. (-) 50.00

समर्पण के रूप में 50,00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	1,03,47,08		
पूरक	9,41,96	1,12,89,04	1,08,22,90
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-),4,66,14 4,42,23
पूंजीगत	5,94,63	5,92,60	(-) 2,03
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			4

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 4,66.14 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 45.58 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 7,69.78 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था एवं मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 1,26.60 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,66.14 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 4,42.23 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 4,66.14 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुये है:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

[अ] बचत:—

(1) 2851-103-2542-पर्यवेक्षक कर्मचारीवृन्द
(क्षेत्रीय कार्यालय)–

मूल	6,51.71			
पुनर्वि.	(-)1,13.63	5,38.08	5,36.98	(-)1.10

समर्पण के रूप में 1,13.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,36.63 लाख ₹ की कमी एवं 23.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पदरिक्त रहने के कारण हुई (23.00 लाख ₹) एवं वृद्धि शासन द्वारा मकान किराया भत्ता में वृद्धि होने के कारण हुई। शेष कमी (1,13.63 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2851-103-8585-पंचायतों के कर्तव्यों और
कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के लिये
जिला ग्रामोद्योग कार्यालयों की
स्थापना—

मूल	2,68.43			
पुनर्वि.	(-) 63.93	2,04.50	1,92.98	(-)11.52

अनुदान संख्या 56—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 63.93 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2851-107-3778-रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन—			
मूल	14,02.93		
पूरक	76.60		
पुनर्वि.	(-1,39.91	13,39.62	13,38.14
			(-1.48

समर्पण के रूप में 1,39.91 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,58.21 लाख ₹ की कमी एवं 18.30 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः पदरिक्त रहने, अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वीकृत समयमान की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने, कुछ मदों पर दस प्रतिशत आर्थिक कटौती किये जाने एवं कुछ जिलों में निर्धारित मलबरी काकून उत्पादन/टसर कोसाफल उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण हुई (1,39.91 लाख ₹)। वृद्धि वाहन भत्ता एवं मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि होने के कारण हुई। शेष कमी (18.30 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

[ब] आधिक्य:—

2851-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

6128-प्रचार एवं प्रसार—

मूल	19.00			
पूरक	50.00	69.00	1,01.23	+ 32.23

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत			
मूल	1,96,77,67		
पूरक	सांकेतिक	1,96,77,67	(-) 9,26,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (23 नवम्बर 2012 एवं 30— 31 मार्च 2013)			5,55,47

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत:

(i) 9,26.38 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के परिप्रेक्ष्य में, 23 नवम्बर 2012 एवं 30— 31 मर्च 2013 को केवल 5,55.47 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) यद्यपि 9,26.38 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पाँच प्रतिशत से कम थी, निम्नांकित उप शीर्षों के अंतर्गत उल्लेखनीय अंतर परिलक्षित हुए हैं:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

[अ] बचत:-

(1) 4700-01-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त

परियोजनाएं (सामान्य)—

6258-डेम रिहेबिलिटेशन एण्ड

इम्प्रूवमेन्ट प्रोजेक्ट—

मूल 16,10.70

पुनर्वि. (-) 12,55.38 3,55.32 4,29.06 + 73.74

12,55.38 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 14.38 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 12,41.00 लाख ₹) वर्ल्ड बैंक की सहायता से संचालित ड्रिप परियोजना के कार्य की धीमी प्रगति एवं योजना के कार्य की शुरुआत न होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त

परियोजनाएं (सामान्य)—

6826-पांच कछारों की पूर्व निर्मित

सिंचाई योजनाओं की उत्पादकर्ता में

सुधार—कृषि विभाग—

मूल 14,65.08

पुनर्वि. (-) 7,22.23 7,42.85 7,42.85 ..

7,22.23 लाख ₹ (समर्पण 1,21.46 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,00.77 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,40.34 लाख ₹ (समर्पण 1,21.46 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 6,18.88 लाख ₹) की कमी एवं 18.11 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः भूमि विकास का कार्य निष्पादित न किये जाने, ड्रेनेज चैनल एवं कुओं के निर्माण, किसानों को बीज उपचारित करने की मशीन का क्रय एवं वितरण न किये जाने एवं वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व राशि आहरित न किये जाने के कारण हुई (5,82.49 लाख ₹) जबकि वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता के कारण हुई। शेष कमी (1,57.85 लाख ₹) के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 57—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6827-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—मत्स्यपालन विभाग— मूल 7,16.01 पुनर्वि. (-) 2,73.63	4,42.38	4,42.38	..

समर्पण के रूप में 2,73.63 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः वित्त विभाग द्वारा प्रशिक्षण की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई (78.63 लाख ₹)। शेष कमी (1,95.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6830-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—पाशुपालन विभाग— मूल 6,19.38 पुनर्वि. (-) 3,90.00	2,29.38	2,29.38	..
--	---------	---------	----

3,90.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6833-परियोजना क्रियान्वयन समन्वयक इकाई—पाईकू— मूल 5,72.28 पुनर्वि. 13.15	5,85.43	4,77.66	(-) 1,07.77
---	---------	---------	-------------

13.15 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 18.87 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5.72 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि नई निविदाओं में परिवहन एवं अन्य व्यवस्थाओं की दरों में वृद्धि, संविदा आधार पर नियुक्त अधिकारियों के बकाया वेतन के भुगतान, कुछ अतिरिक्त नेट कनेक्शन, वरिष्ठ अधिकारियों के दूरभाष देयकों के भुगतान एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मकान किराया भत्ते में परिवर्तन के कारण होना सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(6) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6827-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—मत्स्यपालन विभाग— मूल 2,48.75 पुनर्वि. (-) 1,46.00	1,02.75	87.72	(-) 15.03
--	---------	-------	-----------

समर्पण के रूप में 1,46.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 57—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6830-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—पशुपालन विभाग— मूल 3,48.00 पुनर्वि. (-) 2,00.00	1,48.00	1,48.00	..

2,00.00 (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

[ब] आधिक्य:-

(1) 4700-01-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6826-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—कृषि विभाग— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,93.28	1,93.28	95.09	(-) 98.19
--	---------	-------	-----------

1,93.28 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि म.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अंतर्गत कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय भोपाल की अतिरिक्त राशि की मांग एवं लंबित देयकों के भुगतान के कारण होना संसूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6823-जल संसाधन प्रबंधन—संस्थान एवं साधन—स्वारडैक— मूल 20.20 पुनर्वि. 2.50	22.70	94.87	+ 72.17
--	-------	-------	---------

2.50 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि संविदा पर रखे गये अमले के वेतन के भुगतान, यात्रा भत्ता देयको के भुगतान एवं नयी निविदा में परिवहन व्यवस्था की दरों में परिवर्तन के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 4700-64-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6825-सेवा प्रदान करने संबंधी—सिंचाई एवं जल निकास संस्थाएं— मूल 4,93.01 पुनर्वि. 5,75.00	10,68.01	13,38.42	+ 2,70.41
--	----------	----------	-----------

5,75.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि म.प्र. वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अंतर्गत एग्रीमेन्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक द्वारा संचालित दो सलाहकारी सेवाओं के भुगतान हेतु राशि की आवश्यकता होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 4700-64-052-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाए (सामान्य)— 6822-जल संसाधन प्रबंधन—संस्थान एवं साधन—स्वारा—	6.00	17.70	+ 11.70
--	------	-------	---------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 57—समाप्त

शीर्ष	कुल	वास्तविक	आधिक्य +
-------	-----	----------	----------

अनुदान

व्यय
(लाख ₹ में)

बचत -

(5) 4700-64-800-1201-विदेशी सहायता प्राप्त
परियोजनाए (सामान्य)-
6831-पाँच कछारों की पूर्व निर्मित
सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में
सुधार-जल संसाधन विभाग-

मूल	1,26,02.68			
पुनर्वि.	16,33.24	1,42,35.92	1,36,60.20	(-) 5,75.72

16,33.24 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 16,63.49 लाख ₹ की वृद्धि एवं 30.25 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। प्रावधान में वृद्धि वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना के अंतर्गत वर्ल्ड बैंक द्वारा कई नई योजनाओं की निविदाओं की स्वीकृतियों के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होना सूचित की गई जबकि कमी परियोजना की स्थायी संपत्ति के संधारण व्यय में कमी के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(iv) उचंत लेन-देन:-

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग (दत्तमत) में "उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेख के अन्तर्गत टिप्पणी (v) में की गई है।

2012-13 के दौरान इस अनुभाग में विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अंतर्गत लेखांकित उचंत लेन-देनों का विश्लेषण प्रारंभिक और अंतशेषों सहित नीचे दिया गया है :-

विवरण	1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
1	2	3	4	5
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(लाख ₹ में)				
(1) भंडार	(-) 0.27	(-) 0.27
(2) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 2.21	+ 2.21
योग	+ 1.94	+ 1.94
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-				
(1) क्रय	(-) 1,94.83	(-) 1,94.83
(2) भंडार	+ 11,80.11	+ 11,80.11
(3) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+ 8,01.70	+ 8,01.70
(4) कार्यशाला उचंत	+ 49.66	+ 49.66
योग	+ 18,36.64	+ 18,36.64

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	9,63,37,45		
पूरक	50	9,63,37,95	8,81,96,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 81,41,11 निरंक
पूंजीगत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	3,25,70	75,66	(-) 2,50,04 निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 0.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 81,41.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2245-01-101-0096-अग्नि पीड़ितों को राहत—			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	(-) 3,25.00	26,75.00	8,85.20
(2) 2245-01-101-6422-सूखा फसल क्षति सहायता अनुदान—			
मूल	50,00.00		
पुनर्वि.	(-) 49,96.00	4.00	3.85
(3) 2245-01-101-8874-सूखा राहत एवं रोजगार के लिये अतिरिक्त प्रावधान	50,00.00	..	(-) 50,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 2245-01-102-2661-शहरी क्षेत्रों में पेय जल परिवहन—			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	(-) 13,00.00	27,00.00	24,01.47
			(-) 2,98.53

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(5) 2245-01-102-6434-ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पूर्ति—			
मूल	30,00.00		
पुनर्वि.	(-) 25,50.00	4,50.00	2,15.00
			(-) 2,35.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत 13,00.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) एवं 25,50.00 लाख ₹ (पुनर्विनियोजन) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 तथा क्रम संख्या (5) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(6) 2245-01-103-5496-सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पोषण आहार	3,00.00	..	3,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(7) 2245-01-800-5497-सूखा प्रभावित क्षेत्रों में अन्य कार्य—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-) 100.00
(8) 2245-02-122-0989-क्षतिग्रस्त सिंचाई बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों की मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-) 90.00	10.00	5.00
			(-) 5.00
(9) 2245-06-101-5500-भूकंप पीड़ितों को राहत/आर्थिक सहायता—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-) 99.80	0.20	..
			(-) 0.20
उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत 1,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 90.00 लाख ₹ एवं 99.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(10) 2245-80-102-6436-आपदा से संबंधित प्रशिक्षण एवं उपकरणों का क्रय—			
मूल	40,00.00		
पुनर्वि.	(-) 36,50.00	3,50.00	1,28.80
			(-) 2,21.20
36,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(11) 2245-80-102-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)—			
6370-तेरहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्षमता निर्माण—	5,00.00	..	(-) 5,00.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(12) 2245-80-800-5504-राजस्व पुस्तक 6-4 के अंतर्गत आपदा में आर्थिक सहायता— मूल 25,00.00 पुनर्वि. (-)9,00.00	16,00.00	11,68.53	(-)4,31.47
(13) 2245-80-800-6097-सर्पदंश पर आर्थिक सहायता— मूल 20,00.00 पुनर्वि. (-)3,00.00	17,00.00	14,00.29	(-)2,99.71
(14) 2245-80-800-8030-पुनः स्थापना के लिये सहायता अन्य कार्य हेतु— मूल 74,38.00 पुनर्वि. (-)41,00.00	33,38.00	23.41	(-)33,14.59

उपरोक्त क्रम संख्या (12) से (14) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः 9,00.00 लाख ₹, 3,00.00 लाख ₹ एवं 41,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (12) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2245-02-101-0747-ओला पीड़ितों को राहत— मूल 40,00.00 पुनर्वि. 1,64,60.00	2,04,60.00	2,62,95.42	+58,35.42

1,64,60.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 2245-02-193-5498-बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय निकायों एवं अन्य गैर सरकारी निकायों/संस्थाओं को सहायता— मूल 18,00.00 पुनर्वि. 4,00.00	22,00.00	20,35.07	(-)1,64.93
--	----------	----------	------------

4,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि प्रावधान में 15,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 11,00.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव थी। वृद्धि एवं कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2245-80-800-7021-ओला पाला	50,00.00	51,82.99	+1,82.99
-------------------------------	----------	----------	----------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 58—जारी

(v) अकाल राहत निधि:—

यह निधि बाढ़, अकाल या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से पीड़ित व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए समेकित निधि से राशि अंतरित कर निर्मित की गई है। निधि में किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज भी इस निधि लेखा में जमा किया जाता है।

वर्ष के दौरान 10.00 लाख ₹ की राशि मुख्य शीर्ष 2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत—05—राज्य आपदा मोचन निधि—101—आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण—राज्य आपदा मोचन निधि को नामे कर मुख्य शीर्ष 8223 अकाल राहत निधि—101—अकाल राहत निधि के अंतर्गत निधि लेखा में जमा की गई। 50.45 लाख ₹ के निवेश के विरुद्ध ब्याज के रूप में प्राप्त हुई 5.18 लाख ₹ की राशि को निधि लेखे में जमा किया गया। वर्ष के दौरान निवेश लेखा में दर्शाये गए 13.94 लाख ₹ प्रतिभूतियों के पुनर्मोचन से संबंधित हैं। वर्ष की समाप्ति के समय शासकीय प्रतिभूति में 36.51 लाख ₹ का निवेश था।

31 मार्च 2013 को शेषों की स्थिति निम्नानुसार थी :—

विवरण	1 अप्रैल 2012 को प्रारंभिक शेष नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंत शेष नामे + जमा (-)
(1) 101—निधि लेखा	(-) 5,48.55	--	15.18	(-) 5,63.73
(2) 102—निवेश लेखा	+ 50.45	--	13.94	+ 36.51
कुल	(-) 4,98.10	--	29.12	(-) 5,27.22

निधि के लेन—देनों का लेखा वित्त लेखे 2012—13 के विवरण संख्या—18 में मुख्य शीर्ष 8223—अकाल राहत निधि—101—अकाल राहत निधि तथा 102—अकाल राहत निधि निवेश लेखा के अंतर्गत सम्मिलित है।

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि:—

तेरहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित यह निधि (पुनरीक्षित प्रशासकीय निर्देशों सहित) "आपदा राहत निधि" जो कि वित्तीय वर्ष 2009—10 के अंत तक प्रवर्तनशील थी, के स्थान पर 14 दिसम्बर 2010 से प्रभाव में आई। सभी प्राकृतिक आपदायें जैसे सूखा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ओलावृष्टि, अग्नि, भू—स्खलन, हिम खण्डों का स्खलन, बादल फटना तथा कीटों का आक्रमण आदि इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए विशेषित हैं और वित्तीय वर्ष 2010—11 के अंत तक यह योजना प्रवर्तनशील थी। भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के लिए वर्ष 2012—13 हेतु निधि का अंशदान 4,33,01.00 लाख ₹ निश्चित किया गया, जिसका 75 प्रतिशत (3,24,75.75 लाख ₹) केन्द्र सरकार द्वारा आयोजनेत्तर अनुदान के रूप में दिया गया। अंशदान लेखा शीर्ष "1601—केन्द्र सरकार से सहायक अनुदान—01—आयोजनेत्तर अनुदान—109—राज्य आपदा मोचन निधि को अंशदान हेतु अनुदान के अंतर्गत प्रथमतः जमा किया गया और शेष 25 प्रतिशत (1,08,25.25 लाख ₹) का अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया गया। कुल अंशदान इस अनुदान के मुख्य शीर्ष "2245—प्राकृतिक आपदा के कारण राहत—05—आपदा राहत निधि 101—आरक्षित निधियों और जमा लेखाओं को अंतरण—आपदा राहत निधि" के अंतर्गत इन उद्देश्यों हेतु प्रावधान निर्मित करने के पश्चात् लेखा शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि" के अंतर्गत अथवा यदि निधि का निवेश करना संभव न हो तो लेखा शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—115—प्राकृतिक विपत्ति और अव्ययित मार्जिनल मुद्रा के अंतर्गत इस शीर्ष को अंतरित कर किया जाता है। सहायता या राहत पर व्यय प्रथमतः इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामे किया जाता है और समान राशि वर्ष का लेखा बंद करने से पूर्व निधि को अंतरित की जाती है। 1 नवम्बर 2000 से मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के पश्चात् मुख्य शीर्ष "8235— सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—111—आपदा राहत निधि" के अंतर्गत 31 अक्टूबर 2000 को 1,02,46.44 लाख ₹ का अंतिम शेष भारत सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा में व्यपगत नहीं किया गया एवं अनंतिम रूप से मध्य प्रदेश में ही रखा गया। यह राशि मुख्य शीर्ष 8235—सामान्य एवं आरक्षित निधियां—111—आपदा राहत निधि से मुख्य शीर्ष 8121—सामान्य एवं आरक्षित निधियां—122—राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित की गई क्योंकि 14 दिसम्बर 2010 से राष्ट्रीय आपदा राहत निधि अस्तित्व में नहीं रह गई थी, यह राशि वित्त लेखे 2012—13 के विवरण संख्या—18 में मोटे अक्षरों में दर्शित की गई है। 1 अप्रैल 2012 को मुख्य शीर्ष "8121—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि—122—राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत जमा शेष निरंक था। वर्ष के दौरान मुख्य शीर्ष 2245—05—101—0475—आरक्षित निधियों और

अनुदान संख्या 58—समाप्त

जमा लेखाओं को अंतरण—प्राकृतिक आपदा अनखर्चित मार्जिन मुद्रा निधि—अकाल राहत निधि" को नामे कर, मुख्य

शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि में 4,33,01.00 लाख ₹ की राशि जमा की गई। वर्ष के लेखे बन्द होने से पूर्व प्राकृतिक आपदाओं पर किया गया 1,29,75.83 लाख ₹ का व्यय इस निधि के नामे किया गया। 31 मार्च 2013 को निधि लेखा में मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत शेष 3,03,25.17 लाख ₹ था।

जब निधि मुख्य शीर्ष 8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां-122-राज्य आपदा मोचन निधि-के अंतर्गत वर्गीकृत हो तो निधि में जमा राशि को कोषालय बिल, भारत सरकार की प्रतिभूतियों, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण-पत्रों और भारतीय यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों एवं सहकारी बैंकों में निवेशित करना चाहिये था। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनियमन योजना के अंतर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध-वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज अदायगी- 05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज" को नामे किया जाता है। वर्ष के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया और निधि पर ब्याज की कोई राशि भी जमा नहीं की गई।

निधि के लेन-देनों का लेखा वित्त लेखे 2012-13 के विवरण संख्या-18 में सम्मिलित किया गया है।

पूंजीगत:

(vii) 2,50.04 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(viii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6245-01-800-2750-प्राकृतिक विपदाओं के कारण उत्पन्न जलकष्ट के निवारण हेतु ऋण	2,50.00	..	(-) 2,50.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 59—ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2501—ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय			
राजस्व	81,65,00	81,65,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	18,48,00	18,47,13	(-) 87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
पूंजीगत	1,80,40,00	1,78,53,89	(-) 1,86,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			1,42,54

टीका एवं टिप्पणियां
पूंजीगत:

1,86.11 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 1,42.54 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2403—पशु पालन			
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2700- मुख्य सिंचाई			
4215—जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
4408—खाद्य भंडारण एवं भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय			
4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4705—कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	99,00,07		
पूरक	60,46,00	1,59,46,07	52,46,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-) 1,07,00,07 3
पूंजीगत:			
मूल	4,00,00,21		
पूरक	3,04,50,00	7,04,50,21	4,54,79,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30— 31 मार्च 2013)			(-) 2,49,70,84 68,46,02

4,54,79.37 लाख ₹ के कुल व्यय में जल संसाधन विभाग द्वारा शीर्ष 4401-102-1503- अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उप योजना)-6080-भण्डार एवं विपणन (43,00.00 लाख ₹), 4401-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6080-भण्डार एवं विपणन (2,00,00.00 लाख ₹) एवं 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)-6074-नहरक्षमता की पुनः प्राप्ति (51,11.95 लाख ₹) के अंतर्गत आहरित तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443-सिविल जमा-800-अन्य जमा में जमा की गई 2,94,11.95 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 60,46.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 1,07,00.07 लाख ₹ की उपलब्ध वृहद बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को 0.03 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 61—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2403-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6078-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास— मूल 0.01 पूरक 6,65.00	6,65.01	..	(-) 6,65.01
(2) 2403-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6078-बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास— मूल 0.01 पूरक 23,71.00	23,71.01	22,36.00	(-) 1,35.01
(3) 2700-80-800-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8000-अवशेष निपटारा	99,00.00	..	(-) 99,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने/बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

पूंजीगत:

(iv) 2,49,70.84 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 3,04,50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(v) 2,49,70.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30- 31 मार्च 2013 को केवल 68,46.02 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4401-102-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6080-भण्डार एवं विपणन— मूल 0.01 पूरक 66,70.00 पुनर्वि. (-) 23,70.01	43,00.00	43,00.00	..

अनुदान संख्या 61—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 4401-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6080-भण्डार एवं विपणन— मूल	0.01		
पूरक	2,37,80.00		
पुनर्वि.	(-) 37,80.01	2,00,00.00	2,00,00.00 ..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 43,00.00 लाख ₹ एवं 2,00,00.00 लाख ₹ का व्यय क्रमशः संपूर्ण व्यय से इन शीर्षों को नामे तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत समर्पण के रूप में 23,70.01 लाख ₹ एवं 37,80.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 4700-80-001-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 8000-अवशेष निपटारा— मूल	4,00,00.00		
पूरक	(-) 2,20,98.82	1,79,01.18	.. (-) 1,79,01.18

2,20,98.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः जल संसाधन विभाग के बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं के लिये राशि उपलब्ध कराये जाने एवं इस शीर्ष के अन्तर्गत कोई भी योजना नहीं होने के कारण हुई (2,20,58.82 लाख ₹)। 40.00 लाख ₹ की शेष कमी के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गईः—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4215-01-102-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल	0.01		
पुनर्वि.	40,00.00	40,00.01	39,25.22 (-) 74.79

40,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन भारत सरकार से राशि मार्च में प्राप्त होने से बजट में सांकेतिक प्रावधान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 4702-101-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6077-नवीन लघु सिंचाई योजनायें	0.01	47.00	+ 46.99
---	------	-------	---------

इस शीर्ष के अन्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 61—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6068-निर्माणाधीन लघु सिंचाई योजनायें— मूल 0.01 पुनर्वि. 23,50.00	23,50.00	23,50.01	14,99.66 (-) 8,50.41
23,50.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 30,46.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं समर्पण के रूप में 6,96.00 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में भुगतान किये जाने के कारण हुई जबकि कमी कुछ योजनाओं में ऐजेन्सियों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6069-सुधार, सुदृढीकरण, पुनर्स्थापना (पोखर/तालाब) 0.01	0.01	2,58.82	+ 2,58.81
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(5) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6074-नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति— मूल 0.01 पुनर्वि. 65,04.23	65,04.23	65,04.24	65,04.24 ..
65,04.23 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 66,62.94 लाख ₹ की वृद्धि एवं 1,58.71 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं में भुगतान किये जाने के कारण हुई। 65,04.24 लाख ₹ का व्यय 51,11.95 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित था जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत दर्शाई नहीं गई जिसके साथ ही कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(6) 4702-101-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6077-नवीन लघु सिंचाई योजनायें— मूल 0.01 पुनर्वि. 85,48.59	85,48.59	85,48.60	88,80.03 + 3,31.03
85,48.59 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन बुन्देलखण्ड पैकेज की निर्माणाधीन योजनाओं का भुगतान करने तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात वन भूमि का भुगतान किये जाने के कारण हुआ। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			
(7) 4705-211-1501-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 6067-कमांड क्षेत्र विकास राजघाट परियोजना 0.01	0.01	64.46	+ 64.45
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।			

अनुदान संख्या 62—पंचायत

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,24,53,25		
पूरक	5,70	1,24,58,95	(-) 9,90,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक
<i>प्रभारित</i>		1,70	(-) 1,70
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			<i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 5.70 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 9,90.52 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2515-101-2474-पंचायती राज संस्थाओ से संबंधित प्रभार	1,18,08.01	1,10,36.70	(-) 7,71.31
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(2) 2515-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2467-पंचायत संचालनालय	5,47.28	3,58.06	(-) 1,89.22

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में समान राशि (5.53 लाख ₹) की कमी एवं वृद्धि पदों के युक्तियुक्तकरण, बिजली की दरों में वृद्धि एवं अतिरिक्त भाग किराये पर लिये जाने से किराये पर व्यय में वृद्धि के कारण सूचित की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित

(iv) 1.70 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 63—अल्प संख्यक कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	43,59,98		
पूरक	7,42,88	51,02,86	(-) 7,91,74
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			7,81,10
<i>प्रभारित</i>		8	(-) 8
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>		..	<i>निरंक</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था जुलाई 2012 (₹ 3.00 लाख), दिसम्बर 2012 (₹ 25.00 लाख) एवं मार्च 2013 (₹ 7,14.88 लाख) में प्राप्त किया गया 7,42.88 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 7,91.74 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 7,81.10 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2225-03-800-8244-अल्प संख्यक			
आयोग—			
मूल	1,20.43		
पूरक	3.00		
पुनर्वि.	(-) 41.05	82.38	(-) 1.10
(2) 2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना			
सामान्य—			
2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां—			
मूल	12,91.50		
पुनर्वि.	(-) 5,96.05	6,95.45	6,95.45 ..

समर्पण के रूप में 41.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत मुख्यतः अध्यक्ष/सदस्यों के पद रिक्त रहने, दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं प्रशिक्षण आयोजित न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना

सामान्य—

2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां—

मूल

12,91.50

पुनर्वि.

(-) 5,96.05

6,95.45

6,95.45

..

5,96.05 लाख ₹ (समर्पण ₹ 5,85.85 लाख + पुनर्विनियोजन ₹ 10.20 लाख) की प्रत्याशित बचत निर्धारित कोटे से कम विद्यार्थियों का चयन होने एवं भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर वास्तविक व्यय कम होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 63—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(3) 2225-03-800-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 5617-अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम— मूल 1,00.00 पुनर्वि. (-) 1,00.00

समर्पण के रूप में ₹ 1,00.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जाति उपयोजना
(सभी दत्तमत)

मुख्य शीर्ष

- 2029—भू-राजस्व
 2055—पुलिस
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएँ
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2215—जल पूर्ति तथा सफाई
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
 2230—श्रम तथा रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2403—पशु पालन
 2405—मछली पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भंडारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम
 2801—बिजली
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 3053—नागर विमानन
 3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
 3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएँ
 3452—पर्यटन
 3454—जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी
 4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय
 4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 64—जारी

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
6408—खाद्य, भंडारण एवं भांडागार के लिए कर्ज			
6425—सहकारिता के लिये कर्ज			
6801—बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	18,65,97,80		
पूरक	1,75,54,39	20,41,52,19	17,32,56,59 (-) 3,08,95,60
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (20— 30— 31 मार्च 2013)			2,32,68,40

17,32,56.59 लाख ₹ के कुल व्यय में जनशक्ति नियोजन विभाग द्वारा शीर्ष 2203—789—105— 0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उप योजना 2667—पोलीटेक्नीक संस्थान (2,20.50 लाख ₹) एवं किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग द्वारा आहरित 2401—789—800—1503—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना) 5626—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (1,95.71 लाख ₹) के अन्तर्गत आहरित एवं 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा की गई 4,16.21 लाख ₹ की राशि सम्मिलित है।

	कुल	वास्तविक	आधिक्य + बचत -
पूँजीगत:			
मूल	14,99,76,10		
पूरक	2,14,82,21	17,14,58,31	13,12,04,47 (-) 4,02,53,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30— 31 मार्च 2013)			3,48,31,09

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (18,34.31 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (1,52.06.77 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (5,13.31 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 1,75,54.39 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,08,95.60 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 20— 30— 31 मार्च 2013 को केवल 2,32,68.40 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

09—खेल एवं युवा कल्याण विभाग

(1) 2204-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित

योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना—
5834-पायका (पंचायत युवा क्रीडा एवं
खेल अभियान)—

मूल	3,60.00		
पुनर्वि.	(-) 2,87.82	72.18	72.18 ..

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण के रूप में 2,87.82 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

14—किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग

(2) 2401-789-105-0103-अनुसूचित जाति

उपयोजना—

6669-स्वायल हेल्थ कार्ड—

मूल 1,90.00

पुनर्वि. (-) 1,90.00

समर्पण के रूप में 1,90.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(3) 2401-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना,

अनुसूचित जाति उपयोजना—

0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना—

मूल 14,19.50

पुनर्वि. (-) 6,67.66 7,51.84 6,69.84 (-) 82.00

समर्पण के रूप में 6,67.66 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अंशतः राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये राशि अभ्यर्पित किये जाने के कारण हुई (82.00 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (5,85.66 लाख ₹) के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जाति

उपयोजना—

8768-राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना—

मूल 24,37.50

पुनर्वि. (-) 16,68.70 7,68.80 3,93.80 (-) 3,75.00

पुनर्विनियोजन के रूप में 16,68.70 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत फसल बीमा के दावों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(5) 2401-789-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय

सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)—

5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल 41,89.86

पुनर्वि. (-) 5,32.75 36,57.11 36,70.04 + 12.93

समर्पण के रूप में 5,32.75 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राज्य शासन से राज्यांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। 36,70.04 लाख ₹ का व्यय 1,95.71 लाख ₹ से इस शीर्ष को नामे तथा 31 मार्च 2013 को शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में जमा द्वारा विस्तारित थी जिसके परिणामस्वरूप उक्त सीमा तक बचत में कमी हुई जिसके तथा प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

17—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(6) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जाति

उपयोजना—

7317-ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का

उन्नयन— 10,00.00 7,86.47 (-) 2,13.53

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2210-06-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7194-मोतियाबिंद हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना	2,00.00	9.90	(-) 1,90.10
उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(8) 2210-06-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7193-परिवार कल्याण हेतु विशेष राज्य प्रोत्साहन योजना— मूल 10,80.00 पुनर्वि. (-) 10,80.00
(9) 2210-06-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7201-अनुसूचित जाति/जनजाति की प्रसुताओं को विशेष सहायता— मूल 40,25.00 पुनर्वि. (-) 40,00.25	24.75	..	(-) 24.75

उपरोक्त क्रम संख्या (8) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 10,80.00 लाख ₹ (समर्पण) (सम्पूर्ण प्रावधान) एवं 40,00.25 लाख ₹ (समर्पण 17,00.25 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 23,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (9) के शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

20&Ldwy f'k{k{kk foHkkx

(10) 2202-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6809-कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	6,77.63	5,42.10	(-) 1,35.53
(11) 2202-01-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 8810-सर्वशिक्षा अभियान	1,48,53.24	1,11,39.93	(-) 37,13.31
(12) 2202-01-789-108-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6813-साइकिलों का प्रदाय	19,15.00	9,15.00	(-) 10,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (10) से (12) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना—अनुसूचित जाति उपयोजना— 6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन— मूल 57,60.00 पुनर्वि. (-) 43,20.00	14,40.00	14,40.00	..

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(14) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6006-बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन-				
मूल	24,00.00			
पुनर्वि.	(-) 12,08.25	11,91.75	11,91.75	..
(15) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना-				
मूल	27,20.00			
पुनर्वि.	(-) 24,70.00	2,50.00	2,50.00	..
(16) 2202-02-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना- 6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिक विद्यालय-				
मूल	4,00.00			
पुनर्वि.	(-) 4,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (13) से (16) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 43,20.00 लाख ₹, 12,08.25 लाख ₹, 24,70.00 लाख ₹ एवं 4,00.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (16) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

26-सामाजिक न्याय विभाग

(17) 2235-60-789-192-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-				
8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-				
मूल	17,00.00			
पूरक	1,19.28			
पुनर्वि.	(-) 12.00	18,07.28	15,43.33	(-) 2,63.95

समर्पण के रूप में 12.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत हितग्राहियों की संख्या कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

42-जन शक्ति नियोजन विभाग

(18) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-				
6477-व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार-				
मूल	2,10.00			
पुनर्वि.	(-) 46.48	1,63.52	10.39	(-) 1,53.13
(19) 2230-03-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना-				
6475-विकास खण्डों में कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना-				
मूल	4,50.00			
पुनर्वि.	(-) 17.80	4,32.20	2,34.10	(-) 1,98.10

अनुदान संख्या 64-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 46.48 लाख ₹ एवं 17.80 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (18) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

50-efgyk ,oa cky fodkl foHkkx

(20) 2235-02-789-102-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6442-अटल बाल आरोग्य मिशन— मूल पुनर्वि.	10,78.00 (-) 8,75.47	2,02.53	2,02.51	(-) 0.02
(21) 2235-02-789-102-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6741-म.प्र. स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (विदेशी सहायता)— मूल पुनर्वि.	7,80.00 (-) 7,73.76	6.24	6.24	..

उपरोक्त क्रम संख्या (20) एवं (21) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 8,75.47 लाख ₹ एवं 7,73.76 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (20) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

53-चिकित्सा शिक्षा विभाग

(22) 2210-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6974-सागर चिकित्सा महाविद्यालय बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।	27,00.00	22,06.83	(-) 4,93.17
---	----------	----------	-------------

55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(23) 2055-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5172-अनुसूचित जाति/जनजाति के थानों की स्थापना— मूल पुनर्वि.	31,91.71 (-) 3,33.13	28,58.58	28,56.87	(-) 1.71
--	-------------------------	----------	----------	----------

समर्पण के रूप में 3,33.13 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 3,58.13 लाख ₹ (समर्पण 3,33.13 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 25.00 लाख ₹) की कमी एवं 25.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने एवं अव्ययित राशि के उपयोग के लिये वित्त विभाग से संस्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(24) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 1384-छात्रवृत्ति फार्मों की छपाई— मूल पुनर्वि.	2,00.00 (-) 1,24.87	75.13	66.54	(-) 8.59
---	------------------------	-------	-------	----------

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>समर्पण के रूप में 1,24.87 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(25) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति			
उपयोजना—			
2526-परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र—			
मूल	4,83.71		
पूरक	2.70		
पुनर्वि.	(-) 2,23.21	2,63.20	2,54.42 (-) 8.78
<p>समर्पण के रूप में 2,23.21 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,24.85 लाख ₹ (समर्पण 2,23.21 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 1.64 लाख ₹) की कमी एवं 1.64 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अव्ययित राशि के उपयोग के लिये वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।</p>			
(26) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति			
उपयोजना—			
4717-अनुसूचित जाति छात्रावास—			
मूल	52,66.85		
पूरक	25.57		
पुनर्वि.	(-) 6,12.41	46,80.01	46,92.45 + 12.44
<p>समर्पण के रूप में 6,12.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(27) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति			
उपयोजना—			
7562-उत्कृष्ट शिक्षा केन्द्रों की स्थापना—			
मूल	14,00.00		
पुनर्वि.	(-) 4,57.06	9,42.94	9,42.94 ..
(28) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति			
उपयोजना—			
8807-छात्रावासों एवं आश्रमों के भवनों का उन्नयन—			
मूल	25,00.00		
पुनर्वि.	(-) 40.51	24,59.49	19,62.36 (-) 4,97.13
(29) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति			
उपयोजना—			
8829-अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र-छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय—			
मूल	14,15.50		
पूरक	2.69		
पुनर्वि.	(-) 2,40.24	11,77.95	9,79.50 (-) 1,98.45

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

उपरोक्त क्रम संख्या (27) से (29) के शीर्षान्तर्गत 4,57.06 लाख ₹ (समर्पण 1,57.06 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 3,00.00 लाख ₹), 40.51 लाख ₹ (समर्पण) एवं 2,40.24 लाख ₹ (समर्पण) की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं क्रम संख्या (27) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(30) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति

उपयोजना—

6102-अनुसूचित जाति सेवा पुरस्कार,
पारितोषिक एवं सम्मान—

मूल	2,99.00			
पुनर्वि.	(-) 1,80.61	1,18.39	1,17.39	(-) 1.00

समर्पण के रूप में 1,80.61 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पुरस्कारों की घोषणा नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(31) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति

उपयोजना—

7851-युवाओं के लिये रोजगारोन्मुखी
व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना—

मूल	40.00			
पूरक	6,50.00			
पुनर्वि.	(-) 3,00.00	3,90.00	3,90.00	..

3,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,50.00 लाख ₹ (समर्पण) की कमी एवं 3,50.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई जबकि वृद्धि कौशल उन्नयन के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(32) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति

उपयोजना—

8011-सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र
—छात्राओं को प्रोत्साहन—

मूल	2,00.00			
पुनर्वि.	(-) 1,82.95	17.05	8.45	(-) 8.60

समर्पण के रूप में 1,82.95 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(33) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित

योजना सामान्य (अनुसूचित जाति
उपयोजना)—

5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना—

मूल	24,42.56			
पूरक	11.00			
पुनर्वि.	(-) 9,17.53	15,36.03	15,52.68	+ 16.65

समर्पण के रूप में 9,17.53 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत न्यायाधीशों एवं उनके अमले के पदरिक्त रहने एवं अव्ययित राशि के उपयोग हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(34) 2225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5191-अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता/पुर्नवास सहायता — मूल 11,00.00 पुनर्वि. (-) 3,12.39	7,87.61	7,60.06	(-) 27.55

समर्पण के रूप में 3,12.39 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(35) 2801-06-793-800-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिये भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित योजनायें— 5084-अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास— मूल 30,84.00 पुनर्वि. (-) 5,84.00	25,00.00	25,00.80	+ 0.80
--	----------	----------	--------

पुनर्विनियोजन के रूप में 5,84.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

59-औद्योगिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग

(36) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5116-राष्ट्रीय उद्योगिकी मिशन	2,40.00	66.80	(-) 1,73.20
(37) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7910-माईक्रो इरीगेशन की केन्द्र प्रवर्तित योजना	10,95.19	8,65.31	(-) 2,29.88

उपरोक्त क्रम संख्या (36) तथा (37) के अन्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

62-विमुक्त, धुमकड़ एवं अर्धधुमकड़ जाति कल्याण विभाग

(38) 2225-01-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7168-विमुक्त जाति आवास योजना	4,00.00	2,65.50	(-) 1,34.50
--	---------	---------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 64—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
14-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग			
(1) 2401-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5647-कृषकों को सिंचाई उपकरणों के लिए विशेष सहायता टाप-अप अनुदान— मूल 4,15.80 पुनर्वि. (-) 30.21	3,85.59	6,85.59	+ 3,00.00

(2) 2401-789-102-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6670-राज्य माइक्रों सिंचाई मिशन— मूल 11.25 पुनर्वि. (-) 5.07	6.18	81.18	+ 75.00
--	------	-------	---------

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 30.21 लाख ₹ एवं 5.07 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत राशि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2401-789-113-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना— पूरक 1,75.60 पुनर्वि. (-) 0.58	1,75.02	2,55.83	+ 80.81
---	---------	---------	---------

समर्पण के रूप में 0.58 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

(4) 2210-01-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन— मूल 17,20.00 पूरक 35,20.00 पुनर्वि. 23,00.00	75,40.00	75,40.00	..
---	----------	----------	----

23,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन योजनान्तर्गत अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण हुआ।

20-Ldwy f'k{kk foHkxk

(5) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6484-आर.टी.ई. के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	12,85.70	27,85.70	+ 15,00.00
---	----------	----------	------------

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

50-महिला एवं बाल विकास विभाग

(6) 2210-80-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5094-मंगल दिवस—				
मूल	3,20.53			
पुनर्वि.	(-) 19.15	3,01.38	3,89.86	+ 88.48

समर्पण के रूप में 19.15 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

(7) 2225-01-793-277-0603-अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए भारत सरकार से अलावा राशियों से पोषित योजनाएं — 0538-शिक्षित युवकों को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अद्योसंरचना निर्माण हेतु अनुदान—				
मूल	10.00			
पूरक	4,04.00			
पुनर्वि.	3,84.00	7,98.00	7,98.00	..

3,84.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 5,84.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 2.00 लाख ₹ (समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि कौशल उन्नयन के कारण हुई जबकि कमी शासन से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

पूँजीगत:—

(v) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 (2,14,56.22 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (25.99 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,14,82.21 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 4,02,53.84 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30— 31 मार्च 2013 को केवल 3,48,31.09 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई:—

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

13-ऊर्जा विभाग

(1) 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6323-2 गुना 600 मेगावाट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना—				
मूल	7,02.00			
पुनर्वि.	(-) 7,02.00

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6480-2 गुना 800 मेगावाट के बाण सागर ताप विद्युत गृह— मूल 8,00.00 पुनर्वि. (-) 8,00.00
उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत 7,02.00 लाख ₹ एवं 8,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(3) 4801-05-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5523-कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था— मूल 1,42,39.00 पुनर्वि. (-) 1,42,39.00
समर्पण के रूप में 1,42,39.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत देयकों की परीक्षा एवं सत्यापन में देरी होने के कारण राशि का समायोजन नहीं होने के कारण हुई।			
(4) 4801-05-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6929-पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण— मूल 29,14.00 पुनर्वि. (-) 29,14.00
29,14.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत ऋण के स्थान पर अंशपूजी में प्रावधान किये जाने के कारण हुई।			
(5) 4801-05-789-190-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7900-उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण— मूल 93,59.00 पुनर्वि. (-) 93,59.00
समर्पण के रूप में 93,59.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत देयकों की जांच एवं सत्यापन में देरी होने के कारण राशि का समायोजन नहीं होने के कारण हुई।			
17-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग			
(6) 4210-01-789-110-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7648-अस्पताल एवं औषधालयों के भवन निर्माण— मूल 6,00.00 पुनर्वि. (-) 4,47.26	1,52.74	2,32.16	+ 79.42

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 4210-01-789-110-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6453-स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढीकरण (13वां वित्त आयोग)			
मूल	37,60.00		
पुनर्वि.	(-) 22,00.00	15,60.00	10,28.11
			(-) 5,31.89
(8) 4210-04-789-112-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7202-नर्सिंग महाविद्यालय की स्थापना—			
मूल	9,90.00		
पुनर्वि.	(-) 9,90.00

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (8) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः समर्पण के रूप में 4,47.26 लाख ₹, 22,00.00 लाख ₹ एवं 9,90.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान) की प्रत्याशित बचत व्यपगत राशि समर्पित किये जाने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (8) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य/अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (6) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 तथा क्रम संख्या (7) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(9) 4210-04-789-112-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 7203-पैरामेडिकल महाविद्यालय की स्थापना—			
मूल	5,90.00		
पुनर्वि.	(-) 5,90.00

5,90.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत अंशतः अव्ययित राशि समर्पण किये जाने के कारण हुई (2,40.00 लाख ₹)। शेष कमी (3,50.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

19-लोक निर्माण कार्य विभाग

(10) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 6651-रेल्वे ओवर ब्रिज का निर्माण			
	5,00.00	3,43.00	(-) 1,57.00
(11) 5054-03-789-337-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5139-मुख्य जिला मार्गों का उन्नयन—			
मूल	11,30.00		
पूरक	सांकेतिक	11,30.00	2,49.72
			(-) 8,80.28

उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(12) 5054-03-789-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5003-म.प्र. सड़क विकास कार्यक्रम—			
मूल	98,00.00		
पुनर्वि.	(-) 49,00.00	49,00.00	49,00.00
			..

समर्पण के रूप में 49,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पुनरीक्षित बजट अनुमानों के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(13) 5054-04-789-800-1403-नाबार्ड (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5226- ग्रामीण सड़कों का निर्माण (नाबार्ड)— मूल 1,10,00.00 पूरक सांकेतिक 1,10,00.00		48,11.22	(-) 61,88.78

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(14) 4700-41-789-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2872- बरगी नहर प्रत्यावर्तन योजना— मूल 26,03.92 पुनर्वि. (-) 4,17.74	21,86.18	21,85.49	(-) 0.69
---	----------	----------	----------

पुनर्विनियोजन के रूप में 4,17.74 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

31-जल संसाधन विभाग

(15) 4701-43-789-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2897-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 40,00.00 पुनर्वि. (-) 10,10.00	29,90.00	29,38.71	(-) 51.29
(16) 4702-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 3828-लघु सिंचाई योजना— मूल 9,23.02 पुनर्वि. (-) 65.00	8,58.02	4,56.85	(-) 4,01.17

उपरोक्त क्रम संख्या (15) एवं (16) के शीर्षान्तर्गत पुनर्विनियोजन के रूप में 10,10.00 लाख ₹ एवं 65.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत एजेन्सियों द्वारा कार्य धीमी प्रगति से करने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

34-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

(17) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 2580-पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 64,47.32 पुनर्वि. (-) 15,00.00	49,47.32	47,89.40	(-) 1,57.92
---	----------	----------	-------------

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
पुनर्विनियोजन के रूप में 15,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों की निविदा दरें प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(18) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (अनुसूचित जाति उप योजना)– 5350-होस्टल/आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य– मूल 6,28.20 पुनर्वि. (-) 1,10.88	5,17.32	4,27.19	(-) 90.13
(19) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य– 7233-इयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम– पूरक 6,26.00 पुनर्वि. (-) 3,13.00	3,13.00	3,00.00	(-) 13.00
उपरोक्त क्रम संख्या (18) एवं (19) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 1,10.88 लाख ₹ एवं 3,13.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारणों के साथ ही इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(20) 4215-01-789-800-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना– 6032-भू-जल संवर्धन कार्यक्रम– पूरक 10,71.22	10,71.22	8,45.22	(-) 2,26.00
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

42-जन शक्ति नियोजन विभाग

(21) 4202-02-789-104-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना– 4945-तकनीकी शिक्षा के भवन निर्माण– मूल 1,20.00 पुनर्वि. (-) 99.46	20.54	20.54	..
समर्पण के रूप में 99.46 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्माण कार्य की प्रगति की आवश्यकता से अधिक बजट प्रावधान उपलब्ध होने एवं शासन से सक्षम स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।			

50-efgyk ,oa cky fodkl foHkkx

(22) 4235-02-789-102-1303-केन्द्रीय वित्त आयोग (अनुसूचित जाति उपयोजना)– 5360-आंगन बाडी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण– मूल 16,00.00 पुनर्वि. (-) 16,00.00
समर्पण के रूप में 16,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
55-अनुसूचित जाति कल्याण विभाग			
(23) 4225-01-789-277-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 8829-अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभावान छात्र—छात्राओं के लिये आवासीय विद्यालय— मूल 10,55.50 पुनर्वि. (-) 2,41.66	8,13.84	8,13.84	..
समर्पण के रूप में 2,41.66 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत अव्ययित राशि के उपयोग हेतु वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(24) 4225-01-789-800-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना अनुसूचित जाति उपयोजना— 1400-आश्रम तथा छात्रावास भवन— मूल 3,56.00 पुनर्वि. (-) 3,56.00
(25) 4225-01-789-800-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना, अनुसूचित जाति उपयोजना— 5635-बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना— मूल 3,56.00 पुनर्वि. (-) 3,56.00

समर्पण के रूप में 3,56.00 लाख ₹ प्रत्येक के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

13-ऊर्जा विभाग

(1) 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 9250-सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु धनवेष्टन— मूल 15,52.00 पूरक 15,52.00 पुनर्वि. 8,00.00	39,04.00	39,04.00	..
--	----------	----------	----

8,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 4801-05-789-190-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 9252-मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु धनवेष्टन— मूल 66,62.00 पूरक 40,00.00 पुनर्वि. 7,02.00	1,13,64.00	1,13,64.00	..

7,02.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 6801-789-205-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6929-पारेषण प्रणाली का सृष्टीकरण— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 29,14.00	29,14.00	29,14.00	..
---	----------	----------	----

29,14.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

19-लोक निर्माण कार्य विभाग

(4) 5054-04-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित)	47,77.53	66,58.64	+ 18,81.11
(5) 5054-80-789-800-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना— 5701-बी.ओ.टी. मार्गों का विकास व पर्यवेक्षण—	1,83.00	42,86.20	+ 41,03.20

उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

27-नर्मदा घाटी विकास विभाग

(6) 4700-45-789-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 9091- ओंकारेश्वर परियोजना— मूल 13,47.57 पुनर्वि. 4,83.77	18,31.34	18,31.30	(-) 0.04
---	----------	----------	----------

4,83.77 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 4,83.78 लाख ₹ की वृद्धि एवं 0.01 लाख (समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि प्रथम चरण से पाचवें चरण में कार्य की प्रगति होने एवं नर्मदा क्षिप्रा लिंक कार्य के लिये राशि की आवश्यकता होने के कारण हुई। कमी के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
31-जल संसाधन विभाग			
(7) 4701-80-789-800-1503-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 3368-मध्यम सिंचाई निर्माण कार्य	44,00.00	48,71.89	+ 4,71.89
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			

34-लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग

(8) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 4379-समस्यामूलक ग्रामों में पेय जल प्रदाय योजना-				
मूल	50,75.36			
पुनर्वि.	15,00.00	65,75.36	64,26.04	(-) 1,49.32
15,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन लंबित देयकों का भुगतान किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				

42-जन शक्ति नियोजन विभाग

(9) 4202-02-789-104-0103-अनुसूचित जाति उपयोजना- 9238-डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर पोलीटेक्निक संस्थाएं-				
मूल	80.00			
पुनर्वि.	80.00	1,60.00	1,60.00	..
80.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन महिला पोलीटेक्निक, सिहोर के मुख्य भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के कारण हुआ।				

अनुदान संख्या 65—विमानन
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
3053—नागर विमानन			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	18,51,24		
पूरक	3,75,50	22,26,74	15,80,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			(-)6,46,33 6,42,49
पूंजीगत	1,01	..	(-) 1,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)			1,01

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 3,75.50 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 6,46.33 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 मार्च 2013 को केवल 6,42.49 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2052-091-4043-विमानन संचालनालय—			
मूल	18,19.22		
पूरक	3,75.50		
पुनर्वि.	(-) 6,12.42	15,82.30	15,78.76
			(-) 3.84

समर्पण के रूप में 6,12.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 6,31.42 लाख ₹ की कमी (समर्पण 6,12.42 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 19.00 लाख ₹) एवं 19.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि लंबित देयकों का भुगतान होने, जमीन पर उतरने, पार्किंग, आर.एन.एफ.सी. एवं वाच एक्सटेंशन की दरों में वृद्धि होने एवं एक महीने के संभावित व्यय के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 3053-80-003-0101-राज्य आयोजना
(सामान्य)—

5348-एयर होस्टेस एवं फ्लाईट
स्टीवर्ड का प्रशिक्षण—

मूल	30.00			
पुनर्वि.	(-) 28.05	1.95	1.95	..

समर्पण के रूप में 28.05 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-----------------------------	----------------------------------	-------------------

मुख्य शीर्ष—

2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

6225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	4,89,45,86			
पूरक	80,07,02	5,69,52,88	5,61,07,82	(-)8,45,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				7,80,08

प्रभारित

30

..

(-)30

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि
(30 मार्च 2013)

30

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	15,25,00			
पूरक	12,00,00	27,25,00	21,25,00	(-)6,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				6,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 8,45.06 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 4,07.02 लाख ₹ एवं 1,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 75,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था।

(ii) 8,45.06 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 7,80.08 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 8,45.06 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उपशीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय बचत परिलक्षित हुई है:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

[अ] बचत:

(1) 2225-03-001-1474-जिला तथा
परियोजना प्रशासन—

मूल	4,53.58			
पूरक	4,00.00			
पुनर्वि.	(-)1,64.55	6,89.03	6,89.01	(-)0.02

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

समर्पण के रूप में 1,64.55 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने एवं वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित दस प्रतिशत आर्थिक कटौती के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2225-03-001-2294-निर्देशन—

मूल	2,61.67		
पूरक	3.05		
पुनर्वि.	(-) 85.40	1,79.32	1,78.26
			(-)1.06

समर्पण के रूप में 85.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत वास्तविक व्यय अनुमान से कम होने, वित्त विभाग द्वारा अधिरोपित दस प्रतिशत आर्थिक कटौती एवं डिक्री राशि का भुगतान न होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(3) 2225-03-277-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)—

6175-राज्य छात्रवृत्तियां—

मूल	96,57.53		
पुनर्वि.	(-) 7,63.97	88,93.56	88,35.37
			(-)58.19

7,63.97 लाख ₹ (समर्पण 24.80 लाख ₹ एवं पुनर्विनियोजन 7,39.17 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः जिलों से मांग प्राप्त न होने एवं वास्तविक व्यय अनुमान से कम होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 2225-03-277-0101- राज्य आयोजना

(सामान्य)—

6890-जिला स्तरीय कन्या छात्रावास
की स्थापना—

मूल	4,80.01		
पुनर्वि.	(-)2,52.36	2,27.65	2,26.69
			(-)0.95

समर्पण के रूप में 2,52.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने, फर्नीचर, पुस्तकें एवं पत्रिकाये क्रय न करने एवं जिलों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2225-03-800-0101-राज्य आयोजना

(सामान्य)—

7065-संघ एवं राज्य लोक सेवा
आयोग से परीक्षा—

मूल	80.00		
पुनर्वि.	(-)69.45	10.55	10.05
			(-)0.50

69.45 लाख की प्रत्याशित बचत (समर्पण 59.45 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 10.00 लाख ₹) संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के परिणाम विलंब से होने से एवं मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 66—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2225-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2676-पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां-			
मूल	3,05.85.20		
पूरक	75,00.00		
पुनर्वि.	7,49.17	3,88,34.37	3,88,34.37 ..

7,49.17 लाख ₹ के पुनर्विनियोजन द्वारा निधियों का आवर्धन वर्ष 2011-12 के लंबित दायित्व का भुगतान एवं विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होने के कारण हुआ।

पूजीगत:

दत्तमत-

(v) 6,00.00 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 3,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था, जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 9,00.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4225-03-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य-			
5512-जिला स्तरीय बालक छात्रावासों का भवन निर्माण-			
मूल	12,00.00		
पूरक	3,00.00		
पुनर्वि.	(-) 6,00.00	9,00.00	9,00.00 ..

समर्पण के रूप में 6,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67-लोक निर्माण कार्य-भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2059-लोक निर्माण कार्य			
2216-आवास			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4853-अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	4,08,54,29		
पूरक	20,10,00	4,28,64,29	3,44,20,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-) 84,43,76 निरंक
<i>प्रभारित</i>		2,00,00	52,00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-) 1,48,00 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)	1,38,84,65	93,05,87	(-) 45,78,78 35,50,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 20,10.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक था।

(ii) 84,43.76 लाख ₹ की अंतिम बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-053-1481-जिला प्रशासन	6,00.00	4,20.49	(-) 179.51
(2) 2059-01-053-1576-साधारण मरम्मत	74,32.00	62,69.69	(-) 11,62.31
(3) 2059-01-053-1864-तकनीकी भवनों का रखरखाव	1,00.00	26.31	(-) 73.69
(4) 2059-01-053-3383-विशेष मरम्मत भवन	12,00.00	10,16.07	(-) 1,83.93

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2059-01-053-3643-राज भवन

कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य + बचत -
50.00	..	(-) 50.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(6) 2059-01-053-3645-शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवनों के रख-रखाव	6,00.00	4,31.01	(-) 1,68.99
(7) 2059-01-053-4177-शहरी (क्षेत्रों) औषधालयों के भवनों का रख-रखाव	4,00.00	21.00	(-) 3,79.00
(8) 2059-01-053-5009-शासकीय महाविद्यालय भवनों का रखरखाव	3,70.00	3,07.21	(-) 62.79
(9) 2059-01-053-5459-अधीनस्थ न्यायालयों के अनुरक्षण कार्य हेतु	3,00.00	1,72.07	(-) 1,27.93
(10) 2059-01-053-6996-शासकीय शिक्षण महाविद्यालयों का रखरखाव	75.00	6.96	(-) 68.04
(11) 2059-01-053-6997-डाइट भवनों का रखरखाव	60.00	15.28	(-) 44.72
(12) 2059-80-001-2418-निष्पादन	1,69,11.06	1,25,51.22	(-) 43,59.84
(13) 2216-05-053-0183-अन्य अनुरक्षण कार्य	10,00.00	8,11.25	(-) 1,88.75
(14) 2216-05-053-4489-सामान्य मरम्मतें			
मूल	51,09.00		
पूरक	20,00.00	71,09.00	54,81.07
			(-) 16,27.93

उपरोक्त क्रम संख्या (6) से (14) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (6), (9) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान एवं क्रम संख्या (7) एवं (12) के शीर्षान्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2059-01-053-0183-अन्य अनुरक्षण कार्य	12,00.00	12,25.26	+ 25.26
(2) 2059-01-053-1533-जेल प्रशासन	13.00	46.58	+ 33.58
(3) 2059-01-053-2956-बिक्री कर	25.00	54.17	+ 29.17
(4) 2059-80-799-4056-विविध-लोक निर्माण पेशगियां	50.00	6,42.10	+ 5,92.10
(5) 2216-05-053-4090-विशेष मरम्मतें	10,00.00	10,45.77	+ 45.77
(6) 2216-05-053-5469-शासकीय महाविद्यालय छात्रावासों का रखरखाव	50.00	62.41	+ 12.41

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (6) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 67—जारी

(v) उचंत लेन—देन:—

इस अनुदान के व्यय में शीर्ष 2059—लोक निर्माण कार्य—'उचंत' के अन्तर्गत दर्शाये गए 6,61.31 लाख ₹ की राशि सम्मिलित हैं। 'उचंत' के अंतर्गत लेन—देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या—20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) की टीप (v) में की गई हैं।

वर्ष 2012—13 के दौरान इस अनुदान में लेखांकित 'उचंत' लेन—देनों का विश्लेषण विभिन्न 'उचंत' उपशीर्षों के अंतर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है:—

विवरण	1 अप्रैल 2012 को प्रारम्भिक शेष नामे+ जमा(-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2013 को अंत शेष नामे+ जमा(-)
(लाख ₹ में)				
2059—लोक निर्माण कार्य				
(i) क्रय	(-) 62,89.91	(-) 62,89.91
(ii) भण्डार	+ 24,34.36	19.21	..	+ 24,53.57
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 1,28,15.31	6,42.10	..	+ 1,34,57.41
योग	+ 89,59.76	6,61.31	..	+ 96,21.07

प्रभारित—

(vi) 1,48.00 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2059-80-800-1833-डिक्री धन का भुगतान (भारित)	2,00.00	52.00	(-) 1,48.00

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) 45,78.78 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 35,50.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(x) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
2450-न्याय प्रशासन—			
मूल	65.00.00		
पुनर्वि.	(-) 10,00.00	55,00.00	51,15.19
			(-) 3,84.81

समर्पण के रूप में 10,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत संशोधित बचत अनुमान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6739-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	79.16	13.34	(-) 65.82
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7094-जेल सुधारों की योजना अंतर्गत निर्माण कार्य— मूल 14,66.50 पुनर्वि. (-) 8,00.00	6,66.50	6,01.74	(-) 64.76
समर्पण के रूप में 8,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत संशोधित बजट अनुमान के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अंतर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7212-राजभवन में आडिटोरियम का निर्माण	50.00	..	(-) 50.00
(5) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7213-मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी का निर्माण	1,50.00	..	(-) 1,50.00
उपरोक्त क्रम संख्या (4) एवं (5) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(6) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8042-विश्राम भवन/गृह का निर्माण/ पुर्ननिर्माण/पुर्नस्थापना	5,00.00	2,02.14	(-) 2,97.86
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(7) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 4220-शिक्षा—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 6,00.00 पुनर्वि. (-) 2,50.00	3,50.00	3,20.11	(-) 29.89
(8) 4216-01-106-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6222-न्याय प्रशासन (स्टाफ के आवास गृहों का निर्माण)— मूल 25,00.00 पुनर्वि. (-) 12,00.00	13,00.00	11,18.36	(-) 1,81.64

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(9) 4853-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9276-खनिज अन्वेषण एवं विकास हेतु भवन निर्माण— मूल 7,00.00 पुनर्वि. (-) 3,00.00	4,00.00	3,70.87	(-) 29.13

उपरोक्त क्रम संख्या (7) से (9) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 2,50.00 लाख ₹, 12,00.00 लाख ₹ एवं 3,00.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत संशोधित बजट अनुमान के कारण हुई। इस शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (7) एवं (9) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 के दौरान एवं क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(x) उपरोक्त टिप्पणी (ix) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1481-जिला प्रशासन	2,00.00	2,58.12	+ 58.12
(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5876-वाणिज्यिक कर विभाग के लिये जाँच चौकियों का भवन निर्माण	50.00	1,01.28	+ 51.28
(3) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8041-लोक निर्माण विभाग के संभागीय /उपसंभागीय कार्यालय भवन का निर्माण	4,00.00	5,72.96	+ 1,72.96
(4) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8069-वाणिज्यिक कर	5,00.00	5,15.94	+ 15.94

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (4) के शीर्षान्तर्गत आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

**अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उप योजना के अंतर्गत नगरीय
निकायों को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष— 2217—नगरीय विकास			
राजस्व	32,15,32	26,98,99	(-) 5,16,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			5,16,33

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
18—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग			
(1) 2217-05-796-191-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6981-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन— मूल 9,70.00 पुनर्वि. (-) 2,94.91	6,75.09	6,75.09	..
(2) 2217-05-796-192-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6982—एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल 1,07.19 पुनर्वि. (-) 85.19	22.00	22.00	..

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 2,94.91 लाख ₹ एवं 85.19 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2217-05-796-193-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स— मूल 1,97.36 पुनर्वि. (-) 1,97.36
--	----	----	----

1,97.36 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(4) 2217-05-796-193-0102-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6982—एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल 1,07.81 पुनर्वि. (-) 1,07.81
--	----	----	----

अनुदान संख्या 68—समाप्त

समर्पण के रूप में 1,07.81 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2217-05-796-192-0102- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना— 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स— मूल	1,96.32		
पुनर्वि.	1,97.36	3,93.68	3,93.68 ..

1,97.36 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि शिवपुरी नगर पालिका में स्वीकृत जल आपूर्ति योजना पूर्ण होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 69—सूचना प्रौद्योगिकी
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान				
5425—अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय				
राजस्व:				
मूल	21,20,67			
पूरक	21,03,17	42,23,84	37,89,66	(-)4,34,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक
पूंजीगत:				
मूल	2,50,01			
पूरक	20,00,00	22,50,01	22,50,00	(-) 1
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 4,34.18 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 21,03.17 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,34.18 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
3425-60-600-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—			
6873-राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स प्लान	4,34.17	..	(-)4,34.17

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

**अनुदान संख्या 70—तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित
विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)**

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
राजस्व	13,36,04	39,87	(-)12,96,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (26 मार्च 2013)			12,96,08

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2203-001-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 5423-विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम – स्टेट प्रोग्राम— मूल	88.03		
पुनर्वि.	(-) 48.07	39.96	39.87
			(-) 0.09

समर्पण के रूप में 48.07 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत सामग्री प्राप्त न होने से हुई। इस शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2203-112-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7870-विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम—इंजीनियरिंग महाविद्यालय को अनुदान— मूल	12,48.00		
पुनर्वि.	(-)12,48.00

समर्पण के रूप में 12,48.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

अनुदान संख्या 71-जैव विविधता (बायो-डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष:-			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
राजस्व	4,75,00	3,53,65	(-), 1,21,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (28 मार्च 2013)			1,21,35

टीका एवं टिप्पणियां
राजस्व:

प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6426-जैव विज्ञान संस्थान की स्थापना-			
मूल	25.00		
पुनर्वि.	(-)25.00
(2) 3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6427-जैव प्रौद्योगिकी इकाईयों की स्थापना एवं विकास हेतु सहायता-			
मूल	75.00		
पुनर्वि.	(-)56.25	18.75	18.75
(3) 3425-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7672-जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित परियोजनाओं का पोषण-			
मूल	75.00		
पुनर्वि.	(-)40.10	34.90	34.90

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 25.00 लाख ₹ (सम्पूर्ण प्रावधान), 56.25 लाख ₹ एवं 40.10 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 72—भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	65,04,96			
पूरक	4,51,00	69,55,96	65,81,75	(-) 3,74,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				3,67,00

पूंजीगत:

मूल	9,95,00			
पूरक	64,05	10,59,05	9,08,92	(-) 1,50,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)				1,23,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 3,74.21 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 1,01.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था जबकि दिसम्बर 2012 एवं मार्च 2013 में प्राप्त किया क्रमशः 3,40.00 लाख ₹ एवं 10.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,74.21 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2013 को केवल 3,67.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-800-5740-गैस पीड़ितों को स्वरोजगार प्रशिक्षण—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-) 1,00.00

1,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत (समर्पण 10.00 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 90.00 लाख ₹) भारत सरकार से अन्य मद में प्राप्त राशि का उपयोग इस योजना में किये जाने एवं वित्त विभाग द्वारा राशि रोके जाने के कारण हुई।

(2) 2210-01-001-0775-कमला नेहरू

अस्पताल—				
मूल	11,43.69			
पुनर्वि.	(-) 1,03.81	10,39.88	10,40.93	+ 1.05

अनुदान संख्या 72—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

1,03.81 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,25.31 लाख ₹ की कमी (समर्पण 41.81 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 83.50 लाख ₹) एवं 21.50 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दूसरी संस्थाओं में स्थानान्तरण के कारण हुई (83.50 लाख ₹)। वृद्धि छठे वेतन आयोग के मकान किराया भत्ता के अंतर की राशि के भुगतान एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लंबित देयकों के भुगतान के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (41.81 लाख ₹) के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2210-01-001-6016-जवाहर लाल नेहरू

चिकित्सालय—

मूल	10,58.22			
पूरक	7.00			
पुनर्वि.	(-) 86.18	9,79.04	9,72.77	(-) 6.27

86.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 98.90 लाख ₹ की कमी (समर्पण 68.18 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 30.72 लाख ₹) एवं 12.72 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः रिक्त पदों की पूर्ति न होने के कारण हुई (38.62 लाख ₹) जबकि वृद्धि मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (60.28 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(4) 2210-01-001-8873-इंदिरा गांधी अस्पताल—

मूल	11,51.93			
पूरक	3.00			
पुनर्वि.	(-) 1,07.41	10,47.52	10,51.74	+ 4.22

1,07.41 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 1,35.41 लाख ₹ की कमी (समर्पण 1,07.41 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 28.00 लाख ₹) एवं 28.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः चिकित्सा अधिकारियों की सेवानिवृत्ति एवं स्थानान्तरण एवं मोबाईल फोन की सुविधा प्रदान न किये जाने के कारण हुई (74.17 लाख ₹)। वृद्धि मकान किराया भत्ता की दरों में वृद्धि के कारण होना सूचित की गई। शेष कमी (61.24 लाख ₹) के साथ ही अंतिम आधिक्य के विशिष्ट कारण/कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2210-01-001-7007-पल्मोनरी इकाई—

मूल	4,36.71			
पुनर्वि.	46.87	4,83.58	4,81.79	(-) 1.79

46.87 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 55.43 लाख ₹ की वृद्धि एवं 8.56 लाख ₹ (समर्पण) की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि अधिकारियों/कर्मचारियों की नई नियुक्ति एवं दूसरी संस्थाओं से अधिकारियों/अमले के स्थानान्तरण के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(2) 2235-02-001-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी

कार्य—

मूल	2,06.51			
पुनर्वि.	89.25	2,95.76	2,95.75	(-) 0.01

अनुदान संख्या 72—समाप्त

89.25 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 94.50 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5.25 लाख ₹ की कमी (समर्पण 0.75 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4.50 लाख ₹) का निवल प्रभाव था। वृद्धि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सभी छः गैस त्रासदी राहत चिकित्सालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। कमी अंशतः प्रशिक्षण के प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई (4.50 लाख ₹)। शेष कमी (0.75 लाख ₹) के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

पूँजीगत—

(v) चूँकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (50.00 लाख ₹) एवं दिसम्बर 2012 (14.05 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 64.05 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) 1,50.13 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 1,23.02 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4210-01-110-0775-कमला नेहरू अस्पताल—			
मूल	3,35.00		
पुनर्वि.	(-) 30.90	3,04.10	(-) 2.79

30.90 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (समर्पण 25.76 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 5.41 लाख ₹) मुख्यतः लिफ्ट का प्रतिस्थापन न होने के कारण हुई (24.34 लाख ₹) शेष प्रत्याशित बचत (6.56 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 4235-01-201-4889-गैस पीड़ित क्षेत्रों में जल

प्रदाय योजना—

मूल	3,50.00		
पुनर्वि.	(-) 1,50.00	2,00.00	2,00.00

1,50.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत (पुनर्विनियोजन) इस योजना के अंतर्गत गैस प्रभावित क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं होने के कारण हुई।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4235-01-201-6281-गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य—			
मूल	2,50.00		
पूरक	50.00		
पुनर्वि.	60.01	3,60.01	3,60.01

60.01 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 1,50.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 89.99 लाख ₹ की कमी (समर्पण) का निवल प्रभाव था। वृद्धि मुख्यमंत्री की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में गैस प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न निर्माण एवं संधारण कार्य हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण होना सूचित की गई। कमी के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 73—चिकित्सा शिक्षा
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	2,91,85,90			
पूरक	99,11,25	3,90,97,15	3,60,14,29	(-)30,82,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

पूंजीगत:

मूल	28,85,01			
पूरक	2,25,00	31,10,01	29,40,20	(-) 1,69,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 30,82.86 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 8,92.05 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 66,46.20 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक था तथा मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 23,73.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 30,82.86 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2210-01-110-0961-केन्सर अस्पताल ग्वालियर को अनुदान—			
मूल	65.00		
पूरक	1,20.00	1,85.00	65.00
(2) 2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय—			
पूरक	40,12.30	40,12.30	34,62.70
(3) 2210-01-110-4968-चिकित्सा महाविद्यालय—			
पूरक	10,00.00	10,00.00	3,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 73—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2210-01-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय— मूल 1,26,53.77 पूरक 25,00.00 पुनर्वि. (-)48.40	1,51,05.37	1,43,36.51	(-7,68.86)

48.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 7,38.10 लाख ₹ कमी तथा 6,89.70 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी अंशतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर व्यय न होने के कारण प्रावधान व्यपगत होना सूचित की गई (₹ 1,75.00 लाख)। 5,63.10 लाख ₹ की शेष कमी तथा वृद्धि विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2210-05-105-1915-दन्त महाविद्यालय— मूल 5,64.86 पुनर्वि. (-)50.18	5,14.68	4,76.58	(-38.10)
--	---------	---------	----------

50.18 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 59.70 लाख ₹ की कमी एवं 9.52 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी एवं वृद्धि के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2210-01-110-3506-मानसिक आरोग्यशाला, ग्वालियर— मूल 4,30.00 पुनर्वि. 70.00	5,00.00	5,00.00	..

70.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों के आवर्धन के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

पूँजीगत:

(v) 1,69.81 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 2,25.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(vi) 1,69.81 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

अनुदान संख्या 73—समाप्त

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 4210-03-105-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6457-महाराजा तुकोजीराव अस्पताल, इन्दौर का उन्नयन (13वां वित्त आयोग)—	5,50.00	3,50.00	(-)2,00.00
(2) 4210-03-105-1301-केन्द्रीय वित्त आयोग (सामान्य)— 6458-चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में बायरोलॉजी लैब की स्थापना (13वां वित्त आयोग)	6,00.00	4,50.00	(-)1,50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
4210-03-105-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6460-चिकित्सा महाविद्यालय में पी.जी. पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	7,00.00	8,82.40	+1,82.40

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 74—त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2030- स्टाम्प पंजीकरण			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलपूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2401—फसल कृषि कर्म			
2403—पशु पालन			
2405—मछली पालन			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्रामीण रोजगार			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व:

मूल	53,95,69,97			
पूरक	4,76,67,75	58,72,37,72	55,88,10,73	(-) 2,84,26,99
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30- 31 मार्च 2013)				2,32,54,89

पूंजीगत:

मूल	50,00			
पूरक	12,27,51	12,77,51	12,77,51	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) 2,84,26.99 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 30,45.83 लाख ₹ एवं 60,61.39 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 3,85,60.53 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,84,26.99 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 30 एवं 31 मार्च 2013 को केवल 2,32,54.89 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) यद्यपि 2,84,26.99 लाख ₹ की समग्र बचत कुल प्रावधान के पांच प्रतिशत से कम थी, निम्न उप शीर्षों के अन्तर्गत उल्लेखनीय अन्तर परिलक्षित हुए हैं:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

[अ] बचत:-

(1) 2202-01-191-8403-अध्यापक संवर्ग के वेतन
के लिये अनुदान—

मूल	9,73,00.00			
पुनर्वि.	(-) 28,14.42	9,44,85.58	9,52,80.51	+ 7,94.93

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
<p>समर्पण के रूप में 28,14.42 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं जनवरी से मार्च 2013 तक शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल से पेंशन अंशदान विवरण उद्भूत नहीं होने के कारण शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(2) 2202-01-192-9416-प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान—			
मूल	1,30,00.00		
पुनर्वि.	(-) 86.30	1,29,13.70	1,15,98.43
			(-) 13,15.27
<p>समर्पण के रूप में 86.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि का आहरण नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(3) 2202-02-191-8403-अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिए अनुदान—			
मूल	6,83,00.00		
पुनर्वि.	(-) 18,54.47	6,64,45.53	6,66,01.17
			+ 1,55.64
<p>समर्पण के रूप में 18,54.47 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने एवं जनवरी से मार्च 2013 तक शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल से पेंशन अंशदान विवरण उद्भूत नहीं होने के कारण शिक्षकों को वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के कारण हुई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(4) 2202-02-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6968-हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन—			
मूल	14,36.03		
पुनर्वि.	(-) 11,19.69	3,16.34	3,10.12
			(-) 6.22
<p>समर्पण के रूप में 11,19.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।</p>			
(5) 2401-196-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 0927-राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना—			
मूल	26,14.76		
पुनर्वि.	(-) 5,64.46	20,50.30	20,50.30
			..
(6) 2501-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5770-इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेण्ट प्रोग्राम—			
मूल	26,75.00		
पुनर्वि.	(-) 16,27.92	10,47.08	10,58.96
			+ 11.88
(7) 2501-06-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 8701-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना—			
मूल	31,23.38		
पुनर्वि.	(-) 5,00.76	26,22.62	26,22.62
			..

अनुदान संख्या 74—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(8) 2505-01-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 2,02,85.36 पुनर्वि. (-) 81,04.94	1,21,80.42	1,21,80.42	..
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 5,64.46 लाख ₹, 16,27.92 लाख ₹, 5,00.76 लाख ₹ एवं 81,04.94 लाख ₹ (समर्पण 57,04.94 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 24,00.00 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने एवं भारत सरकार से कम राशि की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (6) एवं (7) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 के दौरान एवं क्रम संख्या (8) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2515-196-8391-त्रिस्तरीय पुरस्कार	25.00	..	(-) 25.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(10) 2515-198-6226-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को विशेष क्षेत्र अनुदान	45,14.00	33,84.00	(-) 11,30.00
(11) 2515-198-6244-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान	8,75,48.00	8,72,39.33	(-) 3,08.67
उपरोक्त क्रम संख्या (10) एवं (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2515-198-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना सामान्य— 7886-मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन— मूल 67,50.00 पुनर्वि. (-) 14,91.36	52,58.64	52,58.64	..
समर्पण के रूप में 14,91.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश की कम राशि प्राप्त होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(13) 2515-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5273-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना अन्तर्गत ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव एवं समन्वय अधिकारी को प्रशिक्षण	3,00.00	33.12	(-) 2,66.88
बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(14) 2515-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6931-मध्याह्न भोजन कार्यक्रम— मूल 4,51,13.12 पुनर्वि. (-) 59,32.24	3,91,80.88	3,91,80.88	..

अनुदान संख्या 74—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(15) 2515-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6098-पंचायत भवन निर्माण हेतु अनुदान—	25,00.00	12,50.00	(-) 12,50.00

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(16) 2853-02-198-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— पूरक	1,11,52.66	1,11,52.66	..	(-) 1,11,52.66
---	------------	------------	----	----------------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

[ब] आधिक्य:-

(1) 2216-03-198-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5198-इंदिरा आवास योजना— मूल पुनर्वि.	39,18.97 18,08.54	57,27.51	57,49.30	+ 21.79
--	----------------------	----------	----------	---------

18,08.54 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आवर्धन प्रावधान में 24,00.00 लाख ₹ की वृद्धि एवं 5,91.46 लाख ₹ की कमी का निवल प्रभाव था। वृद्धि भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि अधिक प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई जबकि भारत सरकार से केन्द्रांश की राशि कम प्राप्त होने के कारण होना सूचित की गई। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(2) 2853-02-198-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अन्तरण	2,00,00.00	3,04,29.45	+ 1,04,29.45
--	------------	------------	--------------

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 75—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	40,96,86,28			
पूरक	4,64,15,52	45,61,01,80	42,27,89,00	(-) 3,33,12,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (24 जुलाई 2012 एवं 30- 31 मार्च 2013)				3,25,07,93

प्रभारित—

मूल	1,17,00,00			
पूरक	15,00,00	1,32,00,00	1,32,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

पूंजीगत:

दत्तमत		16,50,00	16,50,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि				निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) 3,33,12.80 लाख ₹ की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 18,41.23 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त था एवं दिसम्बर 2012 में प्राप्त किया गया 3,02,77.68 लाख ₹ अत्यधिक था जबकि मार्च 2013 में प्राप्त किया गया 1,42,96.61 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 3,33,12.80 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 24 जुलाई 2012 एवं 30- 31 मार्च 2013 को केवल 3,25,07.93 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-01-192-9416-प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण निकायों को अनुदान—			
मूल	12,50.00		
पुनर्वि.	(-) 11.40	12,38.60	11,12.00
			(-) 1,26.60

समर्पण के रूप में 11.40 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि का आहरण न करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (अगस्त 2013)।

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2669-संविदा शिक्षकों को मानदेय			
मूल	2,79,00.00		
पुनर्वि.	(-) 25,80.93	2,53,19.07	2,43,08.01
			(-) 10,11.06
समर्पण के रूप में 25,80.93 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-193-9416-प्राथमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान—			
मूल	19,00.00		
पुनर्वि.	(-) 22.89	18,77.11	16,86.62
			(-) 1,90.49
समर्पण के रूप में 22.89 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत जिलों द्वारा राशि का आहरण न करने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(4) 2202-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2669-संविदा शिक्षकों का मानदेय—			
मूल	2,21,00.00		
पुनर्वि.	(-) 32,03.36	1,88,96.64	1,88,96.64
			..
समर्पण के रूप में 32,03.36 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पदों के रिक्त रहने के कारण हुई।			
(5) 2215-01-001-0523-प्रदेश जल प्रदाय योजनाओं की स्थापना—			
मूल	6,38.22		
पूरक	10,04.50		
पुनर्वि.	(-) 4,78.26	11,64.46	11,57.12
			(-) 7.34
4,78.26 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में समर्पण के रूप में 7,33.94 लाख ₹ की कमी एवं 2,55.68 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। वृद्धि हृदय रोग की शल्य चिकित्सा एवं ग्रेड वेतन में प्रावधान कम होने के कारण सूचित की गई (1,01.68 लाख ₹) कमी एवं शेष वृद्धि (1,54.00 लाख ₹) के विशिष्ट कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(6) 2215-01-101-0545-प्रदेश के जल प्रदाय ग्रहों की स्थापना एवं संधारण—			
मूल	48,85.63		
पूरक	22,86.90		
पुनर्वि.	(-) 18,10.98	53,61.55	53,56.76
			(-) 4.79
18,10.98 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 19,85.98 लाख ₹ (समर्पण 15,55.30 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 4,30.68 लाख ₹) की कमी एवं 1,75.00 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी / वृद्धि के साथ ही अंतिम बचत के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(7) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की जल प्रदाय योजनाओं का संधारण—			
मूल	25,00.00		
पूरक	3,37.50		
पुनर्वि.	(-) 4,03.71	24,33.79	24,23.21
			(-) 10.58

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
समर्पण के रूप में 4,03.71 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(8) 2217-04-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 5126-स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना— मूल 21,17.00 पुनर्वि. (-) 5,29.25	15,87.75	15,87.75	..
समर्पण के रूप में 5,29.25 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुपात में राज्यांश आहरित करने के कारण हुई।			
(9) 2217-05-191-6551-13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार सामान्य अनुपालन अनुदान— मूल 58,83.00 पूरक 12,61.13 पुनर्वि. (-) 53,97.96	17,46.17	12,61.13	(-) 4,85.04
(10) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6981-जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी पुनर्नवी मिशन— मूल 2,45,65.00 पुनर्वि. (-) 61,28.73	1,84,36.27	1,84,36.27	..
(11) 2217-05-192-6551-13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार सामान्य अनुपालन अनुदान— मूल 42,05.00 पूरक 8,84.60 पुनर्वि. (-) 38,61.44	12,28.16	8,84.60	(-) 3,43.56
(12) 2217-05-192-6552-13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान— मूल 2,64.34 पुनर्वि. (-) 1,32.85	1,31.49	1,31.49	..
(13) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम— मूल 9,85.00 पुनर्वि. (-) 7,31.20	2,53.80	2,53.80	..

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(14) 2217-05-193-6551-13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार सामान्य अनुपालन अनुदान—			
मूल	28,52.00		
पूरक	5,48.37		
पुनर्वि.	(-) 26,75.89	7,24.48	5,98.37
			(-) 1,26.11
(15) 2217-05-193-6552-13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार विशेष क्षेत्र अनुपालन अनुदान—			
मूल	1,31.62		
पुनर्वि.	(-) 66.11	65.51	65.51
			..

उपरोक्त क्रम संख्या (9) से (15) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः समर्पण के रूप में 53,97.96 लाख ₹, 61,28.73 लाख ₹, 38,61.44 लाख ₹, 1,32.85 लाख ₹, 7,31.20 लाख ₹, 26,75.89 लाख ₹ एवं 66.11 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से स्वीकृति/वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (9), (11) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (9), (11), (12), (14) एवं (15) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं क्रम संख्या (10) एवं (13) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(16) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—				
6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स—				
मूल	22,60.00			
पूरक	9,49.39			
पुनर्वि.	(-) 22,60.00	9,49.39	9,49.39	..

पुनर्विनियोग के रूप में 22,60.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के विशिष्ट कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(17) 2217-05-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—				
6982-एकीकृत शहरी एवं मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम—				
मूल	13,65.00			
पुनर्वि.	(-) 6,83.30	6,81.70	6,81.70	..

समर्पण के रूप में 6,83.30 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से वित्तीय स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(18) 2217-05-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—				
7056-अग्निशमन सेवायें—				
मूल	1,00.00			
पुनर्वि.	(-) 1,00.00

समर्पण के रूप में 1,00.00 लाख ₹ के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत वित्त विभाग के निर्देशों के अनुपालन के कारण हुई।

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(19) 2235-02-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 12,00.00 पुनर्वि. (-) 1,29.30		10,70.70	10,71.38	+ 0.68
(20) 2235-02-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 40,00.00 पुनर्वि. (-) 10,19.01		29,80.99	30,39.11	+ 58.12
उपरोक्त क्रम संख्या (19) एवं (20) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 1,29.30 लाख ₹ एवं 10,19.01 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत लाभान्वितों की कम संख्या के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (19) के शीर्षान्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।				
(21) 2235-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन— पूरक 70.00		70.00	15.00	(-) 55.00
(22) 2235-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— पूरक 2,29.03		2,29.03	1,83.03	(-) 46.00
(23) 2235-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— पूरक 1,92.50		1,92.50	1,06.35	(-) 86.15
(24) 2235-60-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— पूरक 2,86.29		2,86.29	2,09.84	(-) 76.45
(25) 2235-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन— पूरक 1,92.50		1,92.50	99.00	(-) 93.50
(26) 2235-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन— पूरक 4,23.50		4,23.50	2,67.69	(-) 1,55.81

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(27) 2235-60-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन— पूरक	6,29.84	6,29.84	4,72.17	(-) 1,57.67

उपरोक्त क्रम संख्या (21) से (27) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(28) 3604-191-6062-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार पेयजल, योजनाओं के लिये विद्युत व्यय की प्रतिपूर्ति— मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	(-) 10,00.00

(29) 3604-191-6063-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार विशिष्ट अनुदान— मूल	10,00.00			
पुनर्वि.	(-) 10,00.00

उपरोक्त क्रम संख्या (28) एवं (29) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 10,00.00 लाख ₹ समान राशि के सम्पूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत शर्तों की पूर्ति न होने के कारण हुई। इन शीर्षों के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत प्रावधान से अधिक व्यय द्वारा अंशतः प्रति-संतुलित की गई:-

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2217-05-191-6244-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायो को सामान्य अनुदान— मूल	85,72.00			
पूरक	41,33.89	1,27,05.89	1,31,90.93	+ 4,85.04
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				

(2) 2217-05-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स— मूल	20,00.00			
पूरक	35,49.08			
पुनर्वि.	14,00.00	69,49.08	69,49.08	..

14,00.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि नगर पालिका खण्डवा स्वीकृत पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के कारण होना सूचित की गई।

(3) 2217-05-192-6244-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार स्थानीय निकायों को सामान्य अनुदान— मूल	61,27.00			
पूरक	28,97.47	90,24.47	93,68.03	+ 3,43.56

आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 75—समाप्त

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(4) 2217-05-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6221-इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम टाउन्स—				
मूल	40,00.00			
पूरक	1,70,49.50			
पुनर्वि.	8,60.00	2,19,09.50	2,19,09.50	..
8,60.00 लाख ₹ के पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में वृद्धि नगर पालिका शिवपुरी स्वीकृत पेयजल योजनाओं को पूर्ण करने के कारण होना सूचित की गई।				
(5) 2235-02-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन—				
मूल	3,50.00			
पुनर्वि.	(-) 44.71	3,05.29	4,15.50	+ 1,10.21
(6) 2235-02-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5859-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन—				
मूल	1,90.00			
पुनर्वि.	(-) 40.80	1,49.20	2,42.46	+ 93.26
(7) 2235-02-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—				
मूल	1,80.00			
पुनर्वि.	(-) 63.98	1,16.02	3,47.15	+ 2,31.13
(8) 2235-02-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण—				
मूल	23,00.00			
पुनर्वि.	(-) 2,33.51	20,66.49	28,79.72	+ 8,13.23
उपरोक्त क्रम संख्या (5) से (8) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 44.71 लाख ₹, 40.80 लाख ₹, 63.98 लाख ₹ एवं 2,33.51 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत लाभान्वितों की संख्या कम होने के परिप्रेक्ष्य में इन शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य का कारण अवास्तविक रहा। इन शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				
(9) 2235-60-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5863-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन—				
पूरक	1,54.00	1,54.00	1,97.39	+ 43.39
आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।				

अनुदान संख्या 76—नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा
(सभी दत्तमत)

		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष—				
2810—अपारम्परिक उर्जा के स्रोत				
राजस्व:				
मूल	28,67,84			
पूरक	50,00	29,17,84	24,92,15	(-) 4,25,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (30 मार्च 2013)				3,18,00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 में प्राप्त किया गया 50.00 लाख ₹ का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 4,25.69 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 30 मार्च 2013 को केवल 3,18.00 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष		कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2810-01-001-2304-निदेशन और प्रशासन		1,27.84	70.65	(-) 57.19
(2) 2810-60-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6759-अपरम्परागत ऊर्जा से संबंधित सर्वेक्षण कार्य— पूरक	50.00	50.00	..	(-) 50.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2011—12 एवं 2010—11 के दौरान भी बचत हुई थी।

(3) 2810-60-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3220-म.प्र.ऊर्जा विकास निगम को सहायक अनुदान— मूल	8,47.00			
पुनर्वि.	(-) 1,40.00	7,07.00	7,06.50	(-) 0.50

समर्पण के रूप में 1,40.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर)

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष-			
2202-सामान्य शिक्षा			
2204-खेल तथा युवा सेवायें			
2205-कला एवं संस्कृति			
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत-			
मूल	12,30,75,06		
पूरक	2,16,70,64	14,47,45,70	11,82,63,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2013)			(-)2,64,81,86 2,59,53,26
<i>प्रभारित</i>		60,00	3,69
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>			(-)56,31 निरंक
पूंजीगत:			
दत्तमत-			
मूल	6,35,00		
पूरक	16,00,00	22,35,00	22,35,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			.. निरंक

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत-

(i) चूंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था, जुलाई 2012 (6,80.00 लाख ₹), दिसम्बर 2012 (1,51,42.39 लाख ₹) एवं मार्च 2013 (58,48.25 लाख ₹) में प्राप्त किया गया 2,16,70.64 लाख ₹ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) 2,64,81.86 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2013 को केवल 2,59,53.26 लाख ₹ की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(1) 2202-02-109-4193-शास. विद्यालयों में 10+2 शिक्षा प्रणाली तथा शिक्षा का व्यावसायीकरण-			
मूल	66,15.37		
पुनर्वि.	(-)6,88.69	59,26.68	59,09.66
			(-)17.02

समर्पण के रूप में 6,88.69 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत पद रिक्त रहने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 एवं 2010-11 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 77—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(2) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6006-बालिका छात्रावास की स्थापना एवं संचालन— मूल 7,50.00 पुनर्वि. (-)7,50.00
(3) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6007-मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं संचालन— मूल 1,26,61.00 पुनर्वि. (-)1,26,61.00
(4) 2202-02-109-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य— 6918-सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी विद्यालय— मूल 28,80.00 पुनर्वि. (-)28,80.00

उपरोक्त क्रम संख्या (2) से (4) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में क्रमशः 7,50.00 लाख ₹, 1,26,61.00 लाख ₹ एवं 28,80.00 लाख ₹ के संपूर्ण प्रावधान की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। उपरोक्त क्रम संख्या (4) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

(5) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5539-ग्रंथालयों का सुदृढीकरण— मूल 5,00.00 पुनर्वि. (-)3,00.02	1,99.98	2,05.68	+5.70
--	---------	---------	-------

समर्पण के रूप में 3,00.02 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।

(6) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6968-हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन— मूल 33,36.95 पुनर्वि. (-)25,62.13	7,74.82	7,58.58	(-)16.24
--	---------	---------	----------

25,62.13 लाख ₹ (समर्पण 23,13.88 लाख ₹ + पुनर्विनियोजन 2,48.25 लाख ₹) की प्रत्याशित बचत मुख्यतः पद रिक्त रहने के कारण हुई (23,13.88 लाख ₹)। शेष प्रत्याशित बचत (2,48.25 लाख ₹) के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 77—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
(7) 2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5704-gkbZ Ldwyksa dk lqn`<+hdj.k rFkk fefMy Ldwyksa dk gkbZLdwy esa m TM k;u&			
मूल	4,29.38		
पुनर्वि.	(-1,06.26	3,23.12	3,23.98 + 0.86
1,06.26 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत प्रावधान में 2,04.51 लाख ₹ की कमी (समर्पण) एवं 98.25 लाख ₹ की वृद्धि का निवल प्रभाव थी। कमी पद रिक्त रहने के कारण हुई। वृद्धि के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(8) 2202-80-800-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना सामान्य—	14,14.73	12,59.29	(-) 1,55.44
6014-माध्यमिक विद्यालयों में विकलागों के लिए समेकित शिक्षा (आई.ई.डी.एस.एस.)—			
मूल	16,85.44		
पुनर्वि.	(-13,97.66	2,87.78	2,79.58 (-) 8.20
समर्पण के रूप में 13,97.66 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011—12 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(9) 2202-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6019-वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां—			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि.	(-1,18.31	2,81.69	2,80.87 (-)0.82
समर्पण के रूप में 1,81.31 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत निर्धारित समयावधि में राशि का आहरण नहीं होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)।			
(10) 2202-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7127-बेटी बचाओं योजना के अंतर्गत बालिकाओं को छात्रवृत्ति—			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि.	(-41.00	59.00	59.00 ..
(11) 2204-102-3754-राष्ट्रीय सैन्य दल — कनिष्ठ संभाग	9,86.42	6,72.73	(-)3,13.69
उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत समर्पण के रूप में 41.00 लाख ₹ की प्रत्याशित बचत के साथ ही क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। उपरोक्त क्रम संख्या (11) के शीर्षान्तर्गत 2011—12, 2010—11 एवं 2009—10 के दौरान भी बचत हुई थी।			
(12) 2204-102-3755-राष्ट्रीय सैन्य दल — वरिष्ठ संभाग	18,10.42	15,14.85	(-)2,95.57

अनुदान संख्या 77—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

20.00 लाख ₹ की समान राशि का पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी एवं वृद्धि हुई थी। कमी सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली लागू होने के कारण एन.सी.सी.छात्रों की कम उपस्थित होने के कारण हुई जबकि वृद्धि कैम्प में एन.सी.सी.छात्रों की शत प्रतिशत उपस्थित होने के कारण हुई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12 के दौरान भी बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) 56.31 लाख ₹ की उपलब्ध बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (लाख ₹ में)	आधिक्य + बचत -
2202-80-001-3858-लोक शिक्षण संचालनालय	60.00	3.69	(-)56.31

बचत के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (अगस्त 2013)। इस शीर्ष के अन्तर्गत 2011-12, 2010-11 एवं 2009-10 के दौरान भी बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 78—सिंहस्थ 2016 से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (हजार ₹ में)	आधिक्य + बचत -
मुख्य शीर्ष			
2217—शहरी विकास			
2801—बिजली			
राजस्व	1,07,00,00	1,07,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			निरंक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 13 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या एवं नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े	
			अधिक (+)	कमी (-)
(1)	(2)	(3)	(4)	
(हजार ₹ में)				
03. पुलिस				
राजस्व-				
दत्तमत	5,00	..		(-) 5,00
10. वन				
राजस्व-				
दत्तमत	5,00,00	..		(-) 5,00,00
राजस्व-				
प्रभारित	34,28,88	..		(-) 34,28,88
12. ऊर्जा-				
राजस्व-				
दत्तमत	3,09,65,00	..		(-) 3,09,65,00
पूँजीगत-				
दत्तमत	..	2,49,76,00		+ 2,49,76,00
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी -				
पूँजीगत-				
दत्तमत	67,62,87	..		(-) 67,62,87
23. जल संसाधन-				
राजस्व-				
दत्तमत	2,52,73,19	33,82,55		(-) 2,18,90,64
पूँजीगत-				
दत्तमत	24,65,17	..		(-) 24,65,17
24. लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल-				
राजस्व-				
दत्तमत	1,57,50,00	..		(-) 1,57,50,00
29. विधि और विधायी कार्य-				
राजस्व-				
दत्तमत	30,51,57	(-) 2,18		(-) 30,53,75
30. ग्रामीण विकास-				
राजस्व-				
दत्तमत	7,59,90,00	..		(-) 7,59,90,00
39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण-				
पूँजीगत-				
दत्तमत	11,00,00	2,27,94		(-) 8,72,06
41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना-				
पूँजीगत-				
दत्तमत	..	23,27,00		+ 23,27,00

परिशिष्ट-I-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)
		(हजार ₹ में)	
45. लघु सिंचाई निर्माण कार्य— राजस्व— दत्तमत	2,86,50,00	..	(-) 2,86,50,00
48. नर्मदा घाटी विकास— राजस्व— दत्तमत	6,89,80	..	(-) 6,89,80
पूंजीगत— दत्तमत	2,12,65,26	..	(-) 2,12,65,26
58- प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय— राजस्व— दत्तमत	4,33,01,01	1,29,75,83	(-) 3,03,25,18
61- बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय— राजस्व— दत्तमत	1,00,00,00	..	(-) 1,00,00,00
पूंजीगत— दत्तमत	4,00,00,00	..	(-) 4,00,00,00
64- अनुसूचित जाति उपयोजना— पूंजीगत— दत्तमत	..	18,69,00	+ 18,69,00
74- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता— राजस्व— दत्तमत	2,37,06,00	..	(-) 2,37,06,00
योग—			
राजस्व—			
दत्तमत	25,78,81,57	1,63,56,20	(-) 24,15,25,37
प्रभारित	34,28,88	..	(-) 34,28,88
पूंजीगत—			
दत्तमत	7,15,93,30	2,93,99,94	(-) 4,21,93,36
प्रभारित
egk;ksx			
राजस्व	26,13,10,45	1,63,56,20	(-) 24,49,54,25
पूंजीगत	7,15,93,30	2,93,99,94	(-) 4,21,93,36

परिशिष्ट-II
(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 13 पर संदर्भित)

शीर्ष 8443—सिविल जमा—800—अन्य जमा में अंतरण द्वारा जमा राशियों का अनुदानवार एवं योजनावार विवरण

अनुदान संख्या एवं नाम	योजना का नाम एवं ब्यौरेवार शीर्ष तक लेखाओं का शीर्ष	कुल बजट प्रावधान मूल+पूरक	किया गया व्यय	8443—सिविल जमा 800—अन्य जमा में अंतरित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(लाख ₹ में)		
01—सामान्य प्रशासन एवं लोक सेवा प्रबंधन	2070-003-0101-8808-सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य	5,00.26	5,00.00	5,00.00
03—पुलिस	2055-109-1301-6463-पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13वां वित्त आयोग)	9,06.94	8,74.52	4,18.36
13—किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2401-800-1501-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	1,85,41.00	1,86,55.91	44,25.80
26—संस्कृति	2205-107-0101-4283-संग्रहालय	17,42.58	15,88.33	10,00.00
27- स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	2202-01-101-0701-1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था मूल भूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	63,47.77	47,26.27	96.90
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-105-0702-2667-पोलीटेकनिक संस्थाएं	1,14.30	1,13.70	1,02.90
41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2401-789-800-1502-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	55,89.53	49,71.04	1,26.41
47—तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203-105-0701-2667-पोलीटेकनिक संस्थाएं	17,61.51	12,64.40	11,46.60
55—महिला एवं बाल विकास	2235-02-102-0701-0658-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	7,02,00.01	6,57,63.15	12,05.77
55—महिला एवं बाल विकास	2235-02-103-0701-6392-राजीव गाँधी किशोरी बालिका संशक्तीकरण योजना (सबला)	5,81.40	5,56.16	47.52
61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1501-6080-भण्डार एवं विपणन	2,37,80.01	2,00,00.00	2,00,00.00
61—बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4401-102-1503-6080-भण्डार एवं विपणन	66,70.01	43,00.00	43,00.00

परिशिष्ट-II-समाप्त

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		(लाख ₹ में)		
61-बुन्देलखण्ड पैकेज से संबंधित व्यय	4702-101-1501-6074-नहर क्षमता की पुनः प्राप्ति	0.01	65,04.24	51,11.95
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (जन शक्ति नियोजन विभाग)	2203-789-105-0703-2667-पोलीटेकनिक संस्थाएं	2,43.30	2,43.30	2,20.50
64-अनुसूचित जाति उपयोजना (किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग)	2401-789-800-1503-5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	41,89.86	36,70.04	1,95.71
योग		14,11,68.49	13,37,31.06	3,88,98.42